

Accounts for the year 1984-85  
are provisional.

वर्ष 1984-85 का लेखा  
प्रस्थान है ।



मध्यप्रदेश शासन

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

35



अनुदानों की मांगें  
DEMANDS FOR GRANTS  
1986-87

FOR REFERENCE ONLY

मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan

मांग संख्या 64—हरिजन विशेषांश योजना

Demand No. 64—Harijan Component Plan

(विधान सभा के समक्ष मार्च, 1986 में प्रस्तुत किये गये रूप में)  
(As laid before the Vidhan Sabha in March, 1986)

मालियर  
शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय  
1986

[मूल्य रु. 24.00]

**Sub. National Systems Unit,**  
**National Institute of Educational**  
**Planning and Administration**  
**17 B, Shaheed Smt. Indira Marg, New Delhi-110016**  
**DOC. No. 3460**  
**Date 18/12/86**

-543  
352.1252  
MAD-D

**विषय-सूची**  
**TABLE OF CONTENTS**

**35**

	<b>पृष्ठ</b> <b>Pages</b>
<b>व्यय के विस्तृत अनुमान</b>	
<i>Detailed Estimates of Expenditure :</i>	
1. मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना .. .. .	35-1 to 35-21
Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan	
2. मांग संख्या 64—हरिजन विशेषांश योजना .. .. .	35-23 to 35-40
Demand No. 64—Harijan Component Plan	
<b>व्यय के अनुमानों का स्पष्टीकरणात्मक स्मृति-पत्र :</b>	
<i>Detailed Memorandum Explanatory of the Estimates of Expenditure :</i>	
3. मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना .. .. .	35-41 to 35-42
Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan	
4. मांग संख्या 64—हरिजन विशेषांश योजना .. .. .	35-43 to 35-44
Demand No. 64—Harijan Component Plan	
<b>नवीन व्यय की अनुसूची :</b>	
<i>Statement of New Expenditure :</i>	
5. मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना .. .. .	35-45 to 35-51
Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan	
6. मांग संख्या 64—हरिजन विशेषांश योजना .. .. .	35-52 to 35-62
Demand No. 64—Harijan Component Plan	
<b>व्यय के नवीन मदों पर स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ</b>	
<i>Explanatory Notes on New Items of Expenditure</i>	
7. मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना .. .. .	35-63 to 35-92
Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan	
8. मांग संख्या 64—हरिजन विशेषांश योजना .. .. .	35-93 to 35-104
Demand No. 64—Harijan Component Plan	
<b>पदों की संख्या तथा वेतनमानों की अनुसूची :</b>	
<i>Schedule of Strength and Pay-scales :</i>	
9. मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना .. .. .	35-105 to 35-128
Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan	
10. मांग संख्या 64—हरिजन विशेषांश योजना .. .. .	35-129 to 35-130
Demand No. 64—Harijan Component Plan	

---

**मांग संख्या 4।**  
**DEMAND No.**  
**आदिवासी क्षेत्र उप योजना**

---

## मांग संख्या 41

DEMAND No.

## आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

TRIBAL AREAS SUB-PLAN

I. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के संबंध में 31 मार्च 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये आवश्यक धनराशि का अनुमान  
 Estimate of the amount required in the year ending 31 March, 1987 to defray the charges in respect of Tribal Areas Sub-Plan.

	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	योग Total
मतदेय Voted	1,74,88,19	96,01,64	2,70,89,83
भारित Charged	..	1,00	1,00

I. उपशीर्ष जिनके अन्तर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा.  
 Sub-heads under which this grant will be accounted for.

(आठ हज़ार रुपये में)  
 (Rupees in thousands)

वर्ष 1984-85 Accounts	बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate		पुनरीक्षित अनुमान 1985-86 Revised Estimate		शीर्ष Head	बजट अनुमान 1986-87 Budget Estimate			
	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan		आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total	
..	..	1,95,22	..	1,97,18	1—राजस्व विभाग : राजस्व अनुभाग : भू-राजस्व : आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	1—Revenue Department : Revenue Section [229] LAND REVENUE (08) Tribal Area Sub-Plan	..	..	2,37,00
..	..	40,00	..	40,00	श्रम और रोजगार आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	[287] Labour and Employment (06) Tribal Area Sub-Plan	..	..	39,00
..	..	45	..	20	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं नाप तौल विनियमन आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	[304] Other General Economic Services (06) Regulation of weight and Measure Tribal Area Sub Plan	..	..	45
..	..	2,35,67	..	2,37,38	योग—राजस्व विभाग	Revenue Department	..	..	2,76,45

वन विभाग :

राजस्व अनुभाग :

भूमि एवं संरक्षण  
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  
वन :

.. .. 16,98,52 .. 16,05,60

आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

योग राजस्व अनुभाग

पूंजी अनुभाग :

वन पर पूंजीगत परिव्यय :

आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

.. .. 26,48 .. 11,73

.. .. 17,25,00 .. 14,64,60

योग—2 ..

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग :

राजस्व अनुभाग :

सहकारिता :

आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

.. .. 14,17 .. 14,17

उद्योग :

आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

.. .. 1,03,82 .. 1,00,75

ग्राम और लघु उद्योग :

आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

.. .. 78,57 .. 75,57

.. .. 1,96,56 .. 1,90,49

योग—एक—राजस्व अनुभाग ..

पूंजी अनुभाग :

पूंजी लेखा :

सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय :

.. .. 3,10 .. 3,10

आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास पर पूंजी-  
गत परिव्यय :

.. .. 1,86,84 .. 1,86,84

आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

2—Forest Department :

Revenue Section

[307] Soilwater Conservation  
Trial Area Sub Plan

.. 10.00 10.00

[313] FOREST

(21) Tribal Areas Sub-Plan

.. .. 18,98,41 18,98,41

Total—Revenue Section

.. .. 19,08,41 19,08,41

Capital Section

[513] CAPITAL OUTLAY ON FOREST

(21) Tribal Areas Sub-Plan

.. 90 90

Total-2

.. .. 19,09,31 19,09,31

31 Commerce and Industry Department

Revenue Section

[298] CO-OPERATION

(18) Tribal Areas Sub-Plan

.. .. 15,74 15,74

[320] INDUSTRIES

(07) Tribal Areas Sub-Plan

.. 95,22 95,22

[321] VILLAGE AND SMALL SCALE ..  
INDUSTRIES

(11) Tribal Areas Sub-Plan

.. .. 2,24,41 2,24,41

Total—1—Revenue Section

.. .. 3,35,37 3,35,37

Capital Section

Capital Account.

[498] CAPITAL OUTLAY ON CO-  
OPERATION

(11) Tribal Areas Sub-Plan

.. .. 3,30 3,30

[520] CAPITAL OUTLAY ON INDUS-  
TRIAL RESEARCH AND DEV-  
ELOPMENT

(10) Tribal Areas Sub-Plan

.. .. 1,09,98 1,09,98

(आंकड़े हजार रुपये में)  
(Rupees in thousands)मांग संख्या 41—अदिवासी क्षेत्र उपयोजना  
Demand No. 41—Tribal Area Sub-Plan

लेखा 1984-85 Accounts		बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate		पुनरीकित अनुमान 1985-86 Revised Estimate		विवरण	Head	बजट अनुमान 1986-87 Budget Estimate		
आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan			आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
..	1,54,51	..	2,48,72	..	2,48,72	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परियोजना आदिवासी क्षेत्र उप-योजना ..	[521] CAPITAL OUTLAY ON VILLAGE AND SMALL SCALE INDUSTRIES ..	..	3,52,44	3,52,44
							(10) Tribal Areas Sub-Plan ..			
..	27,68	..	..	..	..	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परियोजना : आदिवासी क्षेत्र उप-योजना ..	[526] CAPITAL OUTLAY ON CONSUMERS, INDUSTRIES ..	..	..	..
							(10) Tribal Areas Sub-Plan ..			
..	4,24,33	..	4,38,66	..	4,38,66	योग (एक)—पूजी लेखा ..	Total—(one) Capital Account ..	..	4,65,72	4,65,72
						ऋण :	(Two) Loans			
..	6,97,33	..	4,27	..	4,27	सहकारिता के लिए कर्ज : आदिवासी क्षेत्र उप-योजना ..	[698] LOANS FOR CO-OPERATION ..	..	3,85	3,85
							(14) Tribal Areas Sub-Plan ..			
..	..	..	..	..	..	720—औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास के लिये कर्ज : आदिवासी क्षेत्र उप-योजना ..	[720] LOANS FOR INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT ..	..	..	..
							(04) Tribal Areas Sub-Plan ..			
..	10,57	..	10,00	..	..	721—ग्राम और लघु उद्योगों के लिये कर्ज : आदिवासी क्षेत्र उप-योजना ..	[721] LOANS FOR VILLAGE AND SMALL SCALE INDUSTRIES ..	..	4,00	4,00
							(08) Tribal Areas Sub-Plan ..			
..	7,07,81	..	14,27	..	4,27	योग (दो)—ऋण ..	Total—(Two) Loans ..	..	7,85	7,85
..	11,32,20	..	4,52,93	..	4,42,93	योग—पूजी लेखा ..	Total—Capital Account ..	..	4,73,57	4,73,57
..	13,16,16	..	6,49,49	..	6,33,42	योग—3 ..	Total—3 ..	..	8,08,94	8,08,94

राजा विभाग :

एक राजस्व अनुभाग  
279—वैज्ञानिक सेवायें और अनुसंधान  
अनवैज्ञानिक सेवायें  
गेर परम्परागत उर्जा के साधन

पूँजी अनुभाग :  
ऋण :

विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज :  
आदिवासी क्षेत्र उप-योजना

(योग चार)

कृषि विभाग :

राजस्व अनुभाग :  
कृषि :

आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना

भूमि और जल-संरक्षण :

आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना

क्षेत्र विकास

आदिवासी क्षेत्र उप योजना

योग—राजस्व अनुभाग

पूँजी अनुभाग :

पूँजी लेखा :

कृषि पर पूँजीगत परिव्यय :

आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना

लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास  
पर पूँजीगत परिव्यय :

आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना

योग (एक)—पूँजी लेखा

4—Energy Department

I—REVENUE SECTION  
(279) SCIENTIFIC SERVICES AND  
RESEARCH

(03) Other Scientific Services .. .. 59,16 59,16  
(09) Non Conventional Energy Sources

Capital Section  
(Two) Loans

[734] LOANS FOR POWER PROJECTS

(06) Tribal Areas Sub-Plan .. .. 21,25,00 21,25,00

Total (four) .. .. 21,84,16 21,84,16

5—Agriculture Department

Revenue Section

[305] AGRICULTURE

(22) Tribal Areas Sub-Plan .. .. 14,81,05 14,81,05

[307] SOIL AND WATER CONSERVATION

(07) Tribal Areas Sub-Plan .. .. 7,65,61 7,65,61

[308] Area Development

(05) Tribal Areas Sub Plan .. ..

Total—I—Revenue Section .. .. 22,46,66 22,46,66

Capital Section

(one) Capital Account—

[505] CAPITAL OUTLAY ON AGRICULTURE

(13) Tribal Areas Sub-Plan .. .. 15,00 15,00

[506] CAPITAL OUTLAY ON MINOR  
IRRIGATION, SOIL CONSERVATION  
AND AREA DEVELOPMENT

(04) Tribal Areas Sub-Plan .. .. 1,04,00 1,04,00

Total—(one) Capital Account .. .. 3,21,38 1,62,91



क्र.सं. 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  
Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan

(घांके हजार रुपये में)  
(Rupees in thousands)

लेखा 198-485 Accounts		बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate		पुनरीकृत अनुमान 1985-86 Revised Estimate		शीर्ष	Head	बजट अनुमान 198-687 Budget Estimate			
आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan			आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total	
..	..	..	2,00	..	2,00	ऋण : कृषि के लिए कर्ज : आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना ..	(Two) Loans [ 705 ] LOANS FOR AGRICULTURE ( 15 ) Tribal Areas Sub-Plan .. ..	..	..	4,00	4,00
..	..	..	79,37	..	79,37	भू-संरक्षण तथा क्षेत्र विकास के लिये कर्ज : आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना .. ..	[ 706 ] LOANS FOR SOIL CON- SERVATION AND AREA DEVELOPMENT ( 04 ) Tribal Areas Sub-Plan .. ..	..	..	96,31	96,31
..	..	..	81,37	..	81,37	योग (दो)—ऋण ..	Total—(Two) Loans .. ..	..	..	1,00,31	1,00,31
..	..	..	2,44,28	..	2,44,28	योग—दो—पूजी अनुभाग ..	Total—II—Capital Section .. ..	..	..	2,19,31	2,19,31
..	..	..	21,03,89	..	19,01,82	कुल योग—5 ..	Total—5 .. ..	..	..	24,65,97	24,65,97
..	..	..	2,03,57	..	2,02,90	पशुपालन विभाग : राजस्व अनुभाग : पशुपालन : आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना .. ..	6—Animal Husbandry Department Revenue Section— [ 310 ] ANIMAL HUSBANDRY ( 14 ) Tribal Areas Sub-Plan .. ..	..	..	2,69,62	2,69,62
..	..	..	..	..	..	पशुपालन पर पुंजीगत व्यय पशु विकास .. ..	[ 610 ] Capital outlay on Animal Husbandry ( 03 ) cattle development .. ..	..	..	5,00	5,00
..	..	..	2,03,57	..	2,02,90	पशुपालन विभाग .. ..	Total-6-Animal Husbandry Deptt .. ..	..	..	2,74,62	2,74,62
..	..	..	30,30	..	23,88	डेरी विकास विभाग : राजस्व अनुभाग : डेरी विकास : आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना .. ..	7—Dairy Development Department Revenue Section [ 311 ] DAIRY DEVELOPMENT ( 8 ) Tribal Areas Sub-Plan .. ..	..	..	24,40	24,40

8 मत्स्योद्योग विभाग :	..	8 Fisheries Department		
राजस्व अनुभाग :	..	Revenue Section		
मत्स्योद्योग :	..	[ 319 ] FISHERIES		
आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	.. 98,37	(12) Tribal Areas Sub-Plan	..	1,13,19 1;13,19
पूँजी अनुभाग	..	Capital Section		
पूँजी लेखा	..	(One) Capital Account		
मत्स्योद्योग पर पूँजीगत परिष्पय	..	[ 512 ] CAPITAL OUTLAY ON FISHERIES		
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	..	001 Tribal Area Sub-Plan	..	3,00 3,00
योग-512-मत्स्योद्योग पर पूँजीगत परिष्पय	..	Total-512-Capital out-lay on Fisheries	..	3,00 3,00
योग--दो--पूँजी अनुभाग	..	Total-II-Capital Section	..	3,00 3,00
योग-8-मत्स्योद्योग विभाग	.. 98,37	Total-8-Fisheries Department	..	1,16,19 1;16,19
9-सहकारिता विभाग :	..	Co-operation Department		
राजस्व अनुभाग :	..	Revenue Section		
सहकारिता:	..	[ 298 ] CO-OPERATION		
आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	.. 3,17,06	(18) Tribal Areas Sub-Plan	..	2,74,63 2,74,63
पूँजी अनुभाग :	..	Capital Section		
पूँजी लेखा :	..	(One) Capital Account		
सहकारिता पर पूँजीगत परिष्पय :	..	[ 498 ] CAPITAL OUTLAY ON CO-OPERATION		
आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	.. 2,27,90	(14) Tribal Areas Sub-Plan	..	2,67,46 2,67,46
कृषि पर पूँजीगत परिष्पय :	..	[ 505 ] CAPITAL OUTLAY ON AGRICULTURE		
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	.. 7,00	(13) Tribal Areas Sub-Plan	..	7,83 7,83
योग (एक) पूँजी लेखा	.. 2,34,90	Total (one)-Capital Account	..	2,75,29 2,75,29

पानसंख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  
Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan

(पाँचके हजार रुपये में)  
(Rupees in thousands)

लेखा 1984-85 Accounts		बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate		पुनरीकृत अनुमान 1985-86 Revised Estimate		शीर्ष	Head	बजट अनुमान 1986-87 Budget Estimate		
आयोजन Non-plan	आयोजना Plan	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan			आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
..	..	..	2,18,97	..	2,18,72	(दो)—ऋण : सहकारिता के लिये कर्जे : आदिवासी क्षेत्र उप-योजना .. ..	(Two) Loans— [ 698 ] Loans for Co-operation ( 14 ) Tribal Areas Sub-Plan .. ..	..	2,95,17	2,95,17
..	..	..	4,53,87	..	4,53,87	योग—दो—पूँजी अनुभाग .. ..	Total—II—Capital Section .. ..	..	5,70,46	5,70,46
..	..	..	7,70,93	..	7,70,93	योग-9 .. ..	Total-9 .. ..	..	8,45,09	8,45,46
..	..	..	..	..	..	श्रम विभाग राजस्व अनुभाग : श्रम और रोजगार : श्रम : आदिवासी क्षेत्र उप-योजना .. ..	10—Labour Department— I—Revenue Section— [ 287 ] LABOUR AND EMPLOYMENT 01 —LABOUR ( 13 ) Tribal Areas Sub-plan .. ..	..	..	..
..	..	..	98	..	98	रोजगार और प्रशिक्षण .. .. आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना .. ..	02 Employment and Training ( 06 ) Tribal Area sub-plan .. ..	..	98	98
..	..	..	98	..	98	योग-10 .. ..	Total-10 .. ..	..	98	98
..	..	..	..	..	..	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग : एक—राजस्व अनुभाग : चिकित्सा : आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना .. ..	11—Public Health and Family Welfare Department. I—Revenue Section. [ 280 ] MEDICAL ( 12 ) Tribal Areas Sub-Plan .. ..	..	..	7,87,10
..	..	..	5,68,43	..	5,42,00	परिवार कल्याण : आदिवासी क्षेत्र उप-योजना .. ..	[ 281 ] FAMILY WELFARE ( 11 ) Tribal Areas Sub-Plan .. ..	..	75,00	75,00
..	..	..	45,00	..	75,00			..	75,00	75,00

..	..	..	4,78,35	..	4,70,70	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति ..	[282] PUBLIC HEALTH, SANITATION AND WATER SUPPLY			
..	..	..	10,91,78	..	10,87,10	आदिवासी क्षेत्र उपयोगता ..	(74) Tribal Areas Sub-Plan	..	..	4,71,70 4,71,70
						योग—राजस्व अनुभाग ..	Total—Revenue Section	..	..	13,33,80 13,33,80
						पूँजी अनुभाग :	Capital Section			
						पूँजी लेखा :	Capital Account			
..	..	..	5,00	..	5,00	चिकित्सा पर पूँजीगत परिव्यय ..	[480] Capital outlay on Medical	..	..	5,00 5,00
..	..	..	10,96,78	..	10,92,10	योग—11	Total—11	..	..	13,38,80 13,38,80
						लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग:	12—Public Health Engineering Department			
						राजस्व अनुभाग:	Revenue Section—			
..	..	..	7,79,30	..	7,79,30	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलप्रदाय ..	[282] PUBLIC HEALTH, SANITATION AND WATER SUPPLY			
						आदिवासी क्षेत्र उप-योजना ..	(07) Tribal Area Sub-Plan	..	..	13,06,50 13,06,50
						पूँजी अनुभाग	Capital Section			
						पूँजी लेखा	Capital Account			
						लोग स्वास्थ्य, सफाई और जलप्रदाय पर	[482] CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC HEALTH, SANITATION AND WATER SUPPLY			
						पूँजीगत परिव्यय :				
..	..	..	..	..	..	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना ..	(07) Tribal Areas Sub-Plan	..	..	.. ..
						ऋण :	Loans—			
						लोग स्वास्थ्य, सफाई तथा जलप्रदाय के	[682] SPANS FOR PUBLIC HEALTH SANITATION AND WATER SUPPLY			
						लिये कर्जे :				
..	..	..	25,00	..	25,00	आदिवासी क्षेत्र उपयोगता ..	(07) Tribal Areas Sub-Plan	..	..	23,50 23,50
..	..	..	25,00	..	25,00	योग—दो ..	Total—II	..	..	23,50 29,50
..	..	..	8,03,30	..	8,04,30	योग—12 ..	Total—12	..	..	13,30,00 13,30,00

संख्या 41--आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  
Demand No. 41--Tribal Areas Sub-Plan

लेखा 1984-85 Accounts	बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate		पुनरीकृत अनुमान 1985-86 Revised Estimate	
योजनेतर आयोजना Non-Plan Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan
.. ..	..	1,68,64	..	1,68,64
.. ..	..	1,68,64	..	1,68,64
.. ..	..	79,50	..	79,50
.. ..	..	49,07	..	49,07
.. ..	..	1,28,57	..	1,28,57
.. ..	..	2,97,21	..	2,97,21
.. ..	..	43,50	..	43,50
.. ..	..	23,61	..	23,61
.. ..	..	67,11	..	67,11

## आवास एवं पर्यावरण विभाग :

## राजस्व अनुभाग :

## आवास :

## आवास योजनाएं

## आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना

## योग—एक—राजस्व अनुभाग

## पूंजी अनुभाग :

## ऋण :

## आवास के लिये कर्ज :

## आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना

## 684—नगर विकास के लिये कर्ज

## 01 सामान्य

## 04 अन्य व्यय

## योग—दो

## योग—13

## स्थानीय शासन विभाग :

## राजस्व अनुभाग :

## नगर विकास :

## सामान्य :

## आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

## पूंजी अनुभाग :

## ऋण :

## नगर विकास के लिये कर्ज :

## आदिवासी क्षेत्र उप योजना

## योग—14

(अंकड़े हजार रुपयों में)  
(Rupees in thousand)

Head	बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate		
	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
13—Housing and Environment Department Revenue Section HOUSING Housing Schemes. Tribal Areas Sub-Plan	..	1,75,00	1,75,00
Total I—Revenue S	..	1,75,00	1,75,00
Capital Section— Loans— LOANS FOR HOUSING Tribal Areas Sub-Plan	..	1,08,50	1,08,50
684—Loans for Urban Development 01 GENERAL 04 Other Expenditure	..	34,24	34,24
Total—11	..	1,42,74	1,42,74
Total—13	..	3,17,74	3,17,74
14—Local Government Department Revenue Section URBAN DEVELOPMENT GENERAL Tribal Areas Sub-Plan	..	46,00	46,00
Capital Section Loans LOANS FOR URBAN DEVELOPMENT. Tribal Area Sub-Plan	..	22,16	23,16
Total—14	..	68,16	68,16

सिंचाई विभाग				
सिंचाई, नौ-परिवहन, जल-निकासी और बाढ़-नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय :				
..	..	22,66,25	..	23,58,25
..	..	31,75	..	71,75
..	..	22,98,00	..	23,90,00
..	..	22,98,00	..	23,90,00
योग—दो—पूँजी अनुभाग				
सिंचाई विभाग				
लघु सिंचाई निर्माण कार्य विभाग :				
लघु सिंचाई				
..	..	6,47,97	..	5,60,97
..	..	..	..	..
..	..	6,47,97	..	5,60,97
योग—एक—राजस्व अनुभाग				
दो—पूँजी अनुभाग				
लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण व क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
..	..	29,26	..	29,26
..	..	29,10,00	..	29,10,00
..	..	29,39,26	..	29,39,26
..	..	..	..	..
..	..	35,87,23	..	35,00,23
योग 16—लघु सिंचाई निर्माण कार्य विभाग				
खनिज साधन विभाग :				
राजस्व अनुभाग :				
खाने और खनन :				
71,30	..	93,54	..	86,64

13— Irrigation Department—				
[533]	CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION, NAVIGATION, DRAINAGE AND FLOOD CONTROL PROJECTS	..	..	..
(05)	Tribal Areas Sub-plan	..	..	..
001	Medium Construction	..	23,50,00	23,50,00
002	Medium Survey	..	20,00	20,00
Total II—Capital Section		..	23,70,00	23,70,00
(15)	Irrigation Department	..	23,70,00	23,70,00
16—	Minor Irrigation Construction work Department.	..	..	..
[306]	MINOR IRRIGATION	..	..	..
(09)	Tribal Area Sub-Plan (AGRI).	..	7,72,00	7,72,00
	Tribal Area Sub-Plan (Irrigation)	..	..	..
Total—I—Revenue Section		..	7,72,00	7,72,00
Capital Section				
[506]	CAPITAL OUTLAY ON MINOR IRRIGATION, SOIL CONSERVATION AND AREA DEVELOPMENT	..	..	..
(04)	Tribal Area Sub-Plan (Agri)	..	44,00	44,00
	Tribal Area Sub-Plan (Irrigation)	..	..	..
	voted	..	30,99,00	30,99,00
	charged	..	1,00	1,00
Total II—Capital Section		Voted ...	31,43,00	31,43,00
		Charged	1,00	1,00
Total 16—Minor Irrigation Construction Works Deptt.		..	..	..
17—	Mineral Resources Department—	..	..	..
Revenue Section				
[328]	MINES AND MINARLS	..	..	..
(09)	Tribal Areas Sub-Plan	..	1,03,17	1,03,17

मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  
Demand No. 41—Tribal Area Sub-Plan

(आंकड़े हजार रुपये में)  
(Rupees in Thousands)

लेखा 1984-85		बजट अनुमान 1985-86		दुनरोक्षित अनुमान 1985-86		शोध	Head	बजट अनुमान 1986-87		
Accounts		Budget Estimate		Revised Estimate				Budget Estimate		
आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan			आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
..	..	..	93,54	..	..	योग—17—	..	..	..	..
..	..	..	3,12,30	..	3,12,30	स्कूल शिक्षा विभाग :	18	School Education Department		
..	..	..	1,06,00	..	1,06,00	राजस्व अनुभाग		Revenue Section		
..	..	..	6,00	..	6,00	शिक्षा :	[277]	EDUCATION		
..	..	..	72,00	..	..	प्राथमिक :	01	Primary		
..	..	..	..	..	..	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	(09)	Tribal Area Sub-Pinn	..	5,91,48
..	..	..	..	..	..	ख—माध्यमिक :	02	Secondry	..	50,53
..	..	..	..	..	..	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना	(10)	Tribal Area Sub-Plan	..	50,53
..	..	..	..	..	..	विशेष शिक्षा	03	Special Education	..	..
..	..	..	..	..	..	सामान्य :	08	General—	..	..
..	..	..	..	..	..	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना	(06)	Tribal Area Sub-Plan	..	10,00
..	..	..	..	..	..	जोड़िय + महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के लिये एक मुश्त प्रावधान		Aid+Lump-sum pyovision for additional instalments af D, A,	..	1,00
..	..	..	4,96,30	..	4,24,30	योग—277	..	Total—277—	..	6,53,61

कला तथा संस्कृति :				[ 278 ] ART AND CULTURE			
..	..	..	..	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना	..	(06) Tribal Areas Sub-Plan	..
..	..	4,96,30	..	योग—राजस्व अनुभाग	..	Total,—Revenue Section	.. 6,53,61 6,53,61
..	..	4,24,30	..		..		
पूँजी धनभाग :				II—Capital Section			
(एक)—पूँजी लेखा				(One) Capital Account			
शिक्षा कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत				[ 477 ]	Capital outlay on Education, Arts & culture.		
परिव्यय							
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना							
..	..	..	..	योग—	Total—18	..	.. 6,53,61 6,53,61
..	..	4,96,30	..	19—विधि तथा विधायी कार्य विभाग :	19—Law and Legislative Affairs Department	..	.. 6,53,61 6,53,61
..	..	4,24,30	..				
एक—राजस्व अनुभाग :				I—Revenue Section—			
252—सचिवालय सामान्य सेवार्थे				[ 252 ]	Secretariat General Services		
..	1,66	..	2,20	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	..	Tribal Areas Sub Plan	.. 2,70 2,70
..	..	..	..	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण :	[ 288 ]	SOCIAL SECURITY AND WELFARE	
..	..	..	..	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम	05	Other Social Security and Welfare Programmes—	
..	..	..	9,10	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना	(06)	f—Tribal Areas Sub-Plan	.. 10,30 10,30
..	1,66	..	11,30	योग—19	Total, 19	..	.. 13,00 13,00
..	..	..	..	20—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग :	20—Panchayat and Rural Development Department—		
एक—राजस्व अनुभाग :				I—Revenue Section—			
कृषि :				[ 305 ]	AGRICULTURE		
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				(22)	Tribal Areas Sub-Plan		
..	5,67,97	..	5,41,44	सूखा उन्मुख क्षेत्रों में कार्यक्रम	001	Drought Prone Area Programme .. 5,40,00 5,40,00	
..	..	..	50,00	ग्रामीण यांत्रिकी कार्यक्रम	002	Rural Engineering Programme .. 2,360,00 2,36,00	
..	5,67,97	..	5,91,44	योग—305	Total—305	..	.. 7,76,00 7,76,00
..	..	..	..				
सामुदायिक विकास :				[ 314 ] COMMUNITY DEVELOPMENT			
क—सामान्य :				01 A—General—			
..	..	1,42,01	..	1,02,49 आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना	(05)	Tribal Areas Sub-Plan .. 3,68,28 3,68,28	



संख्या 41--आदिवासी क्षेत्र उप योजना

Demand No. 41—Tribal Areas Sub Plan

(आंकड़ें हजार रुपये में)

(Rupees in thousands)

संख्या	1984-85	बजट अनुमान	1985-86	पुनरीकृत अनुमान	1985-86	शीर्ष	Head	बजट अनुमान	1986-87	
Accounts		Budget Estimate		Revised Estimate				Budget Estimate		
आयोजन	आयोजन	आयोजन	आयोजन	आयोजन	आयोजन			आयोजन	आयोजन	योग
Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan			Non-Plan	Plan	Total
..	..	..	52,00	..	52,00	ख--सामुदायिक विकास कार्यक्रम :	02 B—Community Development Programmes—	..	..	..
..	..	..	6,75,20	..	6,75,20	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना ..	(15) Tribal Areas Sub-Plan ..	..	55,00	55,00
..	..	..	15,02,00	..	13,01,00	ग--ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम :	03 Rural Works Programme—	..	..	..
..	..	..	23,71,21	..	21,30,69	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना ..	(09) Tribal Areas Sub-Plan ..	..	7,75,00	7,75,00
..	..	..	2,61,57	..	2,53,44	घ--राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ..	04 D—National Rural Employment Programmes	..	14,32,00	14,32,00
..	..	..	32,24,22	..	28,66,31	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना ..	(18) Tribal Area Sub-Plan	..	..	..
..	..	..	92,53	..	92,53	योग-314- सामुदायिक विकास ..	Total—314—Community Development	..	26,30,28	26,30,28
..	..	..	92,53	..	92,53	321-ग्राम और लघु उद्योग	321—VILLAGE AND SMALL SCALE INDUSTRIES	..	..	..
..	..	..	33,16,75	..	..	ज-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना ..	h—Tribal Aribal Area Sub Plan	..	3,28,59	3,28,59
..	..	..	..	..	..	योग-एक--राजस्व अनुभाग ..	Total—I—Revenue Section ..	..	37,34,87	37,34,87
..	..	..	..	..	..	पूँजी अनुभाग:	Capital Section	..	..	..
..	..	..	..	..	..	पूँजी लेखा :	Capital Account	..	..	..
..	..	..	..	..	..	521-ग्राम लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	(521) Capital out lay on village and Small Scale Industries	..	40,54	40,54
..	..	..	..	..	..	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	Tribal Area Sub Plan	..	..	..
..	..	..	..	..	..	योग (एक) पूँजीलेखा	Total (one) Capital Account	..	40,54	40,54
..	..	..	..	..	..	योग-20 ..	Total -20 ..	..	..	..

प्रकाशन विभाग :			
राजस्व अनुभाग :			
सूचना और प्रकाशन :			
14,70	15,03	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना	..
<hr/>			
आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा, कल्याण विभाग :			
राजस्व अनुभाग :			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण :			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण :			
22,29,15	20,22,03	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना	.. ..
<hr/>			
समाज कल्याण :			
2,71,30	2,71,30	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना	..
<hr/>			
25,00,45	22,93,33	योग—288	..
<hr/>			
सामुदायिक विकास :			
सामुदायिक विकास कार्यक्रम :			
22,80	22,80	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	.. ..
<hr/>			
25,23,25	23,16,13	योग—एक—राजस्व अनुभाग	
<hr/>			
दो—पूजा अनुभाग :			
(एक)—पूजा लेखा :			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूजा-गते परिव्यय :			
अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम :			
1,60,86	3,21,86	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना	..

21—	Publicity Department—		
	I—Revenue Section—		
[285]	INFORMATION AND PUBLICITY		
(15)	Tribal Area Sub-Plan	.. ..	22,80 22,80
<hr/>			
22—	Tribal Harijan and Backward classes Welfare Department—		
	I—Revenue Section—		
[288]	SOCIAL SECURITY AND WELFARE—		
03	c—Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes :		
(08)	Tribal Areas Sub-Plan	.. ..	30,26,66 30,26,78
<hr/>			
04	Social Welfare—		
(11)	Tribal Areas Sub-Plan	.. ..	2,95,80 2,95,80
<hr/>			
	Total—288	.. ..	33,22,58 33,22,58
<hr/>			
[314]	COMMUNITY DEVELOPMENT		
02	Community Development Programm		
(15)	Tribal Areas Sub-Plan	.. ..	33,40 33,40
<hr/>			
	Total—Revenue Section	.. ..	33,55,98 33,55,98
<hr/>			
	II—Capital Section—		
	(One) Capital Account		
[488]	CAPITAL OUTLAY ON SOCIAL SECURITY AND WELFARE—		
05	Other Social Security and Welfare Programme—		
(05)	Tribal Areas Sub-Plan	.. ..	2,69,50 2,69,50

मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उप-योजना  
Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan

वर्ष 1984-85 Accounts		बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate		पुनरीकृत अनुमान 1985-86 Revised Estimate		शीर्ष	Head	बजट अनुमान 1986-87 Budget Estimate		
आयोजन-र Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन-र Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन-र Non-Plan	आयोजना Plan			आयोजन-र Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
..	13,30	..	13,30	(क)—ऋण :		(Two) Loans				
..	1,74,16	..	3,35,16	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये कर्ज		[ 688 ] LOA'S FOR SOCIAL SECURITY AND WELFARE	..	13,30	13,30	
..	26,97,41	..	26,51,29	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना :		(06) Tribal area Sub-Plan	..			
..		..		योग—पूँजी अनुभाग ..		Total—II—Capital Section	..	2,82,80	28,2,80	
..		..		योग—22 ..		Total—22	..	36,38,78	36,38,78	
..		..		समाज कल्याण विभाग :		23— Social Welfare Department—				
..		..		राजस्व अनुभाग :		Revenue Section—				
..		..		शिक्षा :		[ 277 ] EDUCIONAT				
..	73,44	..	82,48	विशेष शिक्षा .. ..		03 Special Education	..	87,50	87,50	
..		..		सामाजिक सुरक्षा और कल्याण :		[ 288 ] SOCIAL SECURITY AND WELFARE—				
..		..		समाज कल्याण :		04 Social Welfare—				
..	37,23	..	29,48	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना ..		(11) Tribal Areas Sub-Plan	..	51,00	51,00	
..	1,10,67	..	1,11,96	योग—23 ..		Total—23	..	1,38,50	1,38,50	
..		..		पर्यटन विभाग :		24— Tourism Department—				
..		..		राजस्व अनुभाग :		Revenue Section—				
..		..		पर्यटन :		[ 339 ] TOURISM—				
..	1,50	..	1,50	आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना ..		07 Tribal Areas Sub-Plan	..	2,00	2,00	

दो—पूजी अनुभाग :  
(एक) —पूजी लेखा :  
544—अन्य परिवहन और संचार सेवाओं पर  
पूजीगत परिव्यय :

..	41,66	..	41,66
..	41,66	..	41,66
..	43,16	..	43,16

द—आदिवासी क्षेत्र उप-आयोजना ..  
योग—दो—पूजी अनुभाग ..  
योग—24 ..

25—आयकट विभाग  
एक—राजस्व अनुभाग  
308—क्षेत्र विकास  
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना ..  
योग—एक—राजस्व अनुभाग

..	76,04	..	12,55
..	76,04	..	12,55

दो पूजी अनुभाग  
537—सड़कों और पुलों पर पूजीगत परिव्यय

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  
योग दो पूजी अनुभाग  
योग 25—आयकर विभाग

..	7,604	..	12,55
----	-------	----	-------

26—वित्त विभाग :  
दो—पूजी अनुभाग  
(एक) पूजी लेखा  
530—औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश  
अन्य निवेश

..	..	..	..
..	50,00	..	50,00
..	50,00	..	50,00
..	50,00	..	50,00

02—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना ..  
(दो)—ऋण :  
730—औद्योगिक वित्तीय संस्थानों के लिये कर्ज  
02—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना ..  
योग दो—पूजी अनुभाग ..  
योग—26 ..

II—Capital Section—  
(One) Capital Account  
544—CAPITAL OUTLAY ON  
OTHER TRANSPORT  
AND COMMUNICATION  
SERVICES—

f—Tribal Areas Sub-Plan	..	43,00	43,00
Total—II—Capital Section	..	43,00	43,00
Total—24	..	45,00	45,00

25—Ayacut Department  
One—Revenue Section  
308—Area Development  
Tribal Areas Sub-Plan

Tribal Areas Sub-Plan	..	2,00	2,00
Total—25—I—Revenue Section	..	2,00	2,00

Two—Capital Section  
537—Capital outlay on Roads &  
Bridges

Tribal Areas Sub-Plan	..	75,00	75,00
Total—II—Capital Section	..	75,00	75,00
Total—25—Ayacut Dept	..	77,00	77,00

26—Finance Department :  
II—Capital Section  
(One) Capital Account  
[530]—Investment in Industrial  
Financial Institutions

02—Tribal Areas Sub-Plan	..	..	..
(Two)—Loans	..	..	..
[730]—Loans to Industrial Financial Institutions	..	..	..
02—Tribal Areas Sub-Plan	..	50,00	50,00
Total—II—Capital Section	..	50,00	50,00
Total—26	..	50,00	50,00

मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र परियोजना  
Demand No. 41—Tribal Areas Sub-Plan

(प्रांकड़ें हजार रुपयों में)  
(Rupees in thousands)

लेखा 1984-85 Accounts	बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate	पुनरीक्षित अनुमान 1985-86 Revised Estimate	शीर्ष	Head	बजट अनुमान 1986-87 Budget Estimate	
आयोजनतर आयोजना Non-Plan Plan	आयोजनेतर आयोजना Non-Plan Plan	आयोजनेतर आयोजना Non-Plan Plan			आयोजनेतर आयोजना Non-Plan Plan	योग Total
			संस्कृति विभाग :	27—Culture Department :		
			राजस्व अनुभाग	Revenues Section ;		
			कला और संस्कृति :	[278] Art & Culture .. .. .		
..	19,62	..	19,17	(09) Tribal Area Sub-Plan .. .. .	..	20,50 20,50
..	19,62	..	19,17	Total—27 .. .. .	..	20,50 20,50
			योग—27	28—SPORTS AND YOUTH WELFARE		
			खेल और युवक कल्याण	Revenue Section		
			राजस्व अनुभाग	[277] EDUCATION		
..	10,25	..	10,25	-07 Sports Youth Welfare .. .. .	..	12,00 12,00
..	10,25	..	10,25	Total—28 .. .. .	..	12,00 12,00
			योग—28	29—Higher Education Department ..		
			उच्च शिक्षा विभाग	[277] Education		
			शिक्षा	-05 University and Other Higher		
..	76,00	..	73,00	Education		
..	76,00	..	73,00	(10) Tribal Area Sub-Plan .. .. .	..	1,18,10 1,18,10
			योग 29	Total 29 .. .. .	..	1,18,10 1,18,10
			30—जनशक्ति नियोजन विभाग एवं तकनीकी	30 Man Power Planning Department		
			शिक्षा	and Technical Education		
			शिक्षा	[277] Education		
..	83,02	..	1,00,85	-06 Technical Education.		
..	83,02	..	1,00,85	(73) Tribal Area Sub-Plan .. .. .	..	79,03 79,03
			योग—29	287] LABOUR AND EMPLOYMENT		
			श्रम और रोजगार	02 Employment and Training		
..	5,73	..	5,71	(06) Tribal Area Sub-Plan .. .. .	..	6,88 6,88
..	5,73	..	5,71	Revenue Section .. .. .	..	6,88 6,88
..	88,75	..	1,06,56	योग—एक—राजस्व अनुभाग	..	85,91 85,91

पूँजी अन्न खाँग				(Two) Loans					
..	..	..	3,00	..	3,00	..	..	6,66	6,66
..	..	..	91,75	..	1,16,68	..	..	91,75	91,75
..	..	..	5,45	..	5,45	..	..	5,60	5,60
..	..	..	5,45	..	5,45	..	..	5,60	5,60
..	..	..	8,00	..	8,00	..	..	77,98	77,98
..	..	..	8,00	..	8,00	..	..	77,98	77,98
..	..	..	13,45	..	13,45	..	..	83,98	83,98
..	..	..	1,41,31,42	..	1,30,30,06	..	..	1,74,88,19	1,74,88,19
..	..	..	1,01,16,10	..	1,03,44,35	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	1,00	1,00
..	..	..	2,42,47,52	..	2,33,74,41	..	..	96,01,64	96,01,64
..	..	..	..	..	..	..	..	2,70,89,83	2,70,89,83
..	..	..	..	..	..	..	..	1,00	1,00

टीप:-उपरोक्त अनुमानों में निम्न दर्शाई गई पुनर्प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में व्यय की कमी के रूप में समायोजित किया गया है.

Note:—The above estimates do not include the recoveries shown below which are adjusted in the accounts in reduction of expenditure

संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  
Demand No. 41 - Tribal Area Sub-Plan

(आंकड़े हजार रुपये में)  
(Rupees in thousands)

लेखा 1984-85 Accounts	बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate	पुनरीक्षित अनुमान 1985-86 Revised Estimate	शीर्ष	Head	बजट अनुमान 1986-87 Budget Estimate		
आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan		आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
			एक—राजस्व अनुभाग	I—REVENUE SECTION			
			2. वन विभाग	2-- Forest Department			
			वन	[313] Forest			
		2,20,57	आदिवासी क्षेत्र आयोजन	21-- Tribal Areas Sub Plan	..	—2,64,00	—2,64,00
			वन विकास निधि से पूरा किया गया व्यय	Expenditure met from the Forest Development Fund			
			4. उर्जा विभाग	4-- Energy Department			
			वैज्ञानिक सेवायें और अनुसंधान	[279] SCIENTIFIC SERVICES AND RESEARCH			
			अन्य वैज्ञानिक सेवायें	(03) Other Scientific Services			
			गैर परम्परागत उर्जा साधन	(04) Non Conventional Energy Source	..	—59,16	—59,16
			ऊर्जा विकास निधि से पूरा किया गया व्यय	Expenditure met from the Energy Development Fund			
			एक राजस्व अनुभाग	22—Tribal Harijan and Backward classes welfare Department :			
			आदिमजाति हरिजन	Capital Section			
			तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण	[488] Capital outlay on Social Security and welfare:			
			विभाग :	Construction of educational building against recoveries of			
			पूजा अनुभाग	Mining Cess			
			सामाजिक सुरक्षा				
			और कल्याण पर				
			पूजागत परिव्यय:				
			खनिज उपकरण की				
			बसूली के विरुद्ध				
			शक्तिगत भवनों का				
			निर्माण				

..	..	(-) 3,00,00	..	(--)	3,00,00	लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पञ्जीगत पारव्यय	..	[506]	Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development.	..	(--)	2,00,00	(--)	2,00,00
						खनिज साधन विभाग	..		Mineral Resources Department					
..	..	(--)	..	(--)	22,00	खाने और खनिज पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	..	[328]	Mines and Minerals Panchayat and Rural Development Department	..	(--)	23,32	(--)	23,32
						सामुदायिक विकास	..	[314]	Community Development	..	(--)	1,19,62	(--)	1,19,62
						लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	..		Public Health and Family welfare					
						आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	..		Tribal area Sub-Plan					
						खनिज उपकर से व्यवस्थित व्यय	..		expenditure met from mineral Cess					
..	..	(-) 1,76,00	..	(--)	1,76,00	चिकित्सा	..	[280]	Medical	..	(--)	1,80,81	(--)	1,80,81
						उच्च शिक्षा विभाग	..		Higher Education Department					
						शिक्षा	..	[277]	Education					
..	..		..			आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	..		Tribal Area Sub-Plan	..				
..	..	8,57,32	..	(--)	8,30,87	योग—	..		Total	..	(--)	8,46,91	(--)	8,46,91





---

**मांग संख्या 64**

DEMAND No.

**अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना**

**SPECIAL COMPONENT PLAN FOR SCHEDULED CASTES**

---

## मांग संख्या 64

DEMAND No.

## अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

SPECIAL COMPONENT PLAN FOR SCHEDULED CASTES

I हरिजन विशेषांश योजना के संबंध में 31 मार्च 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिय आवश्यक धनराशि का अनुमान  
I Estimate of the amount required in the year ending on 31st March 1987 to defray the Charges in respect of Harijan Component Plan

	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	योग Total
मतदेय Voted	68,49,09	32,15,60	1,00,64,69
भारित Charged			

II उप-शीर्ष जिनके अन्तर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा.  
Sub-heads under which this grant will be accounted for

वर्ष 1984-85 Accounts	बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate	पुनरीक्षित अनुमान 1985-86 Revised Estimate	शीर्ष Head	बजट अनुमान 1986-87 Budget Estimate	(आंकड़े हजार रुपयों में) (Rupees in thousands)	
प्रायोजनेत्तर Non-Plan	प्रायोजना Plan	प्रायोजनेत्तर Non-Plan	प्रायोजना Plan	प्रायोजनेत्तर Non-Plan	प्रायोजना Plan	Total
			राजस्व विभाग 1—राजस्व अनुभाग : भू-राजस्व भू-अभिलेख			1—Revenue Department Revenue Section [ 229 ] Land Revenue ( 04 ) Land Records
..	..	9,15	..	..	4,57	.. 9,50 9,50
			2—वन विभाग : राजस्व अनुभाग : वन : शिक्षा और प्रशिक्षण बागान योजनाएँ जोड़िये-मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों के भुगतान हेतु एक मुक्त प्रावधान			2—Forest Department : Revenue Section [ 313 ] FOREST ( 03 ) Education and Training ( 04 ) Plantation Schemes Add—Lumpsum provision for payment of additional Initialment of Dearness Allowance
..	..	25,00	..	..	25,00	.. .. 20,40 20,40
..	..	2,84,00	..	..	2,77,00	.. .. 4,70,60 4,70,60
..	..	7,00	..	..	7,00	.. .. .. ..
..	..	3,16,00	..	..	3,09,00	.. .. 4,91,00 4,91,00
			योग—एक राजस्व अनुभाग			Total—I—Revenue Section

	पूँजी अनुभाग :	..			Capital Section			
	वन पर पूँजीगत परिव्यय :	..			[ 513 ] CAPITAL OUTLAY ON FOREST			
..	6,00	..	6,00	संचार तथा भवन	(05) Communication and Buildings	..	6,00	6,00
..	3,22,00	..	3,15,00	योग—2	Total- 2	..	4,97,00	4,97,00
	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	..			003 Commerce & Industry Department			
	राजस्व अनुभाग	..			Revenue Section			
	सहकारिता	..			[ 298 ] CO-OPERATION			
..	78,38	..	78,38	औद्योगिक सहकारी समितियां	(15) Industrial Co-operatives	..	1,09,49	1,09,49
				ग्राम और लघु उद्योग :	[ 321 ] VILLAGE AND SMALL SCALE INDUSTRIES.			
..	79,98	..	79,98	अन्य व्यय	(09) Other expenditure	..	1,69,25	1,69,25
..	1,58,36	..	1,58,36	योग—एक—राजस्व अनुभाग	Total—I—Revenue Section	..	2,78,74	2,78,74
				पूँजी अनुभाग :	Capital Section			
	पूँजी लेखा				Capital Account			
	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	..			[ 498 ] CAPITAL OUTLAY ON CO-OPERATION			
..	24,35	..	24,35	औद्योगिक सहकारी समितियां	(11) Industrial Co-operatives	..	3,44	3,44
				औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास पर पूँजीगत परिव्यय	[ 520 ] Capital outlay on Industrial Research & Department			
..	11,89	..	11,89	अन्य व्यय	Other Expenditure	..	15,67	15,67
				ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	[ 521 ] Capital outlay on Village & Small Industries			
..	11,13	..	11,13	औद्योगिके बस्तियां	(07) Industrial Estates	..	15,35	15,35

संख्या 64-- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
Demand No. 64—Special Component Plan for Scheduled Castes

(आंकड़े हजार रुपये में)  
(Rupees in thousand)

वर्ष 1984-85		बजट अनुमान 1985-86		दुनरीक्षित अनुमान 1985-86		बजट अनुमान 1986-87				
Accounts		Budget Estimate		Revised Estimate		Budget Estimate				
आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	शीर्ष	Heads	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
..	..	..	34,00	..	34,00	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिभ्यय	[ 526 ] CAPITAL OUTLAY ON CONSUMERS INDUSTRIES	..	..	..
..	..	..	81,37	..	81,37	योग—(एक)—पूँजी लेखा	Total—(one) Capital Account ..	..	34 46	34,46
..	..	..	21,17	..	21,17	ग्राम सहकारिता के लिये कर्ज : औद्योगिक सहकारी समितियाँ	[ 698 ] Loans LOANS FOR CO-OPERATION (77) Industrial Co-operatives ..	..	22,17	22,17
..	..	..	..	..	..	ग्राम और लघु उद्योगों के लिये कर्ज	721 Loans for Village and Small Industry	..	..	..
..	..	..	..	..	..	हाथ करवा उद्योग	(03) Handloom Industry	..	2,00	2,00
..	..	..	1,20	..	1,20	उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज :	[ 726 ] LOANS FOR CONSUMERS INDUSTRIES	..	3,60	3,60
..	..	..	22,37	..	22,37	योग (दो)—ऋण	Total—(Two) Loans ..	..	25,77	25,77
..	..	..	1,03,74	..	1,03,74	योग—पूँजी लेखा ..	Total—Capital Account ..	..	60,23	60,23
..	..	..	2,62,10	..	2,62,10	योग—3—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	Total—3—Commerce and Industries Department	..	3,38,97	3,38,97
..	..	..	..	..	..	कृषि विभाग :	4—Agriculture Department	..	..	..
..	..	..	..	..	..	राजस्व अनुभाग :	Revenue Section	..	..	..
..	..	..	..	..	..	कृषि :	[ 305 ] AGRICULTURE	..	..	..
..	..	..	..	..	..	निर्देशन एवं प्रशासन	(05) Direction and Administration	..	..	..
..	..	..	5,34	..	4,86	बीजों का संवर्धन और वितरण	(03) Multiplication and Distribution of Seeds.	..	5,20	5,20

..	..	..	2,22,82	..	1,14,15	अधिक उपज देनेवाली किस्मों का कार्यक्रम	..	..
..	..	..	10,00	..	10,00	पौध संरक्षण	..	..
..	..	..	24,26	..	12,68	वाणिज्यक फसलें	..	..
..	..	..	3,80	..	3,80	विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण	..	..
..	..	..	28,05	..	28,05	कृषि शिक्षा	..	..
..	..	..	25,96	..	25,96	कृषि इंजिनियरिंग	..	..
..	..	..	1,24,14	..	77,63	बागवानी	..	..
..	..	..	54,77	..	45,84	अन्य व्यय	..	..
..	..	..	5,42,24	..	3,66,07	योग—305	..	..
भूमि तथा जल संरक्षण								
..	..	..	8,68	..	8,68	भूमि संरक्षण योजना	..	..
..	..	..	19,00	..	15,89	अन्य व्यय	..	..
..	..	..	27,68	..	24,57	योग—307—भूमि तथा जल संरक्षण	..	..
क्षेत्र विकास								
..	..	..	8,40	..	..	शुष्क भूमि का विकास	..	..
..	..	..	8,40	..	..	योग—308—क्षेत्र विकास	..	..
..	..	..	8,52,69	..	3,90,64	योग—राजस्व अनुभाग	..	..
दो—पूँजी अनुभाग								
..	..	..	6,10	..	5,55	कृषि पर पूँजीगत परिव्यय	..	..
..	..	..	6,10	..	5,55	क-बीज	..	..
..	..	..	..	..	..	योग 505—कृषि पर पूँजीगत परिव्यय	..	..
..	..	..	..	..	..	लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण एवं क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	..	..
..	..	..	..	..	..	भू-संरक्षण योजनाएँ	..	..
..	..	..	1,02,12	..	40,00	लघु सिंचाई, भू-संरक्षण एवं क्षेत्र विकास के लिये कर्जे	..	..
..	..	..	1,08,22	..	45,55	भू-संरक्षण योजनाएँ	..	..
..	..	..	6,86,54	..	4,00,19	योग—दो—पूँजीगत अनुभाग	..	..
..	..	..	..	..	..	योग—4—कृषि विभाग	..	..

(05)	Manures and Fertilizers	..	43,00	43,00
(06)	High yielding varieties programme	..	2,54,18	2,54,18
(07)	Plant protection	..	19,00	19,00
(08)	Commercial Crops	..	1,46,14	1,46,14
(11)	Extension and farmers Training	..	17,75	17,75
(12)	Agriculture education	..	24,53	24,53
(13)	Agriculture Engineering	..	25,95	25,95
(17)	Horticulture	..	1,12,48	1,12,48
(18)	Other expenditure	..	58,01	58,01
Total—305		..	7,06,24	7,06,24
<b>307 SOIL AND WATER CONSERVATION</b>				
(02)	Soil Conservation Scheme	..	8,68	8,68
(03)	Other expenditure	..	..	..
Total—307—Soil and Water Conservation.		..	8,68	8,68
<b>308 Area Development</b>				
Development of Dry land				
Total—308 Area Development		..	..	..
Total-I—Revenue Section		..	7,14,92	7,14,92
<i>Capital Section</i>				
505	Capital Outlay on Agriculture Seeds	..	5,47	5,47
(01)	Total—505 Col on Agriculture	..	5,47	5,47
506	Capital outlay on Minor Irrigation Soil Conservation and Area Development.	..	60,62	60,62
<b>706 LOAN FOR MINOR IRRIGATION, SOIL CONSERVATION AND AREA DEVELOPMENT</b>				
(02)	Soil Conservation Schemes.	..	50,00	50,00
Total—II—Capital Section		..	1,16,09	1,16,09
Total—4—Agriculture Department		..	8,31,01	8,31,01

भाग संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
Demand No. 64—Special Component Plan Scheduled Castes

(आंकड़े हजार रुपये में)  
(Rupees in thousands)

वर्ष 1984-85		बज. अनुमान 1985-86		पुनरीकृत अनुमान 1985-86		शीर्ष	Head	बजट अनुमान 1986-87		
Accounts		Budget Estimate		Revised Estimate				Non-Plan	Plan	Total
आयोजनेतर	आयोजना	आयोजनेतर	आयोजना	आयोजनेतर	आयोजना			आयोजनेतर	आयोजना	योग
Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan			Non-Plan	Plan	Total
						पशु धन विभाग :	5—Veterinary Department.			
						राजस्व अनुभाग	1 Revenue Section			
						पशुपालन :	310 Animal Husbandry			
..	..	..	..	..	..	पशु चिकित्सा और प्रशिक्षण	(1) Veterinary Education and training	..	..	..
..	..	..	32,84	..	33,00	पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य	(2) Veterinary Service and Animal health	..	35,25	35,25
..	..	..	37,47	..	37,56	पशु विकास	(03) Cattle Development	..	42,22	42,22
..	..	..	49,63	..	47,11	मुर्गीपालन विकास	(04) Poultry Development	..	49,43	49,43
..	..	..	2,50	..	2,50	भेड़ और ऊन विकास	(05) Sheep and Wool Development	..	2,50	2,50
..	..	..	5,60	..	5,60	सुअर पालन विकास	(06) Piggery Development	..	5,60	5,60
..	..	..	6,96	..	6,96	अन्य पशुधन विकास	(07) Other Animal Development	..	7,04	7,04
..	..	..	1,00	..	..	चारा और पोषण विकास	(08) Fodder and feed Development	..	..	..
..	..	..	1,36,00	..	1,32,73	योग—310—पशुपालन	Total-310—Animal Husbandry	..	1,42,04	1,42,04
..	..	..	1,36,00	..	1,32,73	योग—एक राजस्व अनुभाग	I—Revenue Section	..	1,42,04	1,42,04
						पूंजी अनुभाग	II—Capital Section	..	..	..
						पूंजी व्यय	I—Capital Account			
						पशुपालन पर पूंजीगत व्यय	510—Capital Outlay on Animal Husbandry.			
..	..	..	2,78	..	2,78	पशु विकास	(03) —Cattle Development	..	..	..
..	..	..	2,78	..	2,78	योग—दो—पूंजी अनुभाग	II—Capital Section	..	..	..
..	..	..	1,38,78	..	1,35,51	योग—5—पशुधन विकास	Total—5—Animal Husbandry	..	1,42,04	1,42,04

राजस्व अनुभाग :			I—Revenue Section—		
2,99	2,72	डेयरी विकास	[ 311 ] Dairy Development	4,00	4,00
2,99	2,72	डेयरी विकास	(02) Dairy Development	4,00	4,00
2,99	2,72	योग—ख—डेयरी विकास	Total—b—Dairy Development	4,00	4,00
2,99	2,72	योग—311—डेयरी विकास	Total—II—Dairy Development	4,00	4,00
2,99	2,72	एक—राजस्व अनुभाग	Total—I—Revenue Section	4,00	4,00
2,99	2,72	6—डेरी विभाग	Total—6—Dairy Department	4,00	4,00
10,00	10,00	7—मछलीपालन विभाग :	7—Fisheries Department		
26,50	16,75	एक—राजस्व अनुभाग :	I—Revenue Section		
6,28	3,50	मत्स्योद्योग :	[ 312 ] FISHERIES		
42,78	30,25	शिक्षा और प्रशिक्षण	(2) Education and Training	7,00	7,00
42,78	30,25	अन्तर्देशीय मछली पालन	(3) Inland Fisheries	29,70	29,70
		अन्य व्यय	(9) Other Expenditure	5,00	5,00
		योग—312—योग	Total—312—Fisheries	41,70	41,70
		योग—एक—राजस्व अनुभाग	Total—I—Revenue Section	41,70	41,70
		मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	II Capital Section;		
		म. प्र. राज्य मत्स्य विकास निगम की अंशपूंजी में	I Capital Account ;		
		धनवेष्टन	[ 512 ] Capital outlay on Fisheries ;		
		अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों के लिये फिशरीज	001 Share capital investment in M. P.		
		एस्टेट की स्थापना	Fisheries Development corporation.		
		योग—512—मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परि-	002 Establishment of Fisheries Estate	4,06	4,06
		व्यय	for the Scheduled Caste Fishermen		
		योग—दो—पूंजी अनुभाग	Total—512—Capital outlay on	4,06	4,06
42,78	30,25	वृहद—योग	Fisheries.		
42,78	30,25	योग—7—मछली पालन विभाग	Total—II—Capital Section	4,06	4,06
			Grand Total	45,76	45,76
			Total—7—Fisheries Department	45,76	45,76



संख्या 64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

Demand No 64—Special Component Plan for Scheduled Castes

(आंकड़ें हजार रुपयों में)  
(Rupees in thousands)

लेखा 1984-85		बजट अनुमान 1985-86		पुनरीक्षित अनुमान 1985-86		शीर्ष	Head	बजट अनुमान 1986-87		
Accounts		Budget Estimate		Revised Estimate				Budget Estimate		
आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan			आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
						सहकारिता विभाग	8—Co-operation Department			
						राजस्व अनुभाग	Revenue Section			
						सहकारिता :	[298] Co-operation			
..	..	..	1,19,22	..	1,19,22	ऋण सहकारी समितियां	(03) Credit Co-operatives ..	..	1,26,00	1,26,00
						पूँजी अनुभाग	Capital Section			
						पूँजी लेखा	Capital Account			
						सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	[498] Capital outlay on Co-operation			
..	..	..	80,00	..	80,00	ऋण सहकारी समितियां	(01) Credit Co-operatives ..	..	80,00	80,00
						कृषि पर पूँजीगत परिव्यय	[505] Capital outlay on Agriculture			
..	..	..	5,00	..	5,00	भण्डारण और संग्रहण	(09) warehousing and storage ..	..	10,00	10,00
..	..	..	85,00	..	85,00	योग (एक)—पूँजी लेखा	Total (one)—Capital Account	..	90,00	90,00
						ऋण :	Loans :			
						सहकारिता के लिए कर्ज	[698] Loans for Co-operation:			
..	..	..	1,10,00	..	1,10,00	ऋण सहकारी समितियां	(01) Credit Co-operatives ..	..	40,00	40,00
..	..	..	1,95,00	..	1,95,00	योग-दो—पूँजी अनुभाग	Total—II—Capital Section	..	1,30,00	1,30,00
..	..	..	3,14,22	..	3,14,22	योग-8—सहकारिता	Total—8—Co-operation	..	2,56,00	2,56,00

१-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
विभाग

राजस्व अनुभाग :

31,52	..	68,61	..	68,50
..	..	5,00	..	5,00
31,52	..	73,61	..	73,50

चिकित्सा :  
परिवार कल्याण

योग-१ .. ..

१—Public Health and Family  
welfare Department.

I—Revenue Section

[ 280 ]	280—MEDICAL	..	1,06,68	1,06,65
[ 281 ]	281—Family Welfare	..	5,00	5,00
	Total—9	..	1,11,65	1,11,65

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

राजस्व अनुभाग

लोक स्वास्थ्य सफाई और जल प्रदाय

..	..	..	..	..
..	..	1,94,38	..	1,94,38
..	..	30,00	..	30,00
..	..	2,25,00	..	2,25,00
..	..	4,49,38	..	4,49,38

मलव्ययन और जलप्रदाय .. ..  
मलव्ययन योजनाएँ .. ..  
नगर जल प्रदाय योजनाएँ .. ..  
पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएँ .. ..  
अन्य ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएँ .. ..

योग—राजस्व अनुभाग—एक—..

10—Public Health Engineering Department

01 Revenue section ;

[ 282 ] Public Health, Sanitation and water supply.

02	Sewerage and water supply	..	..	..
08	Sewerage Schemes	..	..	..
09	Urban water supply schemes	..	2,55,10	2,55,10
10	Rural piped water supply schemes..	..	20,00	20,00
11	Other Rural water supply schemes.	..	1,97,75	1,79,75

Total—I—Revenue Section .. 4,54,85 4,54,85

दो—पूंजी अनुभाग

(दो)—ऋण

लोक स्वास्थ्य सफाई और जलप्रदाय के लिए  
कर्ज

..	..	..	..	..
..	..	..	..	..

मलव्ययन योजनाएँ .. ..

Capital Account ;

(Two) Loans ;

[ 682 ] Public Health, Sanitation and water supply.

02 Sewerage schemes .. ..

भाग संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष, घटक योजना

Demand No. 64—Special Component Plan for Schedule Casts

(आंकड़े हजार रुपये में)  
(Rupees in thousands)

लेखा Accounts	1984-85	बजट अनुमान Budget Estimate	1985-86	पुनरोक्षित अनुमान Revised Estimate	1985-86	शेष	Head	बजट अनुमान 1986-87 Budget Estimate		
आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan			आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
..	..	..	1,88,40	..	1,88,40	नगर जल प्रदाय योजनाएँ	(03) urban water supply schemes	..	3,37,15	3,37,15
..	..	..	1,88,40	..	1,88,40	योग—दो—ऋण	Total Two Loan	..	3,37,15	3,37,15
..	..	..	1,88,40	..	1,88,40	योग—दो—पूँजी अनुभाग	Total II Capital Section	..	3,37,15	3,37,15
..	..	..	6,37,78	..	6,37,78	योग 10	Total—10	..	7,92,00	7,92,00
						11—स्थानीय शासन विभाग	II—Local Government Department			
						राजस्व अनुभाग	I—Revenue Section			
						नगर विकास	[284] URBAN DEVELOPMENT			
						सामान्य	01 GENERAL			
..	..	..	2,22,48	..	2,92,58	अन्य व्यय	(05) Other Expenditure	..	3,62,00	3,62,00
						दो—पूँजी अनुभाग :	II—Capital Section			
						(दो)—ऋण :	(Two) Loans			
						नगर विकास के लिये कर्जे :	[684] LOANS FOR URBAN DEVELOPMENT.			
..	..	..	1,12,74	..	13,431	नगर विकास	(01) Urban Development	..	1860	1860
..	..	..	335,22	..	4,26,89	योग—11	Total—11..	..	3,80,60	3,80,60
						सिखाई विभाग :	12—Irrigation Department	..	..	..
						राजस्व अनुभाग	I—Revenue Section	..	..	..
						लघु सिंचाई	306 Minor irrigation	..	..	..
						अन्य व्यय	07 Other expenditure	..	..	..

सिंचाई विभाग

Minor Irrigation Department

राजस्व अनुभाग

Revenue section

लघु सिंचाई

[306] Minor Irrigation

कृषि विभाग

Agriculture Department :

सतह जल संशोधन की योजनाएँ, कुओं और तालाबों का निर्माण तथा उन्हें गह्रण करना।

(01) Surface water resources and construction and deeping of wells and tanks.

2,74,58 .. 2,74,58

.. 3,39,00 3,39,00

85,00 .. 85,00

अन्य व्यय .. ..

(04) Other expenditure .. ..

.. 1,15,00 1,15,00

3,59,58 .. 3,59,58

योग—306—लघु सिंचाई .. ..

Total—306—Minor Irrigation .. ..

.. 4,54,00 4,54,00

3,59,58 .. 3,59,58

योग—1—राजस्व अनुभाग .. ..

Total I—Revenue Section .. ..

.. 4,54,00 4,54,00

पूंजी अनुभाग :

II—Capital Section

कृषि पर पूंजीगत परिव्यय

[505] Capital outlay on Agriculture

लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय :

[506] CAPITAL OUTLAY ON MINOR IRRIGATION, SOIL CONSERVATION AND AREA DEVELOPMENT.

18,62 .. 18,62

लघु सिंचाई—कृषि विभाग

1—Minor Irrigation—Agriculture Department ;

.. 28,00 28,00

1,50,00 .. 1,49,61

अन्य व्यय सिंचाई

(04) Other expenditure Irrigation

.. 2,50,00 2,50,00

1,68,62 .. 1,68,23

योग—दो—पूंजी अनुभाग .. ..

Total II—Capital Section

.. 2,78,00 2,78,00

5,28,20 .. 5,27,81

योग—12—लघु सिंचाई विभाग

Total—12—Minor Irrigation Deptt.

.. 7,32,00 7,32,00

मांग संख्या-- 64--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
 Demand No.--64--Special Component Plan for Scheduled-Castes

(आकड़े हजार रुपये में)  
 (Rupees in thousands)

वर्ष 1984-85 Accounts		बजट अनुमान, 1984-86 Budget Estimate		पुनरीक्षित अनुमान, 1985-86 Revised Estimate		शीर्ष	Heads	बजट अनुमान, 1986-87 Budget Estimate		
आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan			आयोजन Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
..	..	..	..	..	..	13-पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	13 Panchayat and Rural Development Department	..	..	..
..	..	..	..	..	..	एक-राजस्व अनुभाग	Revenue Section	..	..	..
..	..	..	..	..	..	सामुदायिक विकास	814 Community Development	..	..	..
..	..	..	..	..	..	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	02 Community Development Programme	..	..	..
..	..	..	..	..	..	पोषाहार	05 Nutrition	..	..	..
..	..	..	8,00	..	8,00	अन्य व्यय	14 Other expenditure	..	16,50	16,50
..	..	..	8,00	..	8,00	योग--ख	Total--B	..	16,50	16,50
..	..	..	..	..	..	ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम	03 Rural Works Programme	..	..	..
..	..	..	4,83,33	..	4,83,33	अन्य व्यय	08 Other expenditure	..	5,29,00	5,29,00
..	..	..	..	..	..	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	04 National Rural Employment Programme	..	..	..
..	..	..	6,30,00	..	6,30,00	अन्य व्यय	09 Other Expenditure	..	8,18,80	8,18,80
..	..	..	11,21,33	..	11,21,33	योग--314--सामुदायिक विकास	Total 314--Community Development	..	13,64,30	13,64,30
..	..	..	..	..	..	321-ग्राम और लघु उद्योग	[321] Village and Small Scale Industries	..	..	..
..	..	..	33,65	..	23,92	ज-रेशम उद्योग	h--Sericulture Industry	..	71,95	71,95
..	..	..	6,94,05	..	..	योग--राजस्व अनुमान	Total--Revenue Section	..	14,36,25	14,36,25
..	..	..	11,54,98	..	11,45,25	दो--पूंजी अनुभाग	II--Capital Section	..	..	..
..	..	..	..	..	..	(एक) पूंजी लेखा	(One) Capital Account	..	..	..
..	..	..	..	..	..	521-ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	521--Capital Outlay on Village and Small Scale Industries	..	..	..
..	..	..	25,10	..	25,10	ख--रेशम उद्योग	B--Sericulture Industry	..	14,54,35	14,54,35
..	..	..	11,80,08	..	11,70,35	योग--13	Total--13	..	14,54,35	14,54,35

राजस्व अनुभाग			
शिक्षा			
तकनीकी शिक्षा			
अभियांत्रिकी महाविद्यालय	4,48	..	4,48
श्रम और रोजगार			
श्रम			
श्रम और रोजगार			
अन्य व्यय			
रोजगार और प्रशिक्षण	6,50	..	4,95
दस्तकारी और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।			
योग एक राजस्व अनुभाग	10,98	..	..
पूजी अनुभाग			
ऋण			
सामाजिक सुरक्षा और व्यय के लिये कर्ज	2,00	..	2,00
अन्य कर्ज			
योग—14	12,98	..	..
सर्वोच्च जाति, होरजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग :			
राजस्व अनुभाग :			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण :			
समाज कल्याण	9,28,97	..	9,37,44
अन्य कार्यक्रम			
पूजी अनुभाग			
पूजी लेखा			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूजीगत परिव्यय	1,97,75	..	1,97,75
अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
बहुदयोग—15	11,26,72	..	11,34,19

14— Man Power Planning Department and Technical Education

[277] Revenue Section ; Education			
—06. Technical Education			
(06) Engineering Colleges	6,00	..	6,00
[287] Labour and Employment			
—01 Labour			
(14) Labour and Employment			
Other Employment	43	..	43
—02 Employment and Training			
(04) Training of craftsmen and supervisors	5,00	..	5,00
Total—1—Revenue Section	15,85	..	10,98
[688] Capital account			
(05) Loan for social security and welfare			
Other Loan	5,00	..	5,00
Total—14	22,85	..	12,98
15— Tribal, Harijan, and Backward classes Welfare—Department—			
[288] Revenue Section—			
SOCIAL SECURITY AND WELFARE—			
(04) Social Welfare	10,71,11	..	10,71,11
Other expenditure			
CAPITAL SECTION			
[488] One Capital Account			
Capital outlay on Social Security and welfare	1,99,95	..	1,99,95
Other Social Security and welfare Programme			
Grand Total—15	12,71,06	..	12,71,06

Sub National Systems Unit  
 National Institute of Educational Planning and Research  
 17-A, Barakhamba Road, New Delhi-110016  
 Dated: 13/12/86

डिमांड नं० 64—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

Demand No.—64 Special Component Plan for Scheduled Caste

(आकड़ हजार रुपयों में)

(Rupees in thousands)

लेखा 1984-84 Accounts		बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate		पुनरांक्षा अनुमान 1985-86 Revised Estimate		शीर्ष	Head	बजट अनुमान 1985-87 Budget Estimate		
आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan			आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	योग Total
..	..	..	43,08	..	43,63	समाजकल्याण विभाग राजस्व अनुभाग .. .. [ 277]	16—Social welfare Department Capital Section .. ..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	शिक्षा .. ..	Education .. ..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	विशेष शिक्षा .. .. —03	Special Education .. ..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	प्रौढ़ शिक्षा .. .. (01)	Adult Education .. ..	..	56,80	56,80
..	..	..	37,65	..	49,30	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। [ 288]	Social Security and welfare Minimum Needs programme 03	..	67,50	67,50
..	..	..	33,20	..	24,63	अन्य कार्यक्रम .. .. (01)	Other programmes .. ..	..	39,10	39,10
..	..	..	70,85	..	73,83	योग—288 .. ..	Total 288 .. ..	..	1,06,60	1,06,60
..	..	..	1,13,93	..	1,17,46	योग—16 .. ..	Total 16 .. ..	..	1,63,40	1,63,40
..	..	..	13,64,00	..	13,64,00	ऊर्जा विभाग : पूँजी अनुभाग ऋण विद्युत् परियोजनाओं के लिये कर्ज : [ 734]	17—Energy Department CAPITAL SECTION (Loans) LOANS FOR POWER PROJECTS	..	..	..
..	..	..	..	..	..	त्रिजली बोर्डों के लिये अन्य ऋण	Other loans to Electricity Boards	..	14,87,50	14,87,50
..	..	..	..	..	..	लोक निर्माण विभाग पूँजी अनुभाग पूँजी लेखा चिकित्सा पर पूँजीगत परिव्यय [ 480]	18—Public works Deptt. .. .. II Capital Section One—Capital Accounts Capital outlay on Medical .. ..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	एलोपैथी 01	Allopathy .. ..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	चिकित्सा सहायता (01)	Medical Relief .. ..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 002	Primary Health Centre .. ..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	भवन 27	Building .. ..	..	15,04	15,04
..	..	..	..	..	..	स्थापना प्रभार 28	Establishment Charges .. ..	..	2,14	2,14
..	..	..	..	..	..	औजार एवं संयंत्र प्रभार 29	T. & P. Charges .. ..	..	72	72
..	..	..	..	..	..	योग—480—चिकित्सा पर पूँजीगत परिव्यय	Total—480—Capital outlay on Medical .. ..	..	17,90	17,90

स्थापना, औजार एवं संयंत्र प्रभार की पुनर्प्राप्तियां मांग संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन के अन्तर्गत दर्शायी गयी है।

Recoveries of Estt. T & P charges have been shown under Demand No. 67—Public Works—Building





संख्या 64--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष षटक योजना

Dem. and No. 64— Special Component Plan for Scheduled Castes

(आंकड़े हजार रुपयों में)  
(Rupees in thousands)

लेखा 1984-85 Accounts		बजट अनुमान 1985-86 Budget Estimate		पुनरीक्षित अनुमान 1985-86 Revised Estimate		शीर्ष	Head	बजट अनुमान 1986-87 Budget Estimate		
आयोजनेतर Non-Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan	आयोजना Plan	आयोजनेतर Non-Plan			आयोजना Plan	योग Total	योग Total
..	..	..	4,90	..	5,13	प्रकाशन विभाग राजस्व अनुभाग सूचना और प्रचार जिला प्रचार इकाई .. ..	21—Publicity Department ; Revenue Section ; 285 Information and Publicity ; 001 District Publicity and Moblie unit ..	..	7,60	7,60
..	..	..	4 90	..	5,13	योग—21—प्रकाशन विभाग	Total—21—Publicity Department	..	7,60	7,60
..	..	..	7,40	..	4, 11	आयकट विभाग राजस्व अनुभाग क्षेत्र विकास अन्य व्यय हरिजन वाहुल्य क्षेत्रों में फसल प्रदर्शन	22—Ayacut Department ; Revenue Section 308 Area Development (05) Other Expenditure 001 Crop demonstration in Harijan Areas.	..	4,50	4,50
..	..	..	7,40	..	4, 11	योग—हरिजन वाहुल्य क्षेत्रों में फसल प्रदर्शन	Crop demonstration in Harijan Areas	..	4,50	4,50
..	..	..	7,40	..	4, 11	योग—राजस्व अनु भाग	Total—Revenue Section	..	4,50	4,50
..	..	..	..	..	..	पूंजी अनुभाग सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय जिला और अन्य सड़क ग्रामीण मार्ग हरिजन वाहुल्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य	Capital Section ; 537 Capital outlay on Roads and Bridge (06) District and Other Road 27 Rural Road (03) Construction of Roads. in Harijan Areas.	..	..	..
..	..	..	..	..	..	योग—दो—पूंजी अनुभाग ..	Total II Capital Section ..	..	6,65	6,75
..	..	..	7,40	..	4, 11	योग—22—आयकट विभाग	Total—22—Ayacut Department ..	..	11,25	11,25

				स्कूल शिक्षा				23—School Education :			
				स्कूल शिक्षा				Revenue Section			
				राजस्व अनुभाग :				[277] Education			
				शिक्षा .. .. .				-01 Primary	..	3,03,00	3,03,00
		2,37,70	..	2,37,70				001 Special Component Plan for Scheduled costs			
				प्राथमिक .. .. .				-02 Secondary			
				अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				Special Component Plan for for scheduled costs	..	51,42	51,42
		72,98	..	72,98				-03 Special Education	..		
				माध्यमिक				Add Lump-sum provision for additional instalment of D.A.	..	1,00	1,00
				अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना							
				विशेष शिक्षा .. .. .							
				जोड़ियेमहंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों के लिए एक मुस्त प्रावधान							
		1,00,00	..	..							
		4,10,68	..	3,10,68				Total-23	..	3,55,42	3,55,42
				उच्च शिक्षा विभाग				24—Higer Education			
				संक्षिप्त विवरण :				Revenue Section			
				राजस्व अनुभाग :				[277] Education			
				शिक्षा :				-05 University and Other Higher Education			
				विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा :				03 Government Colleges			
				सरकारी महाविद्यालय:				001 Arts Commerce and Sciences Colleges	..	18,00	18,00
		10,80	..	4,88							
				कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय							
		10,80	..	4,88				Total-24	..	18,00	18,00
				खेल और युवक कल्याण				25—Sport and Youth welfare.	..		
				शिक्षा				[277] Education	..		
				युवक कल्याण योजनाएं				09 Sports add Youth welfare			
		1,63	..	2,59				30 Youth welfare scheme	..		
				युवक कल्याण				001 Youth welfare	..	3,00	3,00
		1,63	..	2,59				Total—Youth welfare	..	3,00	3,00

@—प्रावधान, 16—समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत शामिल कर दर्शाया गया है।

भाग संख्या 64—अनुसूचित जातियों के विकास घटक योजना  
Demand No. 64—Special Component plan for sheduled castes

(घांके हज़ार रुपयों में)  
(Rupees in thousands)

लेखा 1984-85		बजट अनुमान 1985-86		पुनरीक्षित अनुमान 1985-86		बजट अनुमान 1986-87		
Account		Budget Estimate		Revised Estimate		Budget Estimate		
आयोजनेतर	आयोजना	आयोजनेतर	आयोजना	आयोजनेतर	आयोजना	आयोजनेतर	आयोजना	योग
Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan	Toto
..	65	..	1,04,48	..	1,04,48	..	..	..
..	65	..	1,04,48	..	1,04,48	..	..	..
..	76,71	..	1,53,65	..	1,53,65	..	..	..
..	16,71	..	1,53,65	..	1,53,65	..	..	..
..	1,48,71	..	2,58,13	..	2,58,13	..	..	..
..	..	..	2,91	..	2,00	..	..	..
..	..	..	..	..	2,71	..	..	..
..	..	..	..	..	2,71	..	..	..
..	..	..	55,37,33	..	52,66,81	..	..	..
..	..	..	27,27,45	..	26,69,74	..	..	..
..	..	..	82,64,78	..	79,36,55	..	..	..
नगरीय कल्याण विभाग						26	Urban Welfare Department	
राजस्व अनुभाग						I	Revenue Section	
आवास						[283]	Housing	
आवास योजनाएँ						02	Housing Schemes	
सामान्य						01	General	
गंदीबस्ती उन्मूलन योजना						03	Slum Clearance Scheme..	
योग आवास						Total—283 Housing		..
नगर विकास						[284]	Urban Development	
अनुदान						03	Grant—In—Aid	
योग—नगर विकास						Total		..
योग—नगरीय कल्याण विभाग						Total—284 Urban Welfare Department		..
विधि तथा विधायी कार्य विभाग						27	Law and Legislative Affair	
राजस्व अनुभाग						Revenue Section		..
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम						[288]	Social Security and welfare	
अनुसूचित जातियों के लिये विकास						05	Other social Security and welfare	
घटक योजना						07	Special comperent plan for schedule	
संस्कृति विभाग						28	—Culture Department	
कला और संस्कृति						[278]	Arts and Culture	
अन्य व्यय						06	Other Expenditure	
योग						Total—28		..
राजस्व						GAND TOTAL {		Revenue Section
पूँजी						Capital Section		..
योग						Total		..

## व्यय के अनुमानों का स्पष्टीकरणात्मक स्मृतिपत्र

## मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मांग संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बन्धित लोक निर्माण कार्य

मांग संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बन्धित लोक निर्माण कार्य

आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले संपूर्ण आयोजना व्यय को जो कि विभिन्न लेखों के शीर्ष और विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है, पृथक्तीन मांग संख्या के अन्तर्गत शामिल किया गया है प्रस्तुत मांगोंसे विभिन्न विभागों द्वारा 1986-87 में आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दर्शाया गया है जब कि इन योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण बजट अनुमानों के खण्ड 4 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में अलग से मुद्रित किया गया है। आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत निम्न विभागों के लिये प्रावधान रखा गया है:—

(आंकड़े हजार रुपयों में)

	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	योग
6. राजस्व विभाग .. .. .	2 76 45	..	27 645
2. वन विभाग .. .. .	19 08 41	90	19 0 931
3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग .. .. .	3 35 37	4 73 57	8 08 94
4. ऊर्जा विभाग .. .. .	59 16	21 25 00	21 84 16
5. कृषि विभाग .. .. .	22 46 66	2 19 31	24 65 97
कृ. पशु धन विभाग .. .. .	26 9 62	5 00	2 74 62
7. डेरी विकास विभाग .. .. .	2440	..	24 40
8. मछली पालन विभाग .. .. .	1 13 19	3 00	1 16 19
9. सहकारिता विभाग .. .. .	2 74 63	5 70 46	8 45 09
10. श्रम विभाग .. .. .	98	..	98
11. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .. .. .	13 33 80	5 00	13 38 80
12. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .. .. .	13 06 50	23 50	13 30 00
13. आवास एवं पर्यावरण विभाग .. .. .	1 75 00	1 42 74	3 17 74
14. स्थानीय शासन विभाग .. .. .	46 00	22 16	68 16
15. सिंचाई विभाग .. .. .	..	23 70 00	23 70 00
16. लघु सिंचाई निर्माण कार्य विभाग .. .. .	7 72 00	31 54 00	39 16 00
17. खनिज साधन विभाग .. .. .	1 03 17	..	1 03 17
18. स्कूल शिक्षा विभाग .. .. .	6 53 61	..	6 53 61
19. विधि तथा विधायी कार्य विभाग .. .. .	13 00	..	13 00.
20. पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग .. .. .	47 34 87	40 54	37 75 41
21. सूचना तथा प्रकाशन विभाग .. .. .	22 80	..	22 80
22. आदिम जाति तथा हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	33 55 98	2 82 80	37 38 78
23. समाज कल्याण विभाग .. .. .	1 38 50	..	1 38 50
24. पर्यटन विभाग .. .. .	2 00	43 00	45 00
25. आयाकट विभाग .. .. .	2 00	75 00	77 00
26. वित्त विभाग .. .. .	..	50 00	50 00
27. संस्कृति विभाग .. .. .	20 50	..	20 50
28. खेल और युवक कल्याण विभाग .. .. .	12 00	..	12 00
29. उच्च शिक्षा विभाग .. .. .	1 18 10	..	1 18 10
30. जनशक्ति नियोजन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग .. .. .	85 91	6 66	92 57
31. नगरीय कल्याण विभाग .. .. .	83 58	..	83 58

योग—41 .. 1 74 88 19 96 02 64 2 70 90 82

मांग संख्या 42 .. .. . 22 25 51 21 35 25 21 10 00  
 मांग संख्या 68 .. .. . 7 97 53 7 04 81 9 38 27

## DEMAND No.41—TRIBAL AREAS SUB-PLAN

DEMAND No.42—P.W.D. WORKS PERTAINING TO TRIBAL AREAS  
SUB-PLANDEMAND No.68—P.W.D. WORKS PERTAINING TO TRIBAL AREA  
SUB-PLAN

Expenditure pertaining to the Tribal Areas Sub-Plan incurred by the various departments under the different heads of accounts was hitherto provided for under the respective demands for grants pertaining to that department. The entire expenditure relating to the sub-plan has been included in three separate demands for grants. Demand No.41 includes expenditure other than expenditure on 'Public Works' viz. Roads & Bridges and Building Works. The expenditure on 'Public Works' is provided under demand No.42 and 68. The three demands included in Volume III of the budget estimate indicate the summary of the expenditure while the details of the expenditure are included in Volume IV of the budget estimate. The following expenditure is provided in the budget for 1986-87 for the Tribal Areas Sub-Plan relating to different departments :—

Figures in thousands of Rupees  
Revenue Account    Capital Account    Total

## Demand No. 41 :

1. Revenue Department	..	..	..	2,76,45	..	2,76,45
2. Forest Department	..	..	..	19,08,41	90	19,09,31
3. Commerce and Industry Department	..	..	..	3,35,37	4,73,57	8,08,94
4. Energy Department	..	..	..	59,16	21,25,00	21,84,16
5. Agriculture Department	..	..	..	22,46,66	2,19,31	24,65,97
6. Animal Husbandry Department	..	..	..	2,69,62	5,00	2,74,62
7. Dairy Development Department	..	..	..	24,40	..	24,40
8. Fisheries Department	..	..	..	1,13,19	3,00	1,16,19
9. Co-operation Department	..	..	..	2,74,63	5,70,46	8,45,09
10. Labour Department	..	..	..	98	..	98
11. Public Health and Family Welfare Department	..	..	..	13,33,80	5,00	13,38,80
12. Public Health Engineering Department	..	..	..	13,06,50	23,50	13,30,00
13. Housing and Environment Department	..	..	..	1,75,00	1,42,74	3,17,74
14. Local Government Department	..	..	..	46,00	22,16	68,16
15. Irrigation Department	..	..	..	..	23,70,00	23,70,00
16. Minor Irrigation Construction Works Department	..	..	..	7,72,00	31,44,00	39,16,00
17. Mineral Resources Department	..	..	..	1,03,17	..	1,03,17
18. Education Department	..	..	..	6,53,61	..	6,53,61
19. Law and Legislative Affairs	..	..	..	13,00	..	13,00
20. Panchayat and Rural Development Department	..	..	..	37,34,87	40,54	37,75,41
21. Publicity Department	..	..	..	22,80	..	22,80
22. Tribal Harijan and backward class welfare	..	..	..	33,55,98	2,82,80	36,38,78
23. Social Welfare Department	..	..	..	1,38,50	..	1,38,50
24. Tourism Department	..	..	..	2,00	43,00	45,00
25. Ayacut Department	..	..	..	2,00	75,00	77,00
26. Finance Department	..	..	..	..	50,00	50,00
27. Culture Department	..	..	..	20,50	..	20,50
28. Sports and Youth Welfare	..	..	..	12,00	..	12,00
29. Higher Education Department	..	..	..	1,18,10	..	1,18,10
30. Manpower Planning and Technical Education	..	..	..	85,91	6,66	92,57
31. Urban Welfare Department	..	..	..	83,58	..	83,58
Total-41			..	1,74,88,19	96,02,64	2,70,90,82
DEMAND No.42	..	..	..	22,25,51	21,35,25	21,10,00
DEMAND No.68	..	..	..	7,97,53	7,04,81	9,38,27

व्यय के अनुमानों का सटीकरणत्मक स्मृति-पत्र  
मांग संख्या 64--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

हरिजनों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा हरिजनों पर किये जाने वाला व्यय जो विभिन्न-खों के शीर्ष से और विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है इस मांग संख्या के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। इनयोजनाओं का सम्पूर्ण विवरण बजट अनुमानों के खण्ड 5 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना में अलग से मुद्रित किया गया है। प्रस्तुत मांग संख्या से विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 1986-87 के लिये विशेष घटक योजना में व्यय हेतु निम्न विभागों के लिये प्रावधान रखा गया है:—

	राजस्व व्यय	पूँजीगत परिव्यय	योग
1. राजस्व विभाग	9 50	..	9 50
2. वन विभाग	4 91 00	6 00	4 97 00
3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	2 78 74	62 23	3 40 97
4. कृषि विभाग	7 14 92	1 16 09	8 31 01
5. पशु घन विभाग	1 42 04	..	1 42 04
6. डेअरी विकास विभाग	4 00	..	4 00
7. मछली पालन विभाग	41 70	4 06	45 76
8. सहकारिता विभाग	1 26 00	1 30 00	2 56 00
9. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1 11 65	..	1 16 65
10. लोक स्वास्थ्य एवं ग्रामिकी विभाग	4 54 85	3 37 15	7 92 00
11. स्थानीय शासन विभाग	3 62 00	18 60	3 80 60
13. सिंचाई विभाग	4 54 00	2 78 00	7 32 00
13. पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	14 36 25	18 10	14 54 35
14. जनशक्ति नियोजन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	11 43	5 00	16,43
15. आदिमजाति तथा हरिजन कल्याण विभाग	10,71,11	1,99,95	12,71,06
16. समाज कल्याण विभाग	1,63,40	..	1,63,40
17. ऊर्जा विभाग	..	14,87,50	14,87,50
18. लोक निर्माण विभाग	..	3,92,90	3,92,90
19. श्रम विभाग	25,60	..	25 60
20. आवास एवं पर्यावरण विभाग	1,75 00	1,53,27	3,28 27
26. सूचना तथा प्रकाशन विभाग	7,60	..	7 60
22. आयाकट विभाग	4 50	6,75	11,25
23. स्कूल शिक्षा विभाग	3,55,42	..	3,55 42
24. उच्च शिक्षा विभाग	18,00	..	18 00
25. खेल और युवक कल्याण	3,00	..	3 00
26. नगरीय कल्याण विभाग	3,81,60	..	3,81 60
27. विधि तथा विधायी कार्य विभाग	3,00	..	3,00
28. संस्कृति विभाग	2,78	..	2,78

योग 68,49,09 32,15,60 1,00,64,69

**DETAILED MEMORANDUM EXPLANATORY OF ESTIMATES  
OF EXPENDITURE**

**Demand No. 64—Special Component Plan for Scheduled Castes**

Plan provision for expenditure relating to Harijan Welfare pertaining to various departments under various heads of account have been made under this Demand in the budget. The details of expenditure is included in Volume V—Special Component Plan for Scheduled Castes. The following expenditure is provided in the budget for 1986-87 for special Component Plan for Scheduled Castes relating to different departments —

	Revenue Account	Capital Account	Total
1. Revenue Department .. ..	9,50	..	9,50
2. Forest Department .. ..	4,91,00	6,00	4,97,00
3. Commerce and Industry Department .. ..	2,78,74	62,23	3,40,97
4. Agriculture Department .. ..	7,14,92	1,16,09	8,31,01
5. Animal Husbandry Department .. ..	1,42,04	..	1,42,04
6. Dairy Development Department .. ..	4,00	..	4,00
7. Fisheries Department .. ..	41,70	4,06	45,76
8. Co-operation Department .. ..	1,26,00	1,30,00	2,56,00
9. Public Health & Family Welfare Department .. ..	1,11,65	..	1,11,65
10. Public Health Engineering Department .. ..	4,54,85	3,37,15	7,92,00
11. Local Self Government Department .. ..	3,62,00	18,60	3,80,60
12. Irrigation Department .. ..	4,54,00	2,78,00	7,32,00
13. Panchayat and Rural Development Department .. ..	14,36,25	18,10	14,54,35
14. Manpower Employment and Technical Education .. ..	11,43	5,00	16,43
15. Tribal and Harijan Welfare Department .. ..	10,71,11	1,99,95	12,71,06
16. Social Welfare Department .. ..	1,63,40	..	1,63,40
17. Energy Department .. ..	..	14,87,50	14,87,50
18. Public Works Department .. ..	..	3,92,90	3,92,90
19. Labour Department .. ..	25,60	..	25,60
20. Housing and Environment Department .. ..	1,75,00	1,53,27	3,28,27
21. Information and Publicity Department .. ..	7,60	..	7,60
22. Ayacut Department .. ..	4,50	6,75	11,25
23. School Education Department .. ..	3,55,42	..	3,55,42
24. Higher Education Department .. ..	18,00	..	18,00
25. Sports and Youth Welfare .. ..	3,00	..	3,00
26. Urban Welfare Department .. ..	3,81,60	..	3,81,60
27. Law and Legislative Affairs .. ..	3,00	..	3,00
28. Culture Department .. ..	2,78	..	2,78
<b>Total .. ..</b>	<b>68,49,09</b>	<b>32,15,60</b>	<b>1,00,64,69</b>

(आंकड़े हजार रुपयों में)

क्रमांक (1)	विवरण (2)	आवर्ती (3)	अनावर्ती (4)	योग (5)
मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उप-योजना				
1. राजस्व विभाग :				
229—भू-राजस्व				
राज्य आयोजना				
41-1	संभागीय मुख्यालय पर कार्यालय भवन का निर्माण	..	1,00	1,00
41-2	20 सूत्री कार्यक्रम सेल का निर्माण	48	22	70
41-3	चांदा पत्थरों की स्थापना	..	2,38	2,38
41-4	बाडमा मशीन	..	8,24	8,24
41-5	मटवारी तथा राजस्व एवं निरीक्षकों के लिये आवास भवनों का निर्माण	..	4,00	4,00
41-6	हल्काबंदी योजना	4,50	..	4,50
योग		4,98	15,84	20,82
3—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग :				
320—उद्योग (राज्य आयोजना)				
41-7	अलीराजपुर क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना	..	5	5
520—औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास पर पूंजीगत परिव्यय-राज्य आयोजना				
41-8	म. प्र. औद्योगिक विकास निगम की ग्रंथपूजी में धनवेष्टन	..	1,09,98	1,09,98
521—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय.				
41-9	औद्योगिक क्षेत्रासंस्थानों में विकास एवं निर्माण कार्य एवं शेड निर्माण	..	3,00	3,00
बृहद योग-राज्य आयोजना		..	1,13,03	1,13,03
भारत शासन से प्राप्त अलावा राशियां				
321—ग्राम और लघु उद्योग				
41-10	हस्तशिल्प विकास निगम की विकास योजनायें	..	1,00,00	1,00,00
41-11	व्यक्तिगत कारीगरों को इकाई स्थापित करने हेतु अनुदान	..	25,93	25,93
41-12	अंबर बुनाई प्रशिक्षण योजना	..	21,19	21,19
41-13	ग्राम शिल्प विक्रय भंडार	..	12,96	12,96
41-14	पोली वस्त्र उत्पादन	..	7,00	7,00
41-15	उपयोजनाओं के संस्थापन व्यय की पूर्ति	..	4,30	4,30
योग-321-भारत शासन से प्राप्त अलावा राशियां		..	1,71,38	1,21,38
5—कृषि विभाग :				
305—कृषि				
केन्द्र क्षेत्रीय योजनायें				
41-16	दलहन मिनिक्लिटस का वितरण	5,08	..	5,08
योग-41-305 केन्द्र क्षेत्रीय		5,08	..	5,08



1	3	3	4	5
6-पशुधन विभाग :				
510-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय				
41-17-म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हेतु अंशपूजी	..		5,00	5,00
7-डेरी विकास विभाग :				
311-डेयरी विकास (राज्य आयोजना)				
41-18-गहड़ोल में 10,000 लीटर क्षमता की दुग्ध योजना का विस्तार	..		3,80	3,80
41-19-जगदलपुर में 10,000 लीटर क्षमता की दुग्ध योजना का विस्तार	90		10	1,00
41-20-दुग्ध योजना रायगढ़ के लिये पदों का निर्माण	..	90	10	1,00
41-21-दुग्ध योजना अंबिकापुर के लिये पदों का निर्माण	..	90	10	1,00
		कुल योग-311	2,70	4,10
				6,80
8-मछली पालन विभाग :				
मांग संख्या-41				
शीर्ष-312-मत्स्योद्योग				
आयोजना :				
41-22-बस्तर संभागीय इकाई का सुदृढीकरण	..	92	3,38	4,30
41-23-आदिवासी मछुआ सहकारी समितियों के 2000 सदस्यों के लिये मत्स्य जीवियों का जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा	24	..	..	24
41-25-राष्ट्रीय कल्याण निधि याजनान्तर्गत आदिवासी समितियों के सदस्यों हेतु आवास गृह निर्माण	..	..	5,05	5,05
			1,16	8,43
				9,59
शीर्ष-512-मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय				
आयोजना :				
41-26-राष्ट्रीय कल्याण निधि योजनान्तर्गत आदिवासी समितियों के सदस्यों के लिये अंशदान	..	..	3,00	3,00
			3,00	3,00
शीर्ष-312-मत्स्योद्योग (भारत सरकार से 3 लाखा राशिवां)				
आयोजना :				
41-27-आदिवासी मत्स्य पालकों के लिये फिशरीज एस्टेट की स्थापना	..	..	15,24	15,24
			15,24	15,24
9-सहकारिता विभाग				
मुख्य शीर्ष 298-सहकारिता-आयोजना				
-राज्य आयोजना-				
41-28-चलती फिरती दुकानों की स्थापना	..	..	5,00	5,00
		योग	5,00	5,00

1	2	3	4	5
निगम प्रवर्तित योजना				
41-29-	विधि विधायन इकाईयों की स्थापना .. ..	..	16,00	1,600
	योग ..	..	16,00	16,00
वृहद योग-41-298-सहकारिता .. ..				
		..	21,00	21,00
698-सहकारिता के लिये कर्जे-आयोजना				
निगम प्रवर्तित योजना :				
41-30	विधि विधायन उद्योग के विकास की योजना .. ..	..	44,00	44,00
	वृहद योग ..	..	65,00	65,00
11-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :				
280-चिकित्सा				
41-31-	आदिवासी क्षेत्र में 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	12,50	13,00	25,50
41-32-	30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	50,00	7,50	57,50
41-33-	280 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	19,40	3,60	25,00
41-34-	20 सिविल डिस्पेंसरी/लघु प्रा. स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वा. केन्द्रों में परिवर्तन.	9,00	2,00	11,00
41-35-	आदिवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 15 रोगी वाहनों का प्रदाय	1,00	16,50	17,50
41-36-	आदिवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 10 क्ष-किरण यंत्रों का प्रदाय.	50	9,00	9,50
41-37-	रामकृष्ण मिशन रायपुर को अनुदान .. ..	..	4,45	4,45
41-38-	भारत शासन की नीति अनुसार स्वेच्छक संस्थाओं का ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुदृढीकरण हेतु अनुदान.	5,55	..	5,55
41-39-	दण्डकारण्य परियोजना की चिकित्सा संस्थाओं को शासनाधीन लेने हेतु पदों का निर्माण आदि.	8,00	2,00	10,00
41-40-	सिविल हास्पिटल अलीराजपुर और मुख्य चिकित्सालय खरगोन में 100 एम. ए. क्ष-किरण यंत्र का प्रदाय.	50	5,50	6,00
41-41-5	रोगी वाहनों का जिला चिकित्सालय में प्रदाय ..	30	5,50	5,80
41-42-	महिला सहायक शल्य चिकित्सकों के पदों का निर्माण ..	2,00	..	2,00
41-43-	सहायक शल्य चिकित्सकों के पदों को समाप्त कर विशेषज्ञों के पदों का निर्माण.	90	..	90
41-44-	राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर आकस्मिक चिकित्सा इकाईयों की स्थापना	1,20	0,60	1,80
41-45-9	फिजीयो थेरापी यूनिट की स्थापना .. ..	50	50	1,00
41-46-5	जिला चिकित्सालयों में जनरेटरो की स्थापना ..	25	75	1,00
41-77	सोलर हाट वाटर (सौर ऊर्जा) संयंत्रों का जिला चिकित्सालयों में व्यवस्था.	..	2,00	2,00
41-18-	आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	3,50	1,50	5,00
41-49-	जिजा कार्यालयों का सुदृढीकरण ..	..	2,50	2,50
41-50-20	होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना .. ..	3,00	1,50	4,50
41-51-20	यूनानी औषधालयों की स्थापना .. ..	3,50	1,50	5,00
41-52-6	आयुर्वेदिक औषधालयों का सुदृढीकरण ..	..	2,50	2,50
41-53-50	आयुर्वेदिक औषधालयों का सुधार .. ..	..	4,00	4,00
41-54	संभागीय कार्यालय बस्तर की स्थापना .. ..	50	50	1,00
41-55-	होम्योपैथिक कालेज की स्थापना हेतु फर्नीचर/उपकरणों का क्रय ..	..	1,00	1,00

1	2	3	4	5
41-56-10	यूनानी औषधालयों का सुधार .. ..	..	50	50
41-57-2	जीप, गाड़ियों का प्रदाय .. ..	0,50	2,50	3,00
योग-280-चिकित्सा ..		1,22,60	92,90	2,15,50
282-लोक स्वास्थ्य सफाई एवं जलपूर्ति :				
41-58	मलेरिया कार्यक्रम के अधीन 3 (तीन) जीप, ट्रक का क्रय	30	3,20	3,50
41-59-33	मलेरिया निरीक्षकों का प्रा. स्वा. केन्द्रों पर पदों का निर्माण	2,80	20	3,00
41-60	मलेरिया यूनिट हेतु स्ट्रप पंप एवं माइक्रो स्लाइड का प्रदाय	..	5,50	5,50
योग-282-लो. स्वास्थ्य .. ..		3,10	8,90	12,00
12-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग				
282-लोक स्वास्थ्य सफाई और जल प्रदाय :				
41-61	से कम 2,00,00 आवादी वाले नगरीय नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में ट्यूबवेल हेतु ड्रिलिंग कार्य.	..	20,00	20,00
योग ..		..	20,00	20,00
1-506-लघु सिंचाई भूमि संरक्षण व क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
41-62	बैतूल जिले की घोड़ा डोगरी विकास खण्ड की रानीपुर जलाशय योजना	..	20,00	20,00
योग ..		..	20,00	20,00
17-खनिज साधन विभाग से सम्बन्धित व्यय :				
आयोजना				
41-63	खनिज उड़न दस्ते का निर्माण. .. ..	2,25	1,75	4,00
41-64	कोयले की चोरी रोकने के लिये विशेष उड़न दस्ता. ..	2,25	1,75	4,00
योग ..		4,50	3,50	8,00
18-स्कूल शिक्षा				
277-शिक्षा				
41-65	प्राथमिक माध्यमिक एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों में टाट-पट्टी का प्रदाय.	..	5,00	5,00
41-66	अच्छे परीक्षा परिणाम हेतु जिला स्तरीय पुरस्कार. ..	..	2,60	2,60
41-67-10	+ 2 शिक्षा पद्धति .. ..	20,00	..	20,00
41-68	स्कूलों में खेलों का प्रोत्साहन .. ..	50	..	50
41-69	जिला विकास खंड शिक्षा प्रशासन का पुनर्गठन ..	52,08	..	52,08
41-70	स्कूली छात्रों के लिये मध्याह्न आहार .. ..	..	1,70,00	1,70,00
योग ..		72,58	1,77,60	2,50,18

क्रमांक	विवरण	आवर्ती	अनावर्ती	योग
<b>20—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग:</b>				
314—सामुदायिक विकास				
41-71	ग्राम सहायकों के पद निर्माण	85,40	..	85,40
41-72	जिला पंचायतों को जीपी का क्रय	..	14,00	14,00
41-73	जिला पंचायतों के भवनों की मरम्मत	..	3,00	3,00
41-74	जिला पंचायतों के लिये भवनों का निर्माण	..	87,50	87,50
41-75	जिला जनपद तथा ग्राम पंचायतों के अशासकीय सदस्यों का प्रशिक्षण.	..	25,00	25,00
41-76	जनपद पंचायतों के लिये अमला	59,30	..	59,30
41-77	जिला पंचायतों के लिये अमला	3,15	..	3,15
	योग	1,47,85	1,29,50	2,77,35
<b>321—ग्राम और लघु उद्योग</b>				
राज्य आयोजना				
41-78	अंतरराज्यीय टसर प्रोजेक्ट का अधिग्रहण.	28,35	..	28,35
41-79	म नबरी विस्तार योजना	..	8,48	8,48
	योग-321-राज्य आयोजना	28,35	8,48	36,83
भारत शासन के प्राप्त अलावा राशियां				
41-80	मुद्रालय के सुदृढीकरण हेतु स्टाफ	10,65	..	10,65
41-81	रोटिंग प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	..	75	75
	योग-भारत सरकार से प्राप्त अलावा राशियां	10,65	75	11,40
	बृहद योग-321	39,00	9,23	48,23
<b>521—ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (भारत शासन से प्राप्त अलावा राशियां)</b>				
41-82-12	पायलट प्रोजेक्ट केन्द्रों की स्थापना	..	38,59	38,59
41-83	रेगुलेशन ककून मार्केट	..	1,95	1,95
	योग-521	..	40,54	40,54
<b>21—सूचना तथा प्रशासन विभाग:</b>				
शोर्ष-285				
41-84	रायपुर एवं इंदौर फिल्म यूनिट की स्थापना.	1,00	2,50	3,50
41-85	ग्रादिवासी क्षेत्रों में सूचना केन्द्रों का आयोजन	2,00	..	2,00
41-86	जगदलपुर (बस्तर) में भवन निर्माण	..	5,50	5,50
41-87	शिक्षात्रद फिल्मों का म. प्र. माध्यम से निर्माण	..	2,74	2,74
		3,00	10,74	13,74
<b>22—प्रादिन जाति हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग:</b>				
288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
राज्य आयोजना				
41-88	कन्या शिक्षा परिसर	2,70	2,60	5,30
41-89	आश्रम स्कून	25,77	8,23	34,00
41-90	प्राश्रम शाखाओं की क्रमोन्नति	6,83	8,17	15,00
41-91	बड़ी प्राश्रम शाखायें	45,50	35,50	81,00

(आंकड़े हजार रुपयों में)

1	2	3	4	5
41-92-क्रीड़ा परिसरों का पुनर्गठन .. .. .		30,75	5,90	36,65
41-93-पूर्व माध्यमिक छात्रावास खोजना तथा वर्तमान छात्रावासों का विस्तार.		23,05	14,35	37,40
41-94-साक्षरता प्रोत्साहन योजना .. .. .		10,00	..	10,00
41-95-कम्प्यूटराइजेशन .. .. .		..	1,50	1,50
पोवाहार :				
41-96-गोदामों का निर्माण .. .. .		..	15,25	15,25
भारत सरकार से अलावा राशियां :				
41-97-प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नति .. .. .		8,41	1,29	9,70
स्कूली शिक्षा आयोजना सीमा के अन्तर्गत :				
41-98-उच्चतर माध्यमिक शालायें .. .. .		19,84	15,81	25,65
41-99-10 + 2 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत कक्षाएँ. .. .. .		35,43	25,27	60,70
योग-288 .. .. .		2,08,28	1,23,87	3,32,15
भारत सरकार से अलावा राशियां				
शीर्ष-488. :				
41-100-प्रायोगिक प्रशिक्षण संस्था भवन .. .. .		..	30,00	30,00
कुल योग-22-प्राथमिक जाति कल्याण .. .. .		2,08,28	1,53,87	3,62,15
शीर्ष-314 :				
41-101-प्रादिवासी क्षेत्र विकास खण्डों के त्रिये जीपों का क्रय		..	32,00	32,00
23-समाज कल्याण विभाग				
288-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
41-102-कमला नेहरू स्मृति महिला, बाल कल्याण निधि का गठन.		5,00	..	5,00
24-पर्यटन विभाग				
शीर्ष-339-पर्यटन				
41-103-पर्यटन सुविधाओं के लिये स्थानीय संस्थाओं को अनुदान.		..	2,00	2,00
शीर्ष-544-अन्य परिवहन एवं संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय :				
41-104-न. प्र. पर्यटन विकास निगम के अंशपूजी में धनवेष्ठन		..	30,00	30,00
25-आयकट विभाग				
537-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय :				
41-105.-प्रादिवासी क्षेत्रों के अन्तराल ग्रामों के नालों पर रपटे एवं पुलियों का निर्माण ।		..	75,00	75,00
वर्ष 1986-87 के लिये नये मदों की सूची				
29-उच्च शिक्षा विभाग				
मांग संख्या 41-277 शिक्षा				
41-106.-प्रादिवासी क्षेत्र के महाविद्यालयों हेतु क्रीड़ा अधिकाधिकों के 24 पदों का सृजन ।		3,50	..	3,50
41-107.-प्रादिवासी क्षेत्र के महाविद्यालयों हेतु रजिस्ट्रार के चार पदों का निर्माण ।		60	..	60
41-108.-प्रादिवासी एवं सामान्य क्षेत्रों के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को निशुल्क पुस्तकों स्टेशनरी का प्रदाय-भारत शासन से प्राप्त अलावा राशियां ।		..	20,00	20,00
योग .. .. .		4,10	20,00	24,10

(आकड़े हजार रुपयों में)

क्र.	विवरण	आवर्ती	अनावर्ती	योग
30—जनशक्ति नियोजन विभाग और तकनीकी शिक्षा				
277—शिक्षा—06—तकनीकी शिक्षा—				
(13) आदिवासी उपयोजन				
41—109.	तकनीकी संस्थाओं के लिये उपकरणों का क्रय .. ..	..	9.20	9.20
41—110.	पोलीटेकनिक, अम्बिकापुर के लिये उपकरण आदि का क्रय ..	..	6.25	6.25
41—111.	शासकीय पोलीटेकनिक, झाबुआ के लिये उपकरण आदि का .. का क्रय।	..	7.00	7.00
41—112.	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना।	2.07	9.15	11.22
41—113.	इंजी. महा. रायपुर, जगदलपुर में कम्प्यूटर के रख-रखाव .. हेतु पदों का निर्माण	23	..	23
41—114.	पोलीटेकनिक, अम्बिकापुर में माइनिंग इंजी. का डिप्लोमा .. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना।	67	1.25	1.92
41—115.	तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के .. छात्रों के लिये पुस्तकों का क्रय।	..	5.85	5.85
41—116.	तकनीकी संस्थाओं के लिये स्टील बुककेस का क्रय .. ..	..	1.20	1.20
41—117.	राज्य के उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालयों में 10 + 2 .. की स्टेज में तकनीकी पाठ्यक्रम।	..	1.20	1.20
41—118.	राज्य में दो नये पोलीटेकनिकों की स्थापना ..	2.70	2.30	5.00
	कुल योग ..	5.67	43.40	49.07
31—नगरीय कल्याण विभाग :				
284—नगर विकास :				
41—119.	आदिवासी क्षेत्रों में स्टेप-अप कार्यक्रम .. ..	..	40.00	30.00
41—120.	आदिवा बाहुल्य क्षेत्रों में स्टेप-अप कार्यक्रम केन्द्रीय .. सहायता।	..	60.00	50.00
	योग—284—नगर विकास ..	..	1,00.00	80.00

वर्ष 1986-87 के लिये नवीन व्यय की सूची

(आंकड़े हजार रुपयों में)

अनुक्रमांक (1)	विवरण (2)	आवर्ती (3)	अनावर्ती (4)	योग (5)
मांग संख्या 64—हरिजन विशेषांश योजना				
1—राजस्व विभाग :				
229—भू-राजस्व :				
राज्य आयोजना :				
64-1	विभागीय योजना का प्रचार .. .. .	56	..	56
3—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग				
मुख्य शीर्ष 298—सहकारिता				
अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना :				
राज्य आयोजना :				
64-2	प्रोजेक्ट हाथकरघा, चम्बल .. .. .	..	5,25	5,25
64-3	विन्ध्याचल गोदाम प्रक्रिया इकाई .. .. .	..	7,50	7,50
64-4	परियोजना प्रशासन .. .. .	..	3,00	3,00
64-5	हाथकरघों का आधुनिकीकरण .. .. .	..	5,73	5,73
64-6	बुनकर आवास सह कर्मशाला .. .. .	..	10,00	10,00
योग—64—298—राज्य आयोजना .. .. .		..	31,48	31,48
321—ग्राम और लघु उद्योग :				
राज्य आयोजना :				
64-7	चर्म विकास निगम को सहायता .. .. .	..	36,75	36,75
321—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय :				
राज्य आयोजना :				
64-8	हरिजना आदिवासियों के लिये शेड्स का निर्माण .. .. .	..	1,00	1,00
698—सहकारिता के लिये कर्ज :				
64-9	संसाधन इकाइयों को माजिन मनी .. .. .	..	1,75	1,75
64-10	हाथकरघा प्रोजेक्ट चम्बल .. .. .	..	2,50	2,50
योग—698 .. .. .		..	4,25	4,25
721—और लघु उद्योगों के लिये कर्ज :				
64-11	लघु हाथकरघा फैक्ट्री योजना .. .. .	..	2,00	2,00
वृहद् योग—राज्य आयोजना .. .. .		..	75,48	75,48
अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना :				
भारत सरकार से अलावा राशियां :				
298—सहकारिता :				
64-12	हाथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु डी. आर. आई. के समान व्याज अनुदान । .. .. .	..	2,00	2,00
64-13	रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना .. .. .	..	5,00	5,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64-14-निष्क्रिय बुनकर सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने हेतु सहायता।		..	3,65	3,65
64-15-परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सहायता	..	..	5,00	5,00
64-16-बुनकर कॉलोनी, सह. कर्मशाला..	..	..	10,00	10,00
	योग—64-298	..	25,65	25,65
321—ग्राम और लघु उद्योग :				
64-17-हरिजन उत्थान हेतु विकास योजनाएँ	..	..	5,00	5,00
	वृहद् योग	..	30,65	30,65
4—कृषि विभाग :				
305—कृषि :				
केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएँ :				
64—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना :				
64-18-दलहन मिनीकिट्स का वितरण ..	..	..	2,70	2,70
	योग—64-305—केन्द्र क्षेत्रीय	..	2,70	2,70
6—डेपरी विकास विभाग				
311—डेरी विकास :				
64-19-हिरी (जिला रायगढ़) में शीत केन्द्र की स्थापना ..		..	3,30	3,30
7—मछलीपालन विभाग				
शीर्ष 312—मत्स्योद्योग				
आयोजना :				
64-20-अनुसूचित जाति की मछुआ सहकारी समितियों के 500 सदस्यों के लिये मत्स्य जीवियों का जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा।		6	..	6
64-21-राष्ट्रीय कल्याण निधि योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सहकारी समितियों की सहायता हेतु अंशदान।		..	82	82
	योग-312	..	6	88
शीर्ष 512—मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय				
आयोजना :				
64-22-अनुसूचित जाति मत्स्यपालकों के लिये फिशरीज एस्टेट की स्थापना।		..	4,06	4,06
	योग	..	4,06	4,06
9—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
280—चिकित्सा-आयोजना :				
64-23-दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	..	3,00	0,45	3,45
64-24-साठ उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	..	5,00	1,20	6,20
	योग	..	8,00	9,65



अनुक्रमांक	विवरण	आवर्ती	अनावर्ती	योग
<b>विशेष केन्द्रीय सहायता-280—चिकित्सा :</b>				
64-25	हरिजन बाहुल्य क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं को आवश्यक सामग्री, भोजन प्रदाय एवं औषधियों को प्रदाय किये जाने की अतिरिक्त व्यवस्था।	25,00	..	25,00
योग—विशेष केन्द्रीय सहायता		25,00	..	25,00
<b>10—लोक स्वास्थ्य यात्रिणी विभाग</b>				
282—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय				
64-26	नवीस हजार से कम आबादी वाले गरीब नगरपालिका क्षेत्रों में निक्षेप के रूप में ट्यूब वेल हेतु ड्रिलिंग कार्य।	..	30,00	30,00
64-27	मण्डला जल प्रदाय योजना	..	3,70	3,70
योग		..	33,70	33,70
682—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय के लिये कर्जे				
64-28	मण्डला जल प्रदाय योजना	..	30	30
कुल योग		..	34,00	34,00
<b>12—सिंचाई विभाग</b>				
506—लघुसिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय : आयोजना :				
64-29	हरिजन विशेषांश योजना के अन्तर्गत विदिशा जिले के कुरवाई विकास खण्ड में मालियाखेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना	..	3,00	3,00
योग		..	3,00	3,00
<b>13—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</b>				
321—ग्राम और लघु उद्योग : मलवरी विस्तार योजना :				
64-30	कृषकों को ट्रेनिंग, पौधरोपण, कांटिंग का परिवहन, कृषि उपकरण, नर्सरी कार्य।	..	3,40	3,40
64-31	ककून क्रय	..	3,00	3,00
64-32	बैल जोड़ी एवं बैल गाड़ियां	..	1,50	1,50
64-33	फर्नीचर एवं टाईपराइटर	..	2,00	2,00
64-34	परिवहन/वाहन क्रय	..	5,00	5,00
64-35	रिफॉर्मिंग उपकरण	..	2,18	2,18
योग—321—राज्य आयोजना		..	17,08	17,08
521—ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय : (भारत शासन से अलावा राशियां) :				
64-36	रेशम उद्योगों को बुनियादी सुविधाओं एवं निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की योजना।	..	18,10	18,10

क्रमांक	विवरण	आवर्ती	अनावर्ती	योग
15—आदिमजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग				
शीर्ष 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
राज्य आयोजना :				
64-37	पूर्व माध्यमिक तथा मैट्रिकोत्तर छात्रावासों की स्थापना	24.00	11.00	35.00
64-38	114 कन्या छात्रावासों में चौकीदार के पदों का निर्माण	4.90	..	4.90
64-39	छात्रावास/आश्रमों में साज-सज्जा का बदलाव	..	5.00	5.00
64-40	विभागीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों में साज-सज्जा का बदलाव।	..	5.00	5.00
64-41	अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिये छात्रावास व्यवस्था।	89	34	1.23
64-42	प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढीकरण	4.00	11.00	15.00
64-43	अशासकीय संस्थाओं को शैक्षणिक प्रवृत्तियों के लिये अनुदान।	1.50	1.00	2.50
64-44	धुमकड़ जातियों के बालक/बालिकाओं के लिये चलित शालाओं की स्थापना।	1.00	0.50	1.50
64-45	छात्रावास/आश्रम आदि शैक्षणिक संस्थाओं के सेवा सुधार हेतु स्वविवेकीय राशि।	..	10.00	10.00
केन्द्र प्रवर्तित योजना :				
64-46	नागरिक अधिकार संरक्षण के प्रचार-प्रसार की योजना	..	5.80	5.80
64-47	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर तथा भोपाल को सुदृढ करना।	4.50	1.50	6.00
64-48	कोचिंग कैम्प का आयोजन	..	1.50	1.50
वि शेष/केन्द्रीय सहायता :				
64-49	हरिजन विशेषांश योजना के कार्यक्रमों के अनुश्रवण/पर्यवेक्षण व्यवस्था को सुदृढ करना।	15.00	15.00	30.00
64-50	अनुसूचित जाति के परिवारों को धुआं रहित तथा उन्नत चूल्हों का प्रदाय।	..	5.00	5.00
योग		55.79	72.64	1,28.43
शीर्ष 488—पूँजीगत परिव्यय :				
64-51	बालक आश्रम/छात्रावास/प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र के भवनों का निर्माण।	..	42.95	42.95
64-52	कन्या छात्रावास/आश्रमों के भवनों का निर्माण	..	20.00	20.00
16—समाज कल्याण—				
288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—				
64-53	कमला नेहरू स्मृति महिला व बाल कल्याण निधि का गठन।	5.00	..	5.00
21—सूचना तथा प्रकाशन विभाग—				
शीर्ष 285				
64-54	मुरैना में सूचना केन्द्र की स्थापना	1,20	1,25	2,45
64-55	शिक्षाप्रद फिल्मों का मध्यप्रदेश माध्यम से निर्माण	..	3,60	3,60
मांग संख्या 64—285		1,20	4,85	6,05
22—आयकट विभाग				
537—सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय				
64-56	हरिजन विशेषांश योजना के अन्तर्गत ग्रामिण क्षेत्रों में नालों पर रपटे एवं पुल का निर्माण	..	6,75	6,75

क्रमांक	विवरण	आवर्ती	अनावर्ती	योग
मांग संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—				
23—स्कूल शिक्षा विभाग—				
राज्य आयोजना:				
शीर्ष—277				
64-57	प्राथमिक माध्यमिक एवं हायर सेकन्ड्री स्कूलों में टाटपट्टी का प्रदाय।	..	5,00	5,00
64-58	वर्ष 1985-86 में खोले गये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अमले की व्यवस्था।	7,38	2,10	9,48
64-59	वर्ष 1984-85 में खोले गये 269 पूर्व माध्यमिक तथा 1985-86 में खोले गये 163 पूर्व माध्यमिकशाला में क्रमागत स्टाफ।	2,00	31	2,31
		9,38	7,41	16,79
24—उच्च शिक्षा विभाग—				
277—शिक्षा—				
64-60	महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें/स्टेशनरी का प्रदाय भारत शासन से प्राप्त अलावा राशियां	..	10,00	10,00
योग ..		..	10,00	10,00
राजस्व अनुभाग:				
26—नगरीय कल्याण विभाग—				
284—नगर विकास—				
64-61	अनुसूचित तथा हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में स्टेप-अप कार्यक्रम।	..	60,00	60,00
64-62	अनुसूचित तथा हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में स्टेप-अप कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता।	..	50,00	50,00
योग ..		..	1,10,00	1,10,00

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	अनावृत्ति	योग
28—लोक निर्माण विभाग—				
480—चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय				
64—63	दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	..	3,00	3,00
64—64	चालीस उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	..	14,90	14,90
योग—विशेषघटक निर्माण		..	17,90	17,00
537—सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय				
64-65	सड़कें और पुलों का निर्माण	.. ..	15,00	15,00
योग. 64		1,07,69	4,99,76	6,07,45
योग, आयोजना		16,11,03	73,64,51	89,75,54
वृहद योग		16,60,14	80,24,89	96,85,03

## STATEMENT OF NEW EXPENDITURE FOR THE YEAR 1986-87

(Rupees in thousands)

S.No.	Description	Recurring	Non-Recurring	Total
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)
<b>Demand No.64—Special Component Plan for Scheduled Castes:</b>				
1—Revenue Department :				
229—LAND REVENUE :				
64-1	Publicity of Departmental Plan .. ..	56	..	56
3—COMMERCE AND INDUSTRIES DEPARTMENT				
<b>State Plan :</b>				
298—Co-operation :				
64-2	Handloom Project, Chambal .. ..	..	5,25	5,25
64-3	Godown Unit, Vindhyachal .. ..	..	7,50	7,50
64-4	Project Administration .. ..	..	3,00	3,00
64-5	Modernisation of Handloom .. ..	..	5,73	5,73
64-6	Weavers Residential-cum-Workshop .. ..	..	10,00	10,00
Total—298 State Plan .. ..		..	31,48	31,48
321—Village & Small Industries:				
<b>State-Plan :</b>				
64-7	Assistance to Leather Development Corporation .. ..	..	36,75	36,75
521—Capital Outlay on Village & Small Industries:				
<b>State-Plan :</b>				
64-8	Construction of Sheds for Harijan; Scheduled Tribes .. ..	..	1,00	1,00
698—LOANS FOR CO-OPERATION :				
<b>State-Plan :</b>				
64-9	Margin Money Loan to Processing Units .. ..	..	1,75	1,75
64-10	Handloom Project, Chaabal .. ..	..	2,50	2,50
Total—698 .. ..		..	4,25	4,25
721—LOANS FOR VILLAGE & SMALL INDUSTRIES :				
64-11	Scheme for Small Handloom Factory .. ..	..	2,00	2,00
Grand Total—State Plan .. ..		..	75,48	75,48
<b>Additive Fund :</b>				
298—CO-OPERATION :				
64-12	Interest subsidy for getting working capital by the Handloom Weavers in concessional rate at per with D.R.I. .. ..	..	2,00	2,00
64-13	Establishment of revolving fund .. ..	..	5,00	5,00
64-14	Strengthening of invoiible weavers Co-operative Societies. .. ..	..	3,65	3,65
64-15	Transportation facilities assistane .. ..	..	5,00	5,00
64-16	Weavers colony -cum-workshed .. ..	..	10,00	10,00
Total—698 .. ..		..	25,65	25,65
321—VILLAGE & SMALL INDUSTRIES :				
64-17	Uplift of Harijans .. ..	..	5,00	5,00
GRAND TOTAL .. ..		..	30,65	30,65

(Rupees in thousands)

S.No.	Description	Recurring	Non-Recurring	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>4—Agriculture Department :</b>				
<b>Central Sector Schemes:</b>				
<b>305—AGRICULTURE :</b>				
64-18	Distribution of Pulse Crops minikits ..	2,70	..	2,70
	Total—64-305—(C. Sector) ..	2,70	..	2,70
<b>6—Dairy Development Department</b>				
<b>311—DAIRY DEVELOPMENT :</b>				
64-19	Establishment of Chilling Centre at Hirri (Distt. Raigarh).	..	3,30	3,30
	Total—311 ..	..	3,30	3,30
<b>7 Fisheries Deptt.</b>				
<b>312—FISHERIES</b>				
<b>Plan :</b>				
64-20	Accidental Insurance of 500 members of Harijan Fishermen Co-operatives.	6	..	6
64-21	States Contribution to National Welfare Fund ..	..	82	82
	Total—312 ..	6	82	88
<b>512—CAPITAL OUTLAY ON FISHERIES :</b>				
<b>Plan :</b>				
64-22	Establishment of Fisheries Estate for Scheduled Castes Pisciculturists ..	..	4,06	4,06
	Total—412 ..	..	4,06	4,06
<b>9—Public Health and family welfare</b>				
<b>Plan</b>				
<b>280—MEDICAL :</b>				
64-23	Estt. of 2 Primary Health Centres ..	3,00	0,45	3,45
64-24	Estt. of 60 Sub-Health Centres ..	5,00	1,20	6,20
	Total ..	8,00	1,65	9,65
<b>Special Central Assistance</b>				
64-25	Providing of free Medicines, diet and other articles to the institutions functioning in over populated Scheduled Castes areas.	25,00	..	25,00
<b>10. Public Health Engineering Deptt :</b>				
<b>282—PUBLIC HEALTH, SANITATION AND WATER SUPPLY :</b>				
64-26	Drilling of Tube-Wells in Urban areas of Local Bodies in blow Twenty thousand Popudlated	..	30,00	30,00
64-27	Mandla Water Supply Scheme ..	..	3,70	3,70
	Total ..	..	33,70	33,70
<b>682—LOANS FOR PUBLIC HEALTH SANITATION &amp; WATER SUPPLY :</b>				
	Total ..	..	30	30
64-28	Mandla wartes Supply scheme	..	..	..
	Grant—Total ..	..	34,00	34,00

(Rupees in thousands)

S.No.	Description	Recurring	Non-Recurring	Total
<b>12—Irrigation Department :</b>				
<b>505—CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION, SOIL CONSERVATION AND AREA DEVELOPMENT :</b>				
<b>MINOR IRRIGATION :</b>				
<b>Plan :</b>				
64-29	Maliakhedi Lift Irrigation Scheme of Kurwai Development Sector of Distt. Vidisha under Harijan Component Plan.		3,00	3,00
Total—506..		..	3,00	3,00
<b>13—Panchayat and Rural Development Programme :</b>				
<b>321—VILLAGE AND SMALL INDUSTRIES :</b>				
<b>State Plan :</b>				
<b>Mulbary Extension Scheme :</b>				
64-30	Stipend for Agriculturist Transportation of Cutting Nursery and Agriculture Department .	..	..	..
64-31	Purchase of Cacoon .. .. .	..	3,40	3,40
64-32	Bulbs and Bullockcart .. .. .	..	3,00	3,00
64-33	Furniture and Typewriters .. .. .	..	1,50	1,50
64-34	Purchase of Motor Vehiclesdl .. .. .	..	2,00	2,00
64-35	Rearing implements .. .. .	..	5,00	5,00
		..	2,18	2,18
Total 321—State Plan		..	17,08	17,08
<b>521—CAPITAL OUTLAY ON VILJAGE AND SMALL INDUSTRIES:</b>				
64-36	Completion of incomplete works of basic facilities under Resham Industries.	..	18,10	18,10
<b>233—SOCIAL, SECURITY AND WELFARE :</b>				
64-37	Establishment of Middle and Higher Secondary Hostels.	24,00	11,00	35,00
64-38	Creation of 114 posts of Chowkidars for Girl Hostels	4,90	..	4,90
64-39	Change of equipments in Hostels; Ashrams .. .. .	..	5,00	5,00
64-40	Change of equipments in departmental training-cum-production Centres.	..	50,0	5,00
64-41	Hostel for children of unclean professional men ..	89	34	1,23
64-42	Strengthening of Administration .. .. .	4,00	11,00	15,00
64-43	Grant to nonGovernment body .. .. .	1,50	1,00	2,50
64-44	Moving Schools for Denotified and nomadic tribes	1,00	50	1,50
64-46	Discretionary Grant improvement in Educational Hostels; Ashrams.	..	10,00	10,00
<b>Central Sector Schemes :</b>				
64-47	Publicity of Civil Right Protection Act .. .. .	..	5,80	5,80
64-48	Strengthening at P.E.T. Centre .. .. .	4,50	1,50	6,00
64-49	Coaching Camps .. .. .	..	1,50	1,50
<b>Special Component Plan for Scheduled Castes:</b>				
64-50	Strengthening and Publicity of Special Component Plan Schemes.	15,00	15,00	30,00
64-51	Supply of Model Fire Plan to Scheduled Caste Family	..	5,00	5,00
Total—288 ..		55,79	72,64	1,28,43

(Figures in thousands)

S.No.	Description	Recurring	Non-Recurring	Total
<b>488—CAPITAL OUTLAY ON SOCIAL, SECURITY AND WELFARE :</b>				
64-52	Hostels Ashrams for training -cum-Production Censres.		42,95	42,95
<b>Central Sector Schemes :</b>				
64-53	Giri's Hostels; Ashrams .. .. .		20,00	20,00
<b>16—SOCIAL WELFARE DEPARTMENT</b>				
65-54	Kamla Nehru Memorial women and child Development Fund. Information and Publicity	5,00	..	5,00
64-55	Establishment of Information publicity Center at Morena	1,20	1,25	2,45
64-56	Preparation of Education Films through M. P. Madhyam. 22—Ayacut Department	..	3,60	3,60
<b>537—CAPITAL OUTLAY ON ROADS &amp; BRIDGES:</b>				
64-56	Construction bridgesou Nallas in Rural Areas under Harijan Component Plan	..	6,75	6,75
23—School Education—				
277— Education				
64-57	Supply of tatapatti to Primary, Middle and H. S. Schools.	..	5,00	5,00
64-58	Staff for H. S. Schools opening during the year of 1985-86.	7,38	2,10	9,48
64-59	Staff for sequential middle school opened during the year 84-85 (269) and she year 85-86 (163).	2,00	31	2,31
Total ..		9,38	7,41	16,79
24—Higher Education				
64-60	Free Suppy of Stationary Books to the students of scheduled castes studing in the Colleges—Addi amount received from the Government of India.	..	10,00	10,00
Total ..		..	10,00	10,00
26—Urban Welfare Department				
284—Urban Development.				
64-51	Step-up Programme in Harijan Component Areas	..	60,00	60,00
64-62	Step-up Programmes in Harijan Component Areas Central Assistance.	..	50,00	50,00
Total ..		..	1,10,00	1,10,00



**GRANT No.64—PUBLIC WORKS BUILDINGS**  
**480—CAPITAL OUTLAY ON BUILDINGS**

S.No	Subject	Recurring	Non-Recurring	Total
<b>28—Public Works Deptt.</b>				
<b>480—CAPITAL OUTLAY ON BUILDINGS</b>				
<i>Special component Plan for scheduled castes;</i>				
64-63	Construction of buildings of two Primary Health Centres.	..	3,00	3,00
64-64	Construction of buildings of 40 Sub-Health Centres.	..	14,90	14,90
Total		..	17,90	17,90
<b>537—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS</b>				
64-65	Construction of Roads and Bridges	..	15,00	15,00

## 1.—राजस्व विभाग :

शीर्षक—229—भू-राजस्व :

मद क्रमांक.—41—1 संभागीय स्तर पर निवास एवं कार्यालय भवनों का निर्माण :

संभागीय स्तर के भू-अभिलेख अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास हेतु नवीन आवास गृह उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त नये संभागीय मुख्यालयों पर कार्यालय स्थापित करने हेतु उचित भवन के अभाव में नये कार्यालय की स्थापना नहीं हो पाती। अधिकांश कार्यालय किराये के भवन में हैं। अतः निर्णय लिया गया है कि, वर्ष 1986-87 में रुपये, 1.00 लाख के व्यय के कार्यालय भवन का निर्माण किया जाय। अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 1.00 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक.—41—2—20 सूत्रीय कार्यक्रम सेल का निर्माण।]

मद क्र. 20 सूत्रीय कार्यक्रम को त्रियान्वित करने हेतु आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र.वाल्दियर में एक सेल निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिये निम्न पदों का निर्माण किया जावेगा:—

पद नाम	वेतनमान रुपये	पद संख्या
1. अधीक्षक (जिला केडर) .. .. .	900—1450	1
2. सहायक .. .. .	680—1060	1
3. उ. श्रे. लि. .. .. .	575—880	1
4. नि. श्रे. लि. कम हिन्दी टायपिस्ट .. .. .	515—800	2
5. स्टेनों टाईपिस्ट अंग्रेजी .. .. .	"	1
6. भूत्य .. .. .	380—495	2

इस प्रयोजन पर निम्नानुसार रुपये 70,00 का व्यय अनुमानित है:—

	रुपये
वेतन .. .. .	45,548
यात्रा व्यय	
कार्यालय व्यय :	1,500
फर्नीचर टाईपराईटर आदि तथा आवर्ती व्यय .. .. .	22,952
	<hr/>
	70,000

अतएव इस प्रयोजन के लिये रुपये 70,000 का प्रावधान किया जा रहा है।

मद क्रमांक.—41—3 चांदा पत्थरों की स्थापना :

आर. बी. सी. 4—1 योजना वर्ष 1964 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 152 नगरीय क्षेत्रों में विस्तृत भू-मापन किया गया है। 17 नगरों में चांदा पत्थरों की स्थापना की जाना है। इस पर आदिवासी क्षेत्रों के नगरों में रुपये 2.38 लाख का व्यय अनुमानित है। अतएव रुपये 2.38 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक.—41—4—ब्राडमा मशीन :

आदिवासी क्षेत्रों में ब्राडमा मशीनों के उपयोग हेतु सांख्यिकी त्रय करने के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में 8.24 लाख का प्रावधान किया जाता है।

मद क्रमांक.—41—5—आवास भवनों का निर्माण :

पटवारियों को एवं राजस्व निरीक्षकों को अपने-अपने हकों में रहना आवश्यक है परन्तु मुख्यालयों पर भवन उपलब्ध न होने से वे अपने मुख्यालयों से बाहर रहते हैं फलस्वरूप वह कृषकों को आसानी से नहीं मिल पाते इस कारण से मुख्यालयों पर कर्मचारी आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माण करने हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 4.00 लाख का प्रावधान किया जा रहा है।

मद क्रमांक.—41—6—हल्का बंदी

हल्काबंदी पुनरीक्षित योजना का त्रियान्वयन करने का निर्णय वर्ष 75-76 में लिया गया था। परन्तु विस्तीर्ण कठिनाईयों से योजना त्रियान्वित नहीं हो सकी भू-अभिलेख के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु पटवारी हल्कों की सीमाएं छोटी करने की दृष्टि से हल्काबंदी पुनरीक्षित पंचवर्षीय योजना तैयार कर छटी योजना में समाविष्ट करने भारत सरकार को भेजी, परन्तु योजना पूर्णतः स्वीकृत नहीं हुई। आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाना है।

इस योजना हेतु निम्न पदों का निर्माण कियत जाना है।

पद नाम	पद संख्या	वे तन-मान रुपये
1. सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	1 पद	740—1180
2. राजस्व निरीक्षक	5 पद	635—950
3. परिवारी	65 पद	515—800
4. चैतमैन	5 पद	380—495
5. भृत्य	1 पद	380—495
	<b>77 पद</b>	

इस पर निम्नानुसार रुपये 4,50,000 का व्यय अनुमानित है:—

	रुपये
1. कर्मचारियों का वेतन	2,38,830
2. मंहगाई भत्ता	109,938
3. चिकित्सा व्यय	5000
4. अवकाश यात्रा लियायत	2900
5. अन्य भत्ते	32,280
<b>योग</b>	<b>3,88,938</b>
यात्रा व्यय	25,000
कार्यालय व्यय	25,000
अन्य आकस्मिक व्यय	12,000
<b>योग</b>	<b>4,50,938</b>
	<b>या.</b>
	<b>4,50,000</b>

अतएव इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 4.50 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

### 3--वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

#### शीर्ष-320-उद्योग

मद क्रमांक--41-7--विद्युत संयोग हेतु व्यय को प्रतिपूर्ति :

झाबुआ जिन्डे के अलीराजपुर तहसील के 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित गांवों के साधन विकास करने की दृष्टि से आदिम जाति कल्याण एवं हरिजन पिछड़े विभाग ने सर्वेक्षण कराया है। सर्वेक्षण के मुख्य बिन्दु यह हैं कि इस क्षेत्र में आदिवासियों में अपराधिक प्रवृत्ति क्यों है और इसका निराकरण किस प्रकार हो सकता है। सर्वेक्षण के अनुसार उक्त विभाग ने चाहा है कि इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु नवीन स्थापित होने वाली इकाईयों को आसानी से एवं कम व्यय पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जावे। विद्युत मण्डल द्वारा इकाई को विद्युत कनेक्शन देने हेतु मुख्य लाइन के ट्रांसफार्मर से इकाई के स्थल तक बिछाई जाने वाली लाइन हेतु लगने वाले खर्च को एक निर्धारित राशि से अधिक की राशि उद्यमी को वहन करना पड़ती है, जो कि लघु उद्यमियों को विद्युत आधारित उद्योगों की स्थापना में एक प्रमुख बाधा है। इस योजना अनुसार अलीराजपुर जैसे पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय स्रोतों साधन (खनिज) पर आधारित रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना हेतु लघु उद्यमियों को उपरोक्त व्यय की प्रतिपूर्ति कराई जाना है, जिससे कि इस पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये उद्यमी आकर्षित हों एवं स्थानीय आदिवासी लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। उक्त योजना के लिये वर्ष 1986-87 में रुपये 5000 का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुदान में रु. 5000 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

मद क्रमांक--41-8--देखिये मद क्रमांक-11-9-

शीर्ष 520-औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास पर पूंजीगत परिव्यय--राज्य आयोजन

शीर्ष 521-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

मद क्रमांक--41-9--देखिये मद क्रमांक 11-13

शीर्ष 321-ग्राम और लघु उद्योग

मद क्रमांक--41-10-हस्तशिल्प विकास निगम को अनुदान :

वर्ष 1986-87 में प्राद्विवासी उद्योग क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत रुपये एक करोड़ की राशि विभिन्न कार्यों पर व्यय की जाना है। यह धनराशि हस्तशिल्प विकास निगम से प्राप्त निम्न योजनाओं को सूची के अनुसार रु. 1,00,00 के व्यय की संभावना है:—

योजना का नाम	धनराशि लाखों में
1. कुशलता का संरक्षण .. .. .	12.00
2. हस्तशिल्प वस्तुओं के लिये म्युजियम .. .. .	7.60
3. विकास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना .. .. .	9.00
4. विकास सह संग्रहण केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं विस्तार (बाग, बस्तर, कोंडगांव एवं झाबुआ)।	8.26
5. हस्तशिल्प का सर्वेक्षण .. .. .	3.00
6. शेडम्, औजार, किरामा अनुदान एवं कच्चेमाल के लिये शिल्पियों को अनुदान .. .. .	12.69
7. कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (मण्डला, सीधी एवं सरगुजा) .. .. .	19.35
8. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हस्तशिल्प का सघन विकास (श्यामपुर रुना, नारायणपुर, बालाघाट, बैतूल, नैनपुर, चौकी)।	25.10
9. प्रचार एवं प्रसार .. .. .	3.00
कुल .. .. .	100.00

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 1,00,00,000 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

मद क्रमांक.—41-11 से 15.—म. प्र. खादी ग्रामोद्योग की विकास योजना :

म. प्र. खादी ग्रामोद्योग वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित योजनाओं संचालित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार रु. 71.38 लाख का व्यय संभावित किया गया है:—

क्रमांक	योजना का नाम	रु. लाखों में
1.	व्यक्तिगत कारीगरों को इकाईयां स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता .. .. .	25.93
2.	अम्बर बुनाई/कताई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना .. .. .	21.19
3.	ग्राम शिक्षण विक्रय भण्डारों की स्थापना .. .. .	12.96
4.	पोली वस्त्र प्रशिक्षण उत्पादन इकाई झाबुआ .. .. .	7.00
5.	उपयोजनाओं के संचालन हेतु संस्थापन व्यय की पूर्ति .. .. .	4.30
	रुपये .. .. .	71.38

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रु. 71,38,000 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

#### 5 कृषिविभाग

##### 305-कृषि आयोजना

मद क्रमांक.—41-16.—अनुदान संख्या 13 के अधीन देखिये क्र. 13—4.

##### 6 पशुधन विभाग

##### 510—पशु पालन : पूंजीगत परिव्यय

क्रमांक.—41-17.—

यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की अंशपूजी में उसके द्वारा संचालित गतिविधियों के लिये रु. 5,00 लाख का विनियोग किया जाये।

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रु. 5,00 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

## डेयरी विकास विभाग

## 311—डेयरी विकास

मद क्रमांक.— 41-18.—शहडोल में 10,000 लीटर संयंत्र क्षमता की दुग्ध योजना का विस्तार।

शहडोल में 10,000 लीटर प्रतिदिन उपचार करने की क्षमता की दुग्ध योजना की स्थापना की स्वीकृति वर्ष 1982-83 में प्रदान की गई है। डेरी भवन निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है। परियोजना प्रतिवेदन अनुसार योजना के लिये संयंत्रों का एवं अपकरणों का क्रय किया गया है। वर्ष 1985-86 में आदेशित संयंत्रों के देयको का शेष भुगतान एवं आवश्यक क्रमवार संयंत्रों का क्रय वर्ष 1986-87 में किया जाना है।

अतः इस प्रयोजन के लिये रुपये 3,80,000 का प्रावधान बजट अनुमान 1986-87 में सम्मिलित किया गया है।

मद क्र.— 41-19.—जगदलपुर में 10 हजार लीटर दुग्ध संयंत्र क्षमता की योजना का विस्तार।

जगदलपुर में 10,000 लीटर संयंत्र की दुग्ध योजना की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण की कार्यवाही भी जारी है। परियोजना प्रतिवेदन अनुसार योजना के क्रियान्वयन के लिये निम्नलिखित अमले का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है:—

पदों का विवरण	संख्या	वेतनमान रुपये
पारी प्रबन्धक .. .. .	2	860—1330
विपणन अधिकारी .. .. .	1	860—1330
तकनीकी सहायक .. .. .	1	680—1060
सेल्स प्रमोशन असिस्टेंट .. .. .	1	680—1060
स्टोर कीपर (प्रोक्चोरमेंट)	1	575—880
प्लान्ट ऑपरेटर .. .. .	2	515—800
लेब अटेंडेंट .. .. .	1	515—800
डेरी अटेंडेंट .. .. .	8	380—495
व्यय का विवरण		छः माह के लिये
आवर्ती व्यय :		
कर्मचारियों का वेतन .. .. .		55,320
मंहगाई भत्ता एवं मानदेय .. .. .		22,128
यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते .. .. .		12,552
कुल आवर्ती व्यय		90,000
नैमित्तिक व्यय—अनावर्ती :		
फर्नीचर का क्रय .. .. .		10,000
महायोग		1,00,000

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 1,00,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

मद क्रमांक. 41-20 एवं 21—शासकीय दुग्ध योजना रायगढ़ व अम्बिकापुर का विस्तार।

रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में शासकीय दुग्ध योजना की स्थापना क्रमशः वर्ष 1970 व 1971 में हुई थी। भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में योजना स्थापित संयंत्र क्षमता अनुरूप दुग्ध का व्यवसाय कर रही है। अतः योजनाओं की उत्तरोत्तर भौतिक प्रगति के लिये निम्नानुसार अमलें की आवश्यकता है।

पदों का विवरण	संख्या	वेतनमान रुपये
उप दुग्धायुक्त .. .. .	दो	1370—2100
प्रोक्चोरमेंट आर्गनाइजर .. .. .	दो	860—1330
स्टेनोग्राफर .. .. .	दो	740—1180
उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग—2 .. .. .	दो	575—880
भूत्य .. .. .	दो	380—495

व्यय का विवरण	एक वर्ष के लिये (रुपये.)
प्रावर्ती व्यय :	
अधिकारियों का वेतन .. .. .	16440 (प्रत्येक योजना के लिये)
कर्मचारियों का वेतन .. .. .	30660 "
मंहगाई भत्ता एवं मानदेय .. .. .	18840 "
यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते .. .. .	24060 "
कुल प्रावर्ती व्यय .. .. .	90,000 "
नैमित्तिक व्यय-अनावर्ती :	
फर्नीचर का क्रय .. .. .	10,000
महायोग .. .. .	1,00,000
(दोनों योजनाओं के लिये योग) .. .. .	2,00,000

अतएव इस प्रयोजन के लिये बजट अनुमान 1986-87 में रुपये 2,00,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

#### 8—मछली पालन विभाग

##### शीर्ष-312—मत्स्योद्योग—प्रायोजना

##### 41-22—वस्तर संभागीय प्रशासनिक इकाईयों का सुदृढीकरण.

वस्तर संभाग के सर्वांगीण विकास हेतु मछली पालन की योजनाओं के लिये रुपये 3.00 लाख का प्रावधान किया गया है. वस्तर में मछली पालन विभाग के लिये स्वीकृत अमला विभागीय नार्मस अनुसार न होने के कारण योजना में निर्धारित कार्यक्रमों को लागू करने में कठिनाईयां आ रही हैं. अतः निर्धारित नार्मस अनुसार निम्नांकित अमना उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है :—

	वेतनमान	संख्या
उच्च श्रेणी लिपिक	575-925	तीन
निम्न श्रेणी लिपिक	515-840	तीन
भृत्य	380-515	तीन

अन्य के अतिरिक्त पूर्व स्वीकृत तीन सहायक संचालक मत्स्योद्योग इकाईयों हेतु तीन जीप मय ट्रॉली का क्रय किया जाना भी आवश्यक है.

#### व्यय का विवरण

(राशि रुपये लाख में)

कर्मचारियों का वेतन .. .. .	0.26
मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते .. .. .	0.66
एवं आकस्मिक व्यय.	
फर्नीचर, जीप ख़रिद .. .. .	3.38
	4.30

अतः उक्त प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 4,30,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है.

##### मद क्रमांक-41-23—आदिवासी मछुआ सहकारी समितियों के 2000 सदस्यों के लिये मत्स्य जीवियों का जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा.

मछुओं की जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (केन्द्र प्रवर्तित) का लाभ राज्य की आदिवासी मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों को भी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है. एक मछुए के बीमें पर प्रथमतः रुपये 12 का वार्षिक व्यय होगा जिसे प्रारंभ में राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा तथा तत्पश्चात् 50 प्रश. की प्रतिपूर्ति भारत शासन द्वारा की जावेगी.

इस योजना से 2000 आदिवासी मछुओं के बीमा के लिये रुपये 24,000 की आवश्यकता होगी.

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 24,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है.

मद क्रमांक 41-25-राष्ट्रीय कल्याण निधि योजनान्तर्गत आदिवासी समितियों के सदस्यों हेतु आवास गृह निर्माण.

भारत शासन द्वारा मछुओं की राष्ट्रीय कल्याण निधि कायम की गई है जिसमें मछुआरों को राष्ट्रीय कल्याण निधि से प्राप्त होने वाली राशि से आदिवासी सहकारी समितियों के सदस्यों के लिये लगभग 27 आवास गृह बनाये जाना है. इन आवास गृहों के निर्माण पर रुपये 5,05,000 का व्यय होने का अनुमान है. व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत योजनानुसार भारत शासन राज्य शासन तथा समिति की पूंजी से निम्नानुसार हो सकेगी.

कुल व्यय का 112 भाग केन्द्र सरकार देगी.

कुल व्यय का 113 भाग राज्य सरकार देगी.

कुल व्यय का 116 भाग समिति अपनी पूंजी से जुटायेगी.

अतः उक्त प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 5,05,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है.

शीर्ष 512—मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजना

मद क्रमांक 41-26:—राष्ट्रीय कल्याण निधि योजनान्तर्गत आदिवासी समितियों के सदस्यों के लिये अंशदान भारत शासन ने मछुओं की राष्ट्रीय कल्याण निधि कायम की है जिससे मछुओं के कल्याण हेतु निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये सहायता उपलब्ध है.

बच्चों की शिक्षा.

आवास गृहों का निर्माण.

लीन सीजन राहत (ऋण रूप में).

पेयजल की सुविधा.

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण.

वृद्धा अवस्था पेन्शन.

उपर्युक्त कार्यक्रमों का आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जाना है. व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत योजना अनुसार भारत शासन राज्य शासन तथा समिति की पूंजी से निम्नानुसार हो सकेगी.

कुल व्यय का 112 भाग केन्द्रीय सरकार देगी.

कुल व्यय का 113 भाग राज्य सरकार देगी.

कुल व्यय का 116 भाग समिति अपनी पूंजी से जुटावेगी.

आदिवासी मछुआ सहकारी समितियों को इस योजना का समुचित लाभ दिलाने के लिये मछुआ कल्याण निधि में राज्य शासन की ओर से रुपये 3.00 लाख का अंशदान वर्ष 1986-87 में किया जाना प्रस्तावित है.

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 3,00,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है.

312—मत्स्योद्योग

मद क्र. 41-27.—आदिवासी मत्स्य पालकों के लिये फिशरीज स्टेट की स्थापना

राज्य के आदिवासी लोगों को मछली पालन की योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से छोटे-छोटे तालाबों का एक ही स्थान पर निर्माण कराकर, उन पर उनको बसाने के लिये फिशरीज एस्टेट की स्थापना की जाना प्रस्तावित है. फिशरीज एस्टेट की स्थापना हेतु विभिन्न आवागट क्षेत्रों में जहां पानी हमेशा उपलब्ध रह सकेगा ऐसे स्थलों का चयन किया जावेगा जो कृषि हेतु विशेष उपयोगी नहीं है. रश्मल चयन पश्चात् फिशरीज एस्टेट की स्थापना की जावेगी.

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 15,24,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है.

9—सहकारिता विभाग

शीर्ष-298—सहकारिता-आयोजना

क्रमांक 41-28—उपभोक्ता सामग्री के वितरण हेतु चलती फिरती दुकानों की स्थापना

पर्वतीय एवं दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की कमी होने के कारण दूरस्थ ग्रामीण अंचलों की जनता को उपभोक्ता सामग्री यथासमय उपलब्ध नहीं हो पाती है. उन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति भी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे स्वयं का वाहन क्रय कर सकें तथा कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर व्यय बहन कर सकें. वर्ष 86-87 में आदिवासी उप-

योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अपभोवता सामग्री के वितरण हेतु चलती फिरती दुकानों की स्थापना के लिये 2 संस्थाओं को रु. 5.00 लाख की वित्तीय सहायता दी जानी है। प्रति संस्था निम्नानुसार आधिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी:-

	रुपये
(क) परिवहन वाहन का मूल्य .. .. .	2,00,000
(ख) कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि .. .. .	18,000
(ग) डीजल/पेट्रोल आदि .. .. .	32,000
	2,50,000

अतएव इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 5,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है। शीर्ष 298-एवं 698

मद क्र. 41-29 एवं 30-प्रक्रिया इकाईयों को वित्तीय सहायता

वर्ष 1986-87 में प्रक्रिया इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाना है। इसके अन्तर्गत एक नई चावल मिल तथा एक नई काटन जीनिंग इकाई की स्थापना की जाना है। इन इकाईयों की कुल लागत रुपये 60.00 लाख है। वित्तीय पैटर्न के अनुसार रुपये 44.00 लाख ऋण तथा रुपये 16.00 लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जाना है जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली में प्राप्त होगी।

व्यय के लिये आवश्यक राशि का व्यौरा निम्नानुसार है :-

मद	धनराशि रुपये
(एक)-मांग संख्या 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना लेखा शीर्ष 298-सहकारिता-निगम प्रवर्तित योजना	अनुदान 16,00,000
(दो)-लेखा शीर्ष 698-सहकारिता के लिये कर्जे निगम प्रवर्तित योजना	ऋण 44,00,000

अतएव इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 60,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

11-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

शीर्ष 280-चिकित्सा

मद क्रमांक 41-31-छ: प्रा. स्वा. केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र (कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर) में उन्नयन करने के लिये आवश्यक स्टाफ एवं साज-सज्जा का प्रदाय करना।

वर्ष 86-87 में भारत सरकार योजना नीति के अनुसार न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र के छह प्रा. स्वा. केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर) में उन्नयन किये जाने के लिये निम्नलिखित स्टाफ एवं अन्य व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

पद का नाम	प्रति केन्द्र के लिये संख्या	कुल संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
विशेषज्ञ (सर्जरी मेडिसिन शिशु एवं स्त्री रोग)	4	24	1370-2100
स्टाफ नर्स .. .. .	4	24	635-950
ड्रेसिंग .. .. .	1	6	485-740
कम्पाउन्डर .. .. .	1	6	515-800
लैब टेक्निसियन ! .. .. .	1	6	635-950 (लेबोरेटरी की सुविधा होने पर)
रेडिओग्राफर .. .. .	1	6	575-880 (एक्सरे मशीन प्राप्त होने पर)
वार्डकाय .. .. .	2	12	नैमित्तिक व्यय से भारत पद
झेनी .. .. .	1	6	नैमित्तिक व्यय से भारत पद
स्वीपर ! .. .. .	1	6	"
चौकीदार .. .. .	1	6	"
भावा .. .. .	1	6	"
माली ! .. .. .	1	6	"
मृत्यु .. .. .	1	6	380-495

इस पर वर्ष 86-87 में निम्नानुसार आवर्षी एवं अनावर्षी व्यय होगा।



## आवर्ती :

वेतन-भत्ते आदि	रु.	9,94,640
भोजन/औषधि-प्रति शैया प्रतिदिन रुपये 8 की दर से	रु.	2,07,360
बिजली, पानी, स्टेशनरी, आदि	रु.	48,000
योग		<u>12,50,000</u>

## अनावर्ती :

1. उपकरण/साज सजा रु. 1000 प्रति शैया की दर से	रु.	1,44,000
2. एक क्ष-किरण यंत्र (50 एन.ए.) रुपये 90,000 प्रति केन्द्र की दर से छह यंत्र के लिये.	रु.	5,40,000
3. एक रोगी वाहन रुपये 80,000 प्रति केन्द्र की दर से छह रोगी वाहन	रु.	4,80,000
4. प्रयोग शाला उपकरण आदि	रु.	1,36,000
योग		<u>रु. 13,00,000</u>
महायोग		<u>रु. 25,50,000</u>

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1985-86 के बजट में रुपये 25,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-32-30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना.

वर्ष 1986-87 में भारत सरकार की योजना आयोग की नीति के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र में 30 प्रा. स्वा. केन्द्रों की स्थापना किये जाने की लिये निम्नांकित पदों का निर्माण तथा अन्य व्यय किया जाना प्रस्तावित है:—

पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
सहायक शल्य चिकित्सक	30	1000-1920
स्टाफ नर्स	30	635-950
महिला बहु. कार्यकर्ता	30	485-740
जेब टेक्नोशियन	30	635-950
हेल्थ असिस्टेंट (एक महिला एवं एक पुरुष)	60	575-880
निम्न श्रेणी लिपिक	30	515-800
कम्प्युटर	30	575-880
ड्राइवर	30	515-800
कम्प्युनिटी हेल्थ आफीसर	30	900-1450
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रति केन्द्रचार की दर से.)	120	380-495

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—

आवर्ती	रुपये
(1) वेतनभत्ते आदि	46,21,100
(2) दवाईयां	2,70,900
(3) बिजली, पानी, स्टेशनरी आदि रु. 200 प्रतिमाह प्रति केन्द्र के दर से	36,000
(4) भवन किराया रु. 200 प्रतिमाह प्रति केन्द्र के मान से	36,000
(5) पी. ओ. ए. एल. रु. 200 प्रतिमाह प्रति केन्द्र के मान से	36,000
योग	<u>50,00,000</u>
अनावर्ती	
उपकरण/साजसजा	7,50,000
कुल योग	<u>57,50,000</u>

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 57,50,000 का प्रावधान स्वीकृत किया गया है.

मद क्र. 41—33-280 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना.

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कम से कम प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदाय करने के लिये आदिवासी क्षेत्रों में 280 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिये निम्नांकित पदों का निर्माण तथा अन्य व्यय किया जाना प्रस्तावित है:—

क्रमांक	पद का नाम	संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
1.	महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	280	485-740
2.	पुरुष बहु उद्देशीय कार्यकर्ता	280	485-740
इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—			
<b>आवर्ती</b>			
1.	वेतन भत्ते आदि	16,88,000	
2.	भवन किराया	2,52,000	
कुल आवर्ती व्यय		19,40,000	
<b>अनावर्ती</b>			
उपकरणासाजसज्जा आदि		5,60,000	
महायोग		25,00,000	

3. अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 25,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है.

मद क्रमांक 41-34, 20 सिव्हील डिस्पेंसरी/तधु प्रा. स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तन ।

वर्ष 83-87 में आदिवासी क्षेत्र के 20 सिव्हील डिस्पेंसरी एवं लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तन करने हेतु निम्नांकित पदों का निर्माण एवं उपकरण तथा साज-सज्जा का क्रय किया जाना प्रस्तावित है:—

पद का नाम	संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
स्टाफ नर्स	20	635-950
महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	20	485-740
लैब टेक्नीशियन	20	635-950
हेल्थ असिस्टेंट महिला/पुरुष	40	575-880
निम्न श्रेणी लिपिक	20	515-800
कम्प्युटर	20	575-880
ड्रायवर	20	515-800
कम्युनिटी हेल्थ आफिसर	20	900-1450
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रति केन्द्र 2)	40	380-495

इस पर वर्ष 86-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—

आवर्ती	रुपये
वेतन तथा भत्ते	7,38,500
दवाईयां, पी. ओ. एल., भवन किराया	1,61,500
कुल आवर्ती व्यय	9,00,000
<b>अनावर्ती</b>	
उपकरण साज सज्जा 20 प्रा. स्वा. केन्द्र हेतु	2,00,000
महायोग	11,00,000

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 11,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-35 प्रा. स्वास्थ्य केन्द्रों में 15 रोगी वाहन प्रदाय ।

वर्ष 1986-87 में आदिवासी क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक लाने ले जाने के लिये रोगी वाहनों का त्रय करना तथा वाहन चालकों के 15 पद वेतनमान रु. 515-800 में करना प्रस्तावित है

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—

**आवर्ती व्यय**

	रुपये
1. वेतन भत्ते .. .. .	60,000
2. पेट्रोल एवं रख रखाव .. .. .	30,000
	<hr/>
	1,00,000
	<hr/>
अनावर्ती 15 रोगी वाहन का क्रय .. .. .	16,50,000
	<hr/>
महायोग	17,50,000

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 17,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।  
मद क्रमांक 41-36 प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र में क्ष-किरण यंत्र का प्रदाय ।

वर्ष 1986-87 में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र में स्थित 10 प्रा. स्वा. केन्द्रों में 10 "क्ष" किरण यंत्र का प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है, इसके लिये निम्नानुसार व्यय होगा:—

पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
रेडियोग्राफर .. .. .	10	5,57,880
<b>आवर्ती</b>		
1. वेतन/भत्ते आदि .. .. .		27,990
2. एक्सरे फिल्म आदि .. .. .		22,010
		<hr/>
आवर्ती योग		50,000
		<hr/>
<b>अनावर्ती व्यय</b>		
10 "क्ष" किरण यंत्र (60 एम. ए.) एक यंत्र रु. 90,000 की दर से		9,00,000
		<hr/>
महायोग		9,50,000

2. अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 में बजट में रुपये 9,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 41-37.—रामकृष्ण मिशन रायपुर को अनुदान ।

वर्ष 86-87 में राम कृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम रायपुरको बस्तर जिले के नारायणपुर में आदिवासी क्षेत्रों की सेवा हेतु आधुनिक तरीके से चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु नारायणपुर में चिकित्सा भवन निर्माण हेतु 4.45 लाख (चार लाख पैंतालीस हजार), का अनावर्ती अनुदान दिया जाता प्रस्तावित है ।

अतः वर्ष 1986-87 के बजट में इस प्रयोजन हेतु रु. 4,45,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 41-38.—स्वेच्छक संस्थाओं को ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुदृढीकरण हेतु अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधाओं को अधिक सुदृढ करने के लिये स्वेच्छक संस्थाओं को अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है ।

इस पर वर्ष 1986-87 में रु. 5.55 लाख का व्यय अनुमानित है । अतः वर्ष 1986-87 के बजट में रु.

5.55 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 41-39.—दण्डकारण्य परियोजना की चिकित्सा संस्थाओं को शासनाधीन लेने हेतु परियोजना का निर्माण आदि ।

बस्तर जिले में दण्डकारण्य परियोजना द्वारा संचालित 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 28 उपस्वास्थ्य केंद्रों को शासनाधीन लेना प्रस्तावित है इसके लिये निम्नानुसार पदों का निर्माण एवं अन्य व्यय करना होगा :—

पद का नाम	संख्या	ब्रेतनमान
<b>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र</b>		
सहायक शल्य चिकित्सक	3	1000--1920
कम्पाण्डर	3	515--800
कम्प्युनिटी हेल्थ आफिसर	3	900--1450
स्टाफ नर्स । मिड बाईफ	3	635--950
लेव टेकनिशियन	3	635--950
हेल्थ असिस्टेंट (पुरुष)	3	575--880
हेल्थ असिस्टेंट (स्त्री)	3	575--880
निम्न श्रेणी लिपिक	3	515--800
कप्यूटर	3	575--880
ड्राइवर	3	515--800
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	380--495
स्वीपर	3	नैमित्तिक व्यय से भारत पद
आया	3	"
ड्रेसर	3	485--740
<b>उप स्वास्थ्य केन्द्र</b>		
बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (दुरुष)	28	515--800
बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (स्त्री)	28	515--800
इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नांकित व्यय होगा :—		
<b>आवर्ती</b>		
1. वेतन भत्ते	.. .. .	रु. 7,30,420
2. बिजली पानी एटे शनरी	.. .. .	रु. 4600
3. पेट्रोल	.. .. .	रु. 5400
4. औषधि भोजन रु. 8प्रति शैया प्रतिदिन	.. .. .	रु. 59580
योग ..		रु. 8,00,000
<b>अनावर्ती</b>		
1. वाहन	.. .. .	रु. 1,00,000
2. फर्नीचर	.. .. .	रु. 88,000
3. उपकरण साज-सज्जा रु. 1000 के हिसाब से	.. .. .	रु. 12,000
योग ..		रु. 2,00,000
महायोग		रु. 10,00,000

अतः वर्ष 1986-87 के बजट से रु. 10,00,000 का प्रावधान इस प्रयोजन हेतु शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 41--40.--सिविल अस्पताल (अलीराजपुर एवं मुख्य चिकित्सालय खरगोन में 100 एम. ए. क्ष-किरण यंत्र का प्रदाय ।

सिविल अस्पताल अलीराजपुर एवं मुख्य चिकित्सालय खरगोन में 100 एम. ए. क्ष-किरण यंत्र प्रदाय करने तथा इसके लिये रेडियो ग्राफर के 2 पद वेतनमान रु. 575-880 में निर्मित करना प्रस्तावित है । इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय अनुमानित है ।

आवर्ती व्यय

	रुपये
वेतन । भत्ते आदि	11,196
क्ष-किरण फिल्म	38,804
योग ..	50,000

## अनावर्ती व्यय

दो क्ष-किरण यंत्रा .. .. . 5,50,000  
(100 एम. ए. )

महायोग 6,00,000

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्षी 1986-87 के बजट में रु. 6,00,000लाख का प्रावधान शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 41-41.— जिला चिकित्सालयों में 5 रोगी वाहनों का प्रदाय ।

आदिवासी क्षेत्र 5 जिला चिकित्सालय में रोगियों को लाने ल जाने हेतु 5 रोगी वाहनों का क्रय एवं इसके लिये वाहन चालक के 5 पदों का निर्माण वेतन मान रु. 515-800 में किया जाना प्रस्तावित है ।

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यव होगा :-

## अनावर्ती व्यय

	रुपये
वेतन भत्ते .. .. .	10,000
पेट्रोल एवं रख रखाव .. .. .	20,000
कुल अनावर्ती .. .. .	30,000

## अनावर्ती

5 रोगी वाहन .. .. .	5,50,000
महायोग .. .. .	5,80,000

अतः इस प्रयोजन के लिये 1986-87 के बजट में 5,80,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 41-42 आदिवासी क्षेत्र के चिकित्सालयों में महिला रोगियों को अधिकाधिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो इस दृष्टि आदिवासी क्षेत्र में महिला सहायक चिकित्सकों के 17 पद वेतनमान रु. 1000-1920 में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

इस पर वर्ष 1986-87 में रु. 2,00,000 का अनावर्ती व्यय वेतन, भत्ते आदि पर अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 2,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 41.—महिला सहायक शल्य चिकित्सकों के पदों का निर्माण ।

मद क्रमांक 41.—43 जिला चिकित्सालयों में 30 सहायक शल्य चिकित्सकों के पद समाप्त कर 30 विशेषज्ञों के पद का निर्माण ।

आदिवासी क्षेत्र के जिला चिकित्सालयों में पूर्व में स्वीकृत वेतनमान रुपये 1000-1920 में निर्मित सहायक शल्य चिकित्सकों के पद समाप्त करके उनके स्थान पर 30 विशेषज्ञों के पद वेतनमान रु. 1370-2100 में निर्मित करना प्रस्तावित है । इस पर वर्ष 1986-87 में वेतन/भत्तों पर रु. 90,000 का अनावर्ती व्यय अनुमानित है ।

अतः वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 90,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 41.—44 राष्ट्रीय राजमार्गों पर आकस्मिक चिकित्सा इकाईयों की स्थापना आदिवासी क्षेत्र ।

आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर आकस्मिक चिकित्सा इकाईयों को स्थापित करने के लिये निम्न कित पदों का निर्माण एवं अन्य व्यय किया जाना प्रस्तावित है:—

पद का नाम	संख्या	वेतनमान (रुपये)
अस्थिरोग विशेषज्ञ .. .. .	1	1370-2100
स्टाफ नर्स .. .. .	1	635-950
ड्रेसर .. .. .	1	485-740
कम्पाउन्डर .. .. .	1	515-800

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नांकित व्यय होगा:—

प्रावर्ती व्यय	
वेतन भत्ते .. .. .	1,20,000
अनावर्ती व्यय	
उपकरण, साजसज्जा, फर्नीचर ..	60,000
	<hr/>
महायोग रु.	1,80,000
	<hr/>

अतः वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 1,80,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41.—45. फिजियोथेरापि यूनिट की स्थापना।

आदिवासी क्षेत्र में 'ए' ग्रेड का चिकित्सालय, जहाँ कि 200 शैयाओं से अधिक है, के लिये फिजियोथेरापि यूनिट स्थापित करने के लिये फिजियोथेरापिस्ट के 12 पद वेतनमान रु. 740-1180 में निर्मित किये जाय।

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—

प्रावर्ती व्यय	
वेतन भत्ते .. .. .	रु. 50,000
अनावर्ती	
उपकरण आदि	रु. 50,000
	<hr/>
महायोग रु.	1,00,000
	<hr/>

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 1,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है। मद क्रमांक 41.—46.—5 जिला चिकित्सालयों में जनरेटरों का प्रदाय किया जाना।

वर्ष 1986-87 में आदिवासी क्षेत्र के 5 जिला चिकित्सालयों में जनरेटरों का क्रय एवं इसके लिये निम्नांकित पदों के निर्माण किया जाना प्रस्तावित है:—

पद का नाम	संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
इलेक्ट्रिशियन .. .. .	5	रु. 635-950
मेकेनिक .. .. .	5	रु. 515-800

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नांकित व्यय होगा:—

प्रावर्ती	
वेतन भत्ते .. .. .	रु. 25,000
अनावर्ती	
5 (पांच) जनरेटरों का क्रय प्रति 15,000 रु.	75,000
	<hr/>
महायोग .. रु.	1,00,000
	<hr/>

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 1,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है। मद क्रमांक 41 —47. सोलर हाट वाटर (सौर-ऊर्जा) संयंत्र का प्रदाय।

आदिवासी के दो जिला चिकित्सालयों में रु. 2,00 लाख की लागत से सोलर हाट वाटर (सौर-ऊर्जा) संयंत्र का प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 2.00 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है। मद क्रमांक 41.—48. आयुर्वेद औषधालयों की स्थापना।

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में आदिवासी क्षेत्र में जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए 1986-87 में 20 आयुर्वेद औषधालय स्थापित करने के लिये निम्नांकित पदों के निर्माण तथा अन्य व्यय करना प्रस्तावित

नाम पद	पद संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी .. .. .	20	1000-1800
कम्पाउण्डर .. .. .	20	515-800
औषधालय सेवक .. .. .	20	380-495
पोर्ट टाइम स्वीपर .. .. .	20	नैमित्तिक व्यय पर

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नातुसार व्यय होगा:—

आवर्ती :

	रुपये
वेतन भत्ते .. .. .	3,50,000

अनावर्ती :

फर्नीचर/उपकरण .. .. .	1,50,000
	<u>5,00,000</u>

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 5,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।  
मद क्रमांक 41-49.—जिला कार्यालय का सुदृढीकरण।

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में आदिवासी क्षेत्र में विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यालयों के लिये टाईपराइटर एवं डुप्लीकेटर मशीन का अन्य उपकरण क्रय करने हेतु रुपये 2.50 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 2.50 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।  
मद क्रमांक 41-50.—20 होम्योपैथी औषधालयों की स्थापना।

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रदियती क्षेत्र में जनता को मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1986-87 में बीस होम्योपैथी औषधालय खोलने हेतु निम्नांकित पदों के निर्माण तथा अन्य व्यय करना प्रस्तावित है:—

नाम	पद संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी (चार वर्षीय पाठ्यक्रम)	20	900-1450
कम्पाउन्डर .. .. .	20	515-800
भृत्य .. .. .	20	380-495
पोर्टाईम स्वच्छक .. .. .	20	नैमित्तिक व्यय पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—

आवर्ती

वेतन भत्ते .. .. .	रु. 3.00 लाख
--------------------	--------------

अनावर्ती :

फर्नीचर/उपकरण .. .. .	रु. 1.50 लाख
-----------------------	--------------

योग .. .. . रु. 4.50 लाख

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 4,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।  
मद क्रमांक 41-51—20 यूनानी औषधालयों की स्थापना।

जनता तथा जन प्रतिनिधियों के मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1986-87 में 20 यूनानी औषधालय की स्थापना करने व उसके लिये निम्नांकित पदों का निर्माण तथा अन्य व्यय करने की आवश्यकता है:—

पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
यूनानी चिकित्सा अधिकारी .. .. .	20	1000-1800
कम्पाउन्डर .. .. .	20	515-800
दाई .. .. .	20	445-635
औषधालय सेवक .. .. .	20	380-495
पोर्टाईम स्वी पर .. .. .	20	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नांकित व्यय होगा:—

आवर्ती

वेतन/भत्ते आदि .. .. .	रु. 3,50,000
------------------------	--------------

## अनावर्ती

1. फर्नीचर/उपकरण	रु. 1,50,000
	<hr/>
	रु. 5,00,000

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 5,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-52.--6 आयुर्वेद चिकित्सालय के सुदृढीकरण बाबत।

6 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये रु. 2.50 लाख की लागत का फर्नीचर/उपकरण व साजसज्जा क्रय को जाना प्रस्तावित है।

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 2,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-53.--50 आयुर्वेद औषधालयों का सुधार।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत 50 आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये रु. 4.00 लाख की लागत से फर्नीचर/उपकरण क्रय करना प्रस्तावित है।

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 4,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-54.--बस्तर में सभागीय अधिकारी आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में बस्तर में सभागीय अधिकारी, आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना करने के उद्देश्य से निम्नानुसार पदों के निर्माण तथा अन्य व्यय करना प्रस्तावित है:—

नाम पद	संख्या	वेतनमान
सम्भागीय अधिकारी आयुर्वेद	1	1370-2100
मुख्य लिपिक	1	635-950
लेखापाल	1	635-950
उच्च श्रेणी लिपिक	2	575-880
निम्न श्रेणी लिपिक	1	515-800
भृत्य	2	380-495
चौकीदार	1	नैमित्तिक व्यय से भारत
स्वीपर	1	पार्ट टाइम

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—

## आवर्ती

	रुपये
वेतन भत्ते आदि	50,000

## अनावर्ती

फर्नीचर/उपकरण	50,000
---------------	--------

कुल 1,00,000

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 1,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।  
मद क्रमांक 41-55.--शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय के लिये फर्नीचर/उपकरण का क्रय।

शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय की स्थापना के लिये वर्ष 1986-87 में रु. 1.00 लाख की लागत से फर्नीचर व उपकरण क्रय करना प्रस्तावित है।

इस प्रयोजन हेतु 1986-87 के बजट में रु. 1,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।  
मद क्रमांक 41-56.--10 यूनानी औषधालयों के लिये फर्नीचर/उपकरण का क्रय

10 यूनानी औषधालयों के लिये रु. 50,000 की लागत से फर्नीचर/उपकरण क्रय करना प्रस्तावित है।

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।  
मद क्रमांक 41-57.--संभागीय अधिकारी आयुर्वेद को 2 जोप गाड़ियों का प्रदाय



सातवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्र में स्थित विभाग के संस्थाओं के निरीक्षण सम्पादन, तथा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालन करने एवं आदिवासी क्षेत्र की जनता को अधिक-से-अधिक लाभ पहुंचाने हेतु रायपुराबस्तर एवं इन्दौर संभागीय कार्यालय को एक-एक जीप प्रदाय करने एवं वाहन चालक के 2 पद वेतनमान रु. 515-800 में निर्माण एवं अन्य व्यय करना प्रस्तावित है:—

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—

आवर्ती	रुपये
वेतन भत्ते .. .. .	10,000
अन्य व्यय .. .. .	40,000
	50,000
योग .. .. .	50,000
अनावर्ती	
दो जीप गाड़ी का क्रय .. .. .	2,50,000
	3,00,000
कुल .. .. .	3,00,000

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 3,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

शीर्ष 282 लोक स्वास्थ्य सफाई एवं जलपूर्ति

मद क्रमांक 44-58.—मलेरिया कार्यक्रम के अधीन 3 जीपों का क्रय।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशक दवाइयों आदि के ग्रामीण अंचलों तक डमिना करने हेतु यूनितों को वाहन प्रदाय की गई थी। कुछ आदिवासी क्षेत्रों की यूनितों में ऐसी वाहनों अनुपयोगी हो गई हैं। प्राथमिकता के आधार पर 3 (तीन) ट्रक जीप आदिवासी क्षेत्रों के यूनितों के लिये आवश्यक हैं। इस पर होनेवाले व्यय 50 का प्रतिशत व्यय भारत शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

वर्ष 1986-87 में आदिवासी क्षेत्रों के यूनितों के लिये तीन जीप ट्रक का क्रय तथा ड्राइवर के 3 पद वेतनमान 515-800 में निर्मित करना प्रस्तावित है:—

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—

(लाख रुपयों में) ज

1. आवर्ती—

वेतन/भत्ते एवं पी. ओ. एल. .. .. . 0.30

2. अनावर्ती—

तीन जीप ट्रक .— .. .. . 3.20

महायोग .. .. . 3.50

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 3,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-59.—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मलेरिया निरीक्षकों की व्यवस्था।

राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 372 पद मलेरिया निरीक्षक के स्वीकृत हैं, जबकि प्रदेश में कुल 465 प्रा. स्वा. केन्द्र हैं। इस प्रकार जिलों में एक मलेरिया निरीक्षक का कार्य क्षेत्र एक से अधिक प्रा. स्वा. केन्द्र तक सीमित है। भारत शासन ने प्रत्येक स्वा. प्रा. केन्द्र के लिये एक-एक पद निर्मित करने के उद्देश्य से जो पद कम पड़ते उन्हें निर्मित करने की स्वीकृति दी है। वर्तमान में 93 पद और स्वीकृत करना होंगे, जिनमें से 33 पद वेतनमान रुपये 635-950 आदिवासी क्षेत्रों के प्रा. स्वा. केन्द्रों के लिये निर्मित करना है। इस पर होनेवाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत व्यय भारत शासन द्वारा वहन किया जायेगा

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा:—

1. अनावर्ती—	रुपये
वेतन/भत्ते .. .. .	2,80,00
2. अनावर्ती—	
फर्नीचर आदि .. .. .	20,000
कुल योग ..	3,00,000

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 3,00,00 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-60.—मलेरिया ग्रैन्ट हेतु स्ट्रिप पम्प एवं माइक्रोस्लाइस का प्रदाय।

मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशक दवाईयों (बी.एच.सी.।डी, डी.टी.) के छिड़काव के लिये स्ट्रिप पम्प (मिल्ट पम्प) की आवश्यकता है। इसी प्रकार बुखार से पीड़ित रोगियों के रक्त की जांच करने के लिये रक्त पेट्टियां तैयार करनी होती है, जिस हेतु माइक्रोस्लाइड्स की आवश्यकता होगी। इस पर होने वाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत व्यय भारत शासन द्वारा वहग किया जावेगा।

इस पर वर्ष 1986-87 में रु. 5.50 लाख का अनावर्ती व्यय होगा

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 5.50 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है

12—लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग

282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल प्रदाय

41—61:—दखिये मद क्र. 20-1 [बुक नं. 15]

16—लघु सिंचाई निर्माण कार्य विभाग

शीर्ष-506—लघु सिंचाई भूमि संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

मद क्र. 41—62—बैतूल जिले की घोडा डोगरी विकास क्षेत्र की रानीपुर जलाशय योजना।

यह निर्णय लिया गया है कि बैतूल जिले की घोडा डोगरी विकास क्षेत्र की रानीपुर तालाब योजना के यू.एस.एड. के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत रु. 417.90 लाख रुपये से कार्यान्वयन किया जाय। अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में रु. 20 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

17—खनिज साधन विभाग

मद क्र. 41-63—खनिज उड़न दस्ते का निर्माण

बस्तर जिले में टिन एवं कोरडम आदि खनिजों की चोरी तथा अनाधिकार खननको रोकने की दृष्टि से एक "खनिज उड़न दस्ते" का गठन किया जाने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अनाधिकार खनन पर रोक लगाना, त्रिज प्रसारित उद्योग लगाने के लिये आदिवासियों को प्रोत्साहित करना तथा आदिवासियों को गैर आदिवासियों के शोषण से मुक्त कराना है। इसके लिये निम्नानुसार पदों का निर्माण आवश्यक है:—

अनुक्र.	पद नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	उप संचालक (खनिज प्रशासन) .. ..	एक	1370-40-1450-50-1700-ई-बी-50-1800-70-2100
2.	सहायक खनि अधिकारी .. ..	एक	860-20-900-25-1000-30-1210-40-1330
3.	खनि निरीक्षक .. ..	दो	635-15-800-20-900-25-950
4.	खनिज सिपाही .. ..	चार	380-5-425-10-495
5.	भृत्य .. ..	दो	380-5-425-10-495
6.	लेखापाल .. ..	एक	635-15-800-20-900-25-950
7.	उ.श्रे. लिपिक .. ..	एक	575-15-800-20-880
8.	नि.श्रे. लिपिक .. ..	दो	515-10-575-15-800
9.	स्टेनोग्राफिस्ट] .. ..	एक	515-10-575-15-800 + 40 रु नि.ई.
10.	वाहन चालक .. ..	एक	नैमित्तिक व्यय से

2. इसके अतिरिक्त एक विकल्पवान एक बड़ा टाईपरायटर एक पोर्टेबल टाईपरायटर तथा कार्यालय फर्नीचर आदि की भी आवश्यकता होगी। इसके लिये वर्ष 86-87 में कुल रुपये 4,00,000 का व्यय निम्नानुसार आवश्यक है :—

	राशि (लाख रुपयों में)
अधिकारियों का वेतन .. .. .	0.21
कर्मचारियों का वेतन .. .. .	0.54
महंगाई तथा अन्य भत्ते .. .. .	0.50
मजदूरी .. .. .	0.15
यात्रा व्यय .. .. .	0.30
कार्यालयीन व्यय (फर्नीचर टाईपरायटर आदि पर व्यय सहित)	0.55
एक विकल्पवान संचालन व्यय सहित .. .. .	1.75
<b>योग .. .. .</b>	<b>4.00</b>

अतएव उक्त प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 4,00,000 लाख को व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

मद क्र. 41-64-कोयले की चोरी रोकने के लिये विशेष उड़न दस्ता।

कोयले के बढ़ते हुए औद्योगिक महत्व तथा बाजार में उसकी अनुपलब्धता तथा बढ़ती हुई कीमत के कारण उसका अवैधानिक उत्खनन बढ़ता जा रहा है। इन अवैधानिक उत्खनन में आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को लगातार उनसे कम कीमत में कोयला क्रय कर उनका शोषण किया जा रहा है। कोयला क्षेत्र बृहद बनो, पहाड़ियों के बड़े क्षेत्र में फैला होने के कारण जिला में पदस्थ खनि अधिकारी तथा खनि निरीक्षक अपने नित्य प्रति के कार्यों के साथ इस अवैधानिक खनन पर कारगर ढंग से रोक नहीं लगा पा रहे हैं। अतः कोयले के इस अवैध उत्खनन को रोकने उस पर नियंत्रण पाने तथा आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को शोषण से बचाने के लिये एक विशेष उड़न दस्ता (कोयला) मय सशस्त्र गार्डों के स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका कार्य क्षेत्र बिलासपुर, रायगढ़ सरगुजा, सोधी, शहडोल, बैतूल, छिदवाड़ा जिले होंगे तथा इसका मुख्यालय बिलासपुर होगा। इसके लिये निम्नानुसार पदों की आवश्यकता होगी :—

अनुक्र.	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	एक	1370-40-1450-50-1700-ई.बी. - 50-1800-60-2100
2.	सहायक खनि अधिकारी	एक	860-20-900-25-1000-30-1210-4 0 1330
3.	खनि निरीक्षक	दो	635-15-800-20-900-25-950
4.	सिपाही	चोर	380-5-425-10-10-495
5.	मुख्य कर्म प्रोसेस सर्वेयर	दो	380-5-425-10-495
6.	स्टेनोग्राफिस्ट	एक	515-10-575-15-800 + 40 वि. वे.
7.	लेखापाल	एक	635-15-800-20-900-25-950
8.	उ. श्रे. लिपिक	एक	575-15-800-20-880
9.	नि. श्रे. लिपिक	दो	515-10-575-800
10.	वाहन चालक	एक	515-10-575-15-800 (नैमित्तिक व्यय से)
11.	चौकीदार	एक	नैमित्तिक मद से जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित

उपरोक्त के अतिरिक्त उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी के लिये एक डीजल जीप तथा कार्यालय के लिये फर्नीचर की भी आवश्यकता होगी। इसके लिये निम्नानुसार रुपये 4,00,000 लाख का व्यय अनुमानित है:—

	रुपये
अधिकारियों का वेतन .. .. .	21,000
कर्मचारियों का वेतन .. .. .	54,000
महंगाई तथा अन्य भत्ते .. .. .	50,000
मजदूरी .. .. .	15,000

यात्रा व्यय	.. .. .	30,000.00
कार्यालयीन व्यय	.. .. .	55,000.00
एकत्रिक प्रशासनात्मक प्रभार के साथ	.. .. .	75,000.00
योग ..		<u>4,00,000.00</u>

अतएव उक्त प्रयोजन लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 4.00 लाख की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

#### 18—स्कूल शिक्षा

##### शीर्ष 277—शिक्षा

मद क्रमांक 41-65.—देखिये पुस्तक 22 क्रमांक 27-1

मद क्रमांक 41-66.— „ 27-2

मद क्रमांक 41-67.— „ 27-5

मद क्रमांक 41-68.— „ 27-9

मद क्रमांक 41-69—जिला एवं विकास खंड स्तरीय शैक्षिक प्रशासन का पुनर्गठन।

स्कूल शिक्षा के स्वच्छ प्रशासन में कसावट लाने, अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की समुचित व्यवस्था तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से पिछले वर्षों में शैक्षणिक प्रशासन का पुनर्गठन किया गया है। इसमें जिला स्तर पर प्रथम श्रेणी जिला शिक्षाधिकारी के साथ वर्तमान अमले के अलावा कुछ अतिरिक्त अमला दकर तथा विकास खंड स्तर पर नये शिक्षा कार्यालय कायम किये गये। वर्ष 84-85 तथा 85-86 के आयोजना बजट से 22 शिक्षा जिलों तथा 206 विकास खंड कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया। इसी तारतम्य में वर्ष 86-87 के आयोजना बजट में 10 शिक्षा जिलों एवं उनके 100 विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। य जिल एवं विकास खंड आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के होंगे। इस पर 52.08 लाख रुपये व्यय प्रस्तावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 52,08,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-70—स्कूली छात्रों के लिये मध्याह्न आहार।

वर्ष 1986-87 में आदिवासी क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिये मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है इस पर रु. 1,70.00 लाख के व्यय का अनुमान है।

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 1,70,00 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

#### 20—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग

##### 314—सामुदायिक विकास

मद क्रमांक 41-71 से 77 तक

मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 के अनुसार प्रदेश में द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत राज्य में ग्राम पंचायतों जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों कार्यरत हैं। 2 अक्टूबर, 1985 से शासन, द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अधिक उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपकर प्रदेश में पंचायती राज लागू करने का कदम उठाया गया है।

पंचायतों को अधिक उत्तरदायित्व सौंपे जाने के फलस्वरूप उन्हें उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिये तथा उन्हें अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से खर्च की गई है।

अतः पंचायतों को सौंपे गये अधिक उत्तरदायित्वों के सम्पादन हेतु निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये रुपये 277.35 लाख का प्रावधान अपरीक्षित मद के रूप में वर्ष 1986-87 के बजट में शामिल करनेका निर्णय लिया गया है।

1. 14 जिलों के पंचायतों की जीपी को प्रदाय .. .. . 14.00 लाख
  2. 3 जिला पंचायतों के भवनों की मरम्मत (3×1.00) .. .. . 3.00 लाख
  3. 12 जिला पंचायतों के लिये भवनों का निर्माण (12×7.50) .. .. . 87.50 लाख
  4. जिला जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के अशारक्य सदस्यों का प्रशिक्षण 25.00 लाख
  5. जनपद पंचायतों के लिये अमला .. .. . 53.30 लाख
- (लेखापाल—153)  
(उच्च श्रेणी लिपिक—153)  
(निम्न श्रेणी लिपिक—206)

6. जिला पंचायतों के लिये अमला (लेखापाल- 15) (उ.श्री.लि.—15)	.. .. .	3.15 लाख
7. ग्राम सहायकों के पदों का निर्माण (988 पद) ]]	.. .. .	85.40 लाख
योग ..		<u>2,77,35</u>

अतएव वर्ष 86-87 के बजट में रु. 2,77,35,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

20--पंचायत तथा ग्रा वि विहाय विभाग

शीर्ष--321 ग्रा ग्रा लघु उद्योग

मद क्रमांक 41- 8, 79, 81 तथा 83--देखिये मद क्र. 30- 14

मद क्र. 41-80 तथा 41-82 देखिये मद क्र. 3 -16

21--सूचना तथा प्रकाशन विभाग

शीर्ष--285

मद क्रमांक 41-34--रायपुर एवं इन्दौर में फिल्म यूनिट की स्थापना

आगामी वर्ष भापाल में दूर श्रौन सुडियो तैयार होने वाला है जिससे प्रशिक्षण की विकास गतिविधियों के प्रचार प्रसार की सुविधा होगी। दूर श्रौन पर आदिवासियों के कार्यक्रम तैयार होने हेतु इन्दौर और रायपुर में फिल्म यूनिट स्थापित करने का निर्माण किया गया है। इन यूनिट के लिये निम्नानुसार पदों का निर्माण किया गया है तथा कमरा आदि का क्रय करना होगा:—

					रुपये
1. कैमरा मैन	.. .. .	—	..	2 पद	000--1920
2. लाइट प्रिमीस्टेंट	.. .. .	—	..	2 पद	485--740
3. हैल्पर	.. .. .	—	..	2 पद	380--495

उपरोक्त आयोजन के लिये निम्नानुसार व्यय अनुमानित है:—

भवन का क्रय रुपये 1.00 लाख .. .. .

सामग्री के क्रय रुपये 2.00 लाख

योग .. रुपये 3.50 लाख

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1 85- 7 के बजट में रुपये 3.50 का प्रावधान किया गया है।

सद क्रमांक 41-85--आदिवासी क्षेत्रों में सूचना केम्पों का आयोजन।

मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में आदिवासियों का बाहुल्य है। इन जिलों में रहने वाले आदिवासी लम्बे समय से पिछड़े हुए हैं तथा इनकी रोगी स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से मित्र है। राज्य शासन द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। इन योजनाओं से आदिवासियों को अवगत कराने तथा उनकी रोगी स्थिति से संबंधित समस्याओं पर उचित विचारों को प्रकाशित करने तथा उनकी रोगी स्थिति से संबंधित विभाग द्वारा 1986-87 में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 200 सूचना केम्प आयोजित करने का निश्चय किया गया है। निर्णय लिया गया है कि इन सूचना केम्पों में सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एक स्थान पर आदिवासियों को उनकी रोगी स्थिति में सम्पूर्ण सहायता देने के लिए उपस्थित होंगे। विभिन्न विभागों के सहयोग से आदिवासी क्षेत्रों में सूचना केम्पों का आयोजन किया जावेगा। इस पर प्रावर्ती व्यय रुपये 2.00 लाख होगा।

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 2.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 41-83--संभागीय प्रकाशन कार्यालय, जगदलपुर (बस्तर) के लिए भवन निर्माण।

यह निर्णय लिया गया है कि संभागीय प्रकाशन कार्यालय जगदलपुर (बस्तर) के लिए भवन निर्माण किया जाय। उक्त भवन का निर्माण हेतु 12 लाख का एस्टीमेट तैयार किया गया है। भवन निर्माण के लिए कलेक्टर बस्तर द्वारा जगदलपुर नगर के जगदलपुर नगर में 17000 वर्ग फुट भूखण्ड इस भवन के लिये आवंटित कर प्रकाशन विभाग का कब्जा दे दिया गया है। वर्ष 1986-87 में इस भवन पर रुपये 5.50 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में 5.00 लाखका प्रावधान किया गया है।  
(संक्षेपिका)

मद क्रमांक 41-87—शिक्षाप्रद फिल्मों का म. प्र. माध्यम से निर्णय

राज्य शासन द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित पांच विशेष प्रचार इकाइयों दन्तेवाडा (बरतर), अलि-  
रांजपुर (पारुप्रा) विकास खण्ड शहडोल (शहडोल) देवसर (सीधी) धरमजयगढ़ रायगढ़ में आदिवासियों के  
उत्थान के लिए तथा उनकी रीति रिवाज से संबंधित समस्याओं पर बीस मिनट कीस्थानीय बालीमें तीन शिक्षाप्रद  
फिल्मों मध्यप्रदेश माध्यम से तैयार कराकरउनका प्रदर्शन करने कानिर्णय लिया गयाहै। फिल्मों के निर्माण पर  
आवर्तक व्यय रु. 2.74 लाख का होगा।

अतः इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1986-87 के बजट 2.74 प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

22—आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

राज्य आयोजना :

शीष 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

मद क्रमांक 41-88—कन्या शिक्षा परिसर।

आदिम जाति कल्याण द्वारा 14 विशिष्ट संस्थायें (8) आदिम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 5 कन्या  
शिक्षा परिसर तथा एक गुरुकुल विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 1986-87 में एक कन्या शिक्षा  
परिसर की स्थापना जिला शहडोल के ग्राम पुष्कराजगढ़में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस विद्या-  
लय के लिये निम्नानुसार पदों के निर्माण की आवश्यकता होगी:—

क्रमांक	नाम पद	वैतनमान रूपये	पद निर्माण का वर्ष			
			86-87	87-88	88-89	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्राचार्य .. ..	1370—2100	1	..	..	1
2.	उप प्राचार्य .. ..	1000—1920	..	..	..	1
3.	व्याख्याता .. ..	925—1500 ]	3	3	2	8
4.	सारीरिक शिक्षक .. ..	740—1180 ]	1	..	..	1
5.	उच्च श्रेणी शिक्षक .. ..	740—1180	3	3	2	8
6.	क्राफ्ट शिक्षक .. ..	740—1180	1	..	..	1
7.	संगीत शिक्षक .. ..	740—1180	1	..	..	1
8.	छात्रावास अधीक्षक .. ..	740—1180	1	..	..	1
9.	निम्न श्रेणी शिक्षक .. ..	545—925	2	1	1	4
10.	तबला शिक्षक .. ..	545—925	1	..	..	1
11.	कार्यालय अधीक्षक .. ..	900—1450	1	..	..	1
12.	लेखापाल .. ..	635—950	1	..	..	1
13.	निम्न श्रेणी लिपिक .. ..	515—800	1	..	..	1
14.	सहायक पुस्तकालय अधीक्षक .. ..	545—925	1	..	..	1
15.	प्रयोगशाला सहायका .. ..	545—925	1	..	..	1
16.	उच्च श्रेणी लिपिक .. ..	575—800	1	..	..	1
17.	प्रयोगशाला अटेंडेंट .. ..	380—495	1	1	1	3
18.	भृत्य .. ..	380—480	3	..	..	5
19.	चौकीदार .. ..	380—495	1	..	..	1
20.	आकस्मिक निधि सेवैतन प्राप्त कर्मचारी					
	(अ) रसोइया .. ..		2	1	1	4
	(ब) पानीवाला .. ..		1	1	..	2

इन पदों पर एवं आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय के रूप में निम्नांकित व्यय अनुमानित है:—

	रुपये
1—अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता	₹ 17,000
2—कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता	1,54,000

इन पदों पर एवं आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय के रूप में निम्नांकित व्यय अनुमानित है:—

	रुपये
1. अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता	17,000
2. कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते	1,54,000
3. यात्रा भत्ता	5,000
4. चिकित्सा व्यय एवं अन्य भत्ता	2,000
5. शिष्यवृत्ति 70 विद्यार्थियों का 1351 प्रतिमाह के लिये 8 माह के लिये	60,000
6. आकस्मिक निधि से प्राप्त कर्मचारियों का वेतन	2,000
7. लेखन कार्यालय सामग्री	10,000
8. पुस्तकालय	50,00
9. प्रयोगशाला उपकरण विज्ञान एवं केमिकल्स	60,000
10. छात्रावास एवं रसोई साज सामान उपकरण	60,000
11. अन्य प्रभारी बिजली, पानी, किराया आदि	10,000
12. कार्यालय व्यय	10,000
13. फर्नीचर, स्टूल्स, डेस्क एवं शाला उपकरण	1,35,000
योग	1,35,000

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 5,30,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

म. क्र. 41-89-35 नवीन आदिवासी आश्रमों की स्थापना.

वर्ष 86-87 में 35 नवीन आश्रमों को स्थापना करने का निणय लिया गया है जिस पर रु. 34.00 लाख का व्यय निम्नानुसार होगा:—

आवर्ती व्यय :	रुपये लाखों में
वेतन एवं भत्त	10.30
मजदूरी	5.02
शिष्यवृत्ति	8.00
प्रकाश व्यय	0.35
भवन किराया	1.75
अन्य व्यय	0.35
योग	25.77

अनावर्ती व्यय :

साज सज्जा, फर्नीचर, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री आदि	8.23
कुल योग	34.00

इन 35 आश्रमों के लिये निम्नानुसार पदों का निर्माण किया जाएगा:—

	पद संख्या	वर्तमान रुपय
अधीक्षक/अधिक्षीला	35	740-1180
सहायक शिक्षक/शिक्षिका	70	545-925
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	105	380-495

अतएव इस प्रयोजन के लिये रूपये 34.00 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद 41-90 तथा 41-97 वर्तमान आश्रम शालाओं का क्रमोन्नत करना

प्रदेश के ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में जहां शिक्षा का प्रचार-प्रसार बहुत कम है और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कम जनसंख्या वाले ग्राम बिखरे हुए हैं वहां विभाग द्वारा आश्रम स्थापित किये गये हैं। ऐसे स्थानों में से 45 स्थानों के आश्रमों को प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 86-87 के बजट में निम्नानुसार रु. 24.70 लाख का प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है :—

आवर्तक व्यय	रुपये लाख में
1. वेतन एवं भत्ते	5.26
2. भवन किराया	2.12
3. शिक्ष्यवृत्ति	4.91
4. प्रकाश एवं जल	1.60
5. अन्य नैमित्तिक व्यय	1.35
<b>योग</b>	<b>15.24</b>
अनावर्तक व्यय	
1. आश्रम साज सज्जा, टाट पट्टी फर्नीचर पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री आदि	9.46
<b>कुल योग</b>	<b>24.70</b>

प्राथमिक स्तर के इन आश्रमों को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने तथा 6वीं कक्षा से 8 वीं कक्षा तक 3 कक्षाएँ खोलते समय इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पूर्व से उपलब्ध छात्रावासीय सुविधा के अतिरिक्त केन्द्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति वर्ष 10 सीट के मान के 3 वर्षों में 30 सीट बढ़ाना आवश्यक है। माध्यमिक स्तर के इन आश्रमों को उन्नत करने हेतु निर्धारित पेटर्न अनुसार पहले वर्ष प्रत्येक आश्रम में केवल एक उच्च श्रेणी शिक्षक का पद आवश्यक होगा जो कि वर्ष 88-89 में प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के पद (वेतनमान 925-1500) में परिवर्तित हो जायगा। इनके अतिरिक्त प्रत्येक आश्रम में एक सहायक शिक्षक इस प्रकार कुल 90 शिक्षक (वेतनमान-545-980) तथा 90 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद (वेतनमान 380-495) में निर्मित किये जायेंगे इसके अतिरिक्त वर्ष 85-86 में क्रमोन्नत किये गये आश्रमों हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पेटर्न के अनुसार उच्च श्रेणी शिक्षक (वेतनमान 740-1180) 2 सहायक शिक्षक (वेतनमान 545-980) और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (वेतनमान 380-495) में निर्मित किये जाना है अतः इस प्रयोजन हेतु रु. 24.70 लाख का प्रावधान निम्नानुसार किया जा रहा है :—

राज्य आयोजना 15.00 लाख

भारत सरकार के अलावा राशियां 9.70 लाख

मद क्र. 41-91 बड़ी आश्रम शालाओं की स्थापना.

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अभी तक 255 नवीन आदिवासी आश्रमों की स्थापना की चुकी है वर्ष 1986-87 में 30 आश्रम 100 सीट वाले खोले जाने का निर्णय लिया गया है :—

इन आश्रमों की स्थापना पर निम्नानुसार व्यय अनुमानित है :—

अवर्ती व्यय	रुपये लाख में
1. वेतन एवं भत्ते	9.60
2. मजदूरी	6.00
3. शिक्ष्यवृत्ति	25.00
4. प्रकाश एवं जल प्रभार	0.60
5. भवन किराया	4.50
6. अन्य नैमित्तिक व्यय	0.80
<b>योग</b>	<b>46.50</b>
अनावर्ती व्यय :	
आश्रमों के लिये साज सज्जा, रसोई सामग्री फर्नीचर, पुस्तकालय वाचनालय खेलकूद सामग्री आदि	34.50
<b>कुल योग</b>	<b>81.00</b>



3. इन आश्रमों के लिए निम्नानुसार पदों का निर्माण भी किया जावेगा :—

	पद संख्या	वेतनमान रुपये
1. अधीक्षक/अधिष्ठाता	30	1000-1920
2. सहायक शिक्षक/अधिष्ठाताएं	60	545-925
3. अनुप श्रेणी कर्मचारी	120	380-495

अतः इस प्रयोजन के लिये रु. 81.00 का प्रावधान किया जा रहा है।

#### मद क्र. 41-92-क्रिडा परिसरों का पुनर्गठन

आदिवासी छात्रों में शारीरिक क्षमता प्रकृति प्रदत्त है तथा खेलों में उनकी रुचि नैसर्गिक है उन्हीं तत्त्वों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा खेल परिसर योजना वर्ष 1980-81 से प्रारंभ की गई है जिसमें माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के क्रमशः 200 और 35 परिसर प्रारंभ किये गये हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रतिभाषान विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये राष्ट्रीय खेल संस्थान से कोचर्स की सेवाय उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था थी परन्तु संचालित उच्चतर माध्यमिक परिसरों के अनुपात में काचर्स की सेवायें उपलब्ध न होने के कारण उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परिसरों का विकेन्द्रीकरण किया गया और वर्तमान में माध्यमिक स्तर की 200 और उच्चतर माध्यमिक स्तर की 22 परिसर संचालित हैं। इन परिसरों का पुनर्गठन किया जा रहा है एवं पुनर्गठन के पश्चात् 24 खेलकूद परिसर संचालित किया जायेगा जिसमें 18 केन्द्र बालकों के लिये एवं 6 केन्द्र बालिकाओं के लिये होंगे। प्रत्येक पुनर्गठित केन्द्र में 100 छात्र छात्राओं के संस्थागत प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध रहेगी एवं इन परिसरों में कक्षा 6वीं से कक्षा 12 वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं सम्मिलित होंगे।

प्रस्तावित योजना पर निम्नानुसार व्यय अनुमानित है :—

आवर्ती व्यय :

	रुपये लाखों में
1. भूजदूरी	1.00
2. शिक्षकवृत्ति	26.10
3. प्रकाश एवं जल प्रभार	1.20
4. खेलकूद सामग्री	2.40
5. अनञ्जवर्त व्यय	
परिसरों के लिये साज सज्जा, रसोई सामग्री फर्नीचर एवं मैदान निर्माण आदि	5.95
कुल योग	36.65

3. इन खेल परिसरों में निम्नानुसार पद नैमेतिक व्यय से देय निर्मित किया जा है :—

पानीवाला 6 पद

नैमेतिक व्यय से देय

चीकीदार 24 पद

अतएव इस प्रयोग के लिये रु. 36.65 लाख का प्रावधान किया जा रहा है।

मद क्रमांक.—41-93.—प्रोमेट्रिक आदिवासी छात्रावासों की स्थापना।

प्रदेश के सुदूर अंचलों में निवास कर रहे—नुसूचित जनजातियों के बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अभी तक 1361 बालकों के लिए एवं 171 कन्याओं के लिए छात्रावासों की स्थापना की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1986-87 से 35 प्रोमेट्रिक 30 सीटस वाले आदिवासी आदिवासी छात्रावासों की स्थापना की जाय। इन 35 आदिवासी प्रोमेट्रिक छात्रावासों की स्थापना पर निम्नानुसार व्यय अनुमानित है :—

आवर्ती व्यय	लाख रुपये में
1. वेतन एवं भत्ते	5.50
2. भूजदूरी	3.50
3. शिक्षकवृत्ति	9.00

4. प्रकाश एवं जल प्रदाय .. .. .	0.70
5. भवन किराया .. .. .	3.50
6. अन्य नमित्तिक व्यय .. .. .	0.85
	23.05
योग ..	23.05

**अनावर्ती व्यय :**

1. सज्ज, सज्जा, फर्नीचर, खेलकूद सप्पमप्री, पुस्तकालयवाच- वाचनालय।	14,35
	37,40
कुल योग ..	37,40

इन छात्रावासों के लिए निम्नानुसार पदों का निर्माण भी किया जाना है:—

	पद संख्या	वेतनमान रुपय
अधीक्षक/अधीक्षिका .. .. .	35	545—925
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी .. .. .	70	380—495

अतः रु. 37.40 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक.—41-94.—महिला साक्षरता प्रोत्साहन योजना:—

यह निर्णय लिया गया है कि उन क्षेत्रों में जहां महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 5 प्रतिशत से कम है, वहां यदि कोई बालिका पाचवी कक्षा उत्तीर्ण कर लती है तो उस बालिका को आगे शिक्षा हेतु पुरस्कार के रूप में रु. 250 दिया जावे।

अतः रु. 10.00 लाख का प्रावधान उपयुक्त प्रोत्साहन योजना हेतु किया गया है।

मद क्रमांक.—41-95.—कम्प्यूटराईजेशन-आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिए प्रणाली विकसित करना :

आदिवासी उपयोजना एवं हरिजन विशेषांश योजना के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रणाली विकसित की जाना आवश्यक है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के सूत्र क्रमप्रक 7 के अन्तर्गत बड़ी संख्या में विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनके अनुश्रवण आदि की व्यवस्था की जाना नितांत आवश्यक है। अतः कम्प्यूटराईजेशन हेतु कन्सल्टेसी शुल्क के रूप में वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में रु. 1.50 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक.—41-96.—विभागीय पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण :

विभाग द्वारा संचालित पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न के भण्डारण की उचित व्यवस्था थी की दृष्टि से वर्ष 1986-87 में 50 नये लघु गोदाम निर्माण करने हेतु प्रति गोदाम रु. 30,500 की अनुमानित लागत के आधार पर कुल रु. 15.25 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्र.—41-97—देखिये मद क्र.—41—90.

मद क्रमप्रक.—41-98.—नवीन उच्चतर माध्यमिक शालाये :

—स्कूली शिक्षा भारत सरकार से अलावा राशियां।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिये विभाग द्वारा यह नीति अपनाई गई है कि किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने हेतु 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने की आवश्यकता न हो और प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर उच्चतर माध्यमिक शालाओं की स्थापना हो, और इस प्रयाव में अधिकांशतः सफलता भी मिली है। (2) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं मध्यमिक विद्यालय के बीच का अनुपात 1:4 लाया जावे। (3) प्रत्येक विकास खण्ड में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जावे। (4) विकास खण्डों में छात्राओं को शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिये उनके लिये समचित व्यवस्था की जावे। (5) खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ किये जाने के लिये प्राथमिकता के आधार पर उच्चतर माध्यमिक शालाओं की स्थापना की जावे।

उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1986-87 में 35 अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाय। इस हेतु निम्नलिखित पद निर्मित किये जायेंगे तथा कुल रु. 25.65 लाख का व्यय अनुमानित है:—

क्र.	पद	वेतनमपन रुपये	प्रति वर्ष 86-87 के लिये अनुमानित व्यय
			लाखों में
1.	35 प्राचार्य	1000—1920	6.30
2.	175 उच्च श्रेणी शिक्षक	740—1180	23.10
3.	35 क्राफ्टस् शिक्षक	740—1180	4.62
4.	35 प्रयोगशाला सहायक	545—925	3.36
5.	35 निम्न श्रेणी शिक्षक	515—800	3.15
6.	105 भृत्य	380—495	1.32

इस पर रुपये 19.89 लाख का व्यय अनुमानित है।

अनावर्तक व्यय—रु. 1000 प्रतिशप्टला स्टेशनरी चाक अप्पि .. .. 0.35

अनावर्तक व्यय—

रुपये लाखों में

(अ) अलमारी 2 नग प्रतिशाला रु. 2000 प्रतिनग	1.40
(ब) शिक्षकों तथा लिपिकों के लिये डेवल कुर्सी 400 प्रतिसेट के मान से 315 कर्मचारियों के लिये	1.26
(स) डब्लडेस्क 700 विद्यार्थियों के लिये 200 प्रति नग	1.40
(द) विज्ञान उपकरणकेमिकल्सविज्ञान सामग्री 500 प्रतिशाला के मान से	1.75

इस प्रकार कुल रु. 5.81 लाख अनावर्ती व्यय होगा।

अतः इस प्रयोजन के लिये रु. 25.65 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-99-10+2 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत धन दो कक्षाएं प्रारंभ करना

आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा 520 उच्चतर माध्यमिक शालायें तथा 14 विशिष्ट शालायें (आदर्श उ. मा. विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर एवं गुरुकुल विद्यालय) संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 84-85 में से राज्य शासन द्वारा 10+2 शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई है। पिछले वर्ष 85-86 में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कक्षा 10 वीं तक के लिये अने वाले स्टाफ तथा सामग्री उपकरण आदि स्वीकृत किये गये हैं।

विभाग द्वारा संचालित उपर्युक्त 534 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से कितनी शालाओं में 10+2 कक्षाएं प्रारंभ की जायेंगी, इस संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है। इसके परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा संचालित 520 शालाओं में से 212 उ. मा. शालायें जो कि विकास खण्ड स्तर पर संचालित है सर्व कन्या शालायें एवं कुछ कस्बों एवं शहरों में संचालित है में 10+2 कक्षा प्रारंभ किया जाना है। इसके अतिरिक्त 14 विशिष्ट शालायें (आदर्श उ. मा. विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर एवं गुरुकुल विद्यालय) में पूर्व से ही स्टाफ एवं सामग्री व्यवस्था होने के फलस्वरूप इनमें भी 10+2 कक्षाएं प्रारंभ किया जाना है इस तरह से विभाग द्वारा संचालित 226 उ. मा. विद्यालय में 10+2 कक्षाएं प्रारंभ किया जाना है। उपर्युक्त 212 उ. मा. शालाओं में कला एवं विज्ञान संकाय का अध्यापन कराया जायेगा तथा सर्व कन्या शालाओं में कला एवं विज्ञान संकाय के साथ ही साथ गृह विज्ञान संकाय का अध्यापन कराया जावेगा। इसी अनुष्य 23 उ. मा. शाला जिनमें वाणिज्य संकाय पूर्व से ही स्वीकृत है में कला विज्ञान के साथ ही साथ वाणिज्य संकाय का अध्यापन कराया जायेगा। जिसके लिये निम्नानुसार नये पदों को आवश्यकता होगी:—

पद संख्या	वेतनमान रुपये
1. प्राचार्य (प्रथम श्रेणी)	212 1370-2100
2. प्राचार्य द्वितीय श्रेणी (का पद विलोपित किये जाने पर इस पर होने वाले व्यय में कमी हो सकेगी।	
3. व्याख्याता	316 925-1500
3. प्रयोग शाला सहायक	212 545-925
4. लेखापाल	155 635-950

5. अगले प्रयोग शाला सामग्री उपकरण आदि के लिये निम्नानुसार व्यय अनुमानित है :—

आवर्ती व्यय	रुपये लाखों में
वेतन एवं भत्ता .. .. .	27.00
मजदूरी .. .. .	14.00
अन्य नैमित्तिक व्यय .. .. .	12.00
<b>अनावर्ती व्यय :</b>	
डयूल हेक्स वाणिज्य संकाय के लिये सामग्री	
विज्ञान सामग्री, अलमारी, प्रयोग शाला टेबिल आदि .. .. .	7.70
<b>कुल योग .. .. .</b>	<b>60.70</b>

अतएव इस प्रयोजन के लिये बजट में रु. 60.70 लाख का प्रावधान किया गया है।

शीर्ष 488—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय :

मद क्रमांक 41-100—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन का निर्माण।

वर्तमान प्रदेश में विभाग द्वारा 7 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं आदिवासी युवकों के लिए चलाई जा रही है। इनमें से केवल 4 स्थानों पर विभागीय भवन उपलब्ध है तथा अन्य 3 स्थानों पर संस्थायें तथा छात्रावास किराये भवनों में कार्यरत हैं। इसी प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मण्डला तथा बस्तर में केवल एक एक 100 सीट का छात्रावास उपलब्ध है जबकि इन संस्थाओं के स्वीकृत स्थान क्रमशः 300 तथा 408 है। अतः इन संस्थाओं में 50 सीटवाले छात्रावासों का निर्माण करना आवश्यक है। इन छात्रावासों का निर्माण मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया जावेगा इन भवनों को अनुमानित लागत रु. 102.05 लाख आयेगी जिसमें से 30 लाख का प्रावधान वर्ष 86-87 के बजट में किया जा रहा है।

मद क्रमांक 41-101.—इस विभाग के अधीन 174 विकास खण्डों के कार्यक्रमों के मुचारू रूप से क्रिया-न्वियन एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से विकास खांड अधिकारी को जांप दी जाना आवश्यक है। इस बात को ध्यान रखते हुए तथा वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि विकास खण्डों के लिए जीप का प्रदाय विभिन्न चरणों में किया जाय। इसी अनुक्रम में वर्ष 1986-87 के दौरान 30 विकास खण्डों में जीप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अब तक 60 विकास खण्डों में जीप प्रदाय की जा चुकी है। प्रदाय की जाने वाली जीपों के लिये निम्नानुसार रुपय 32.00 लाख का व्यय अनुमानित है:—

(1) जीप का क्रय .. .. .	27.60 लाख
(2) वहन चालक के वेतन व भत्ते (मजदूरी) .. .. .	2.40 लाख
(3) अन्य व्यय (पी. ओ. एल. इत्यादि) .. .. .	2.00 लाख

अतएव इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में रुपये 32,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

### 23—समाज कल्याण विभाग

#### 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

मद क्रमांक 41-102.—महिल आरंभिक बचत कल्याण हेतु राज्य स्तरीय कमला नेहरू स्मृति महिला बाल कल्याण निधि का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है इस निधि के गठन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 5.00 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

## 24—पर्यटन विभाग

339—पर्यटन

मद क्रमांक 41-103.—पर्यटन सुविधाओं के लिए स्थानीय संस्थाओं/पंजीकृत संस्थाओं मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को अनुदान।

राज्य के पर्यटन केन्द्रों पर जल प्रदाय सड़क प्रकाश भू-दृश्यीकरण दिवस बसेरा, पहुंच मार्ग सार्वजनिक प्रसाधनालय आदि पर्यटन सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है।

इस उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में माण्डू,अमरकंटक प्रमुख पर्यटन केन्द्रों के सहायक विकास के लिये विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। परन्तु इसके आय के स्त्रोत सीमित हैं इसलिये इस प्राधिकरण द्वारा पर्यटकों की बुनियादी सुख सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।

अतः राज्य शासन द्वारा इन्हें अनुदान के रूप में सहायता दिये जानेका निर्णय लिया गया है।

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 2.00 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

मद क्रमांक 41-104.—राज्य पर्यटन विकास निगम की अंशपूजी में निवेश।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की अंशपूजी में धनवेष्ठन के लिये रुपये 30.00 लाख का प्रावधान वर्ष 1986-87 में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये अंशपूजी के रूप में करने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 30,00,000 का प्रावधान किया गया है

## 25—आयकट विभाग

शीर्ष 537—सड़कों और पुतों पर पूंजीगत परिव्यय

मद क्रमांक 41-105.—आदिवासी क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रामों के नालों पर रपटें एवं पुलियों का निर्माण। आयकट विभाग के अन्तर्गत आवागमन की वृद्धि के लिये तथा कृषि उन्मज को मण्डी तक पहुंचाने हेतु सड़क कार्यक्रम हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। मुख्य क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आदिवासियों के ग्रामों की नालों पर पुलियाएँ रपटें बनाकर एक दूसरे से जोड़ना है। इससे वर्षा ऋतु में जो आवागमन अवरोध होता है वह नहीं हो सकता। इससे आदिवासी कृषकों की कृषि उपज मण्डियों तक लाने तथा कृषि बीज रासायनिकक खाद उनके खेतों तक सुलभ कराने में सुगमता होगी।

अतः प्रस्तावित है कि निम्नांकित परियोजनाओं में जहां आदिवासी उपयोजना के क्षेत्र हैं, निम्नानुसार प्रावधान किया जाय।

1. तवा	..	..	..	..	..	..	15.00
2. चम्बल	..	..	..	..	..	..	15.00
3. अपर बैतगंगा	..	..	..	..	..	..	15.00
4. बरगी	..	..	..	..	..	..	14.00
5. बाणसागर	..	..	..	..	..	..	15.00
							75.00

अतः इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में रुपये 75.00 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

## 29—उच्च शिक्षा विभाग

शीर्ष 277—शिक्षा

मद क्रमांक 41-106.—महाविद्यालयों के लिये क्रीडा अधिकारी के पदों का निर्माण।

मध्यप्रदेश के 24 आदिवासी क्षेत्र के महाविद्यालयों में एक-एक क्रीडा अधिकारी के पद का निर्माण किया जावे। इन पदों का निर्माण आगामी शैक्षणिक सत्र से किया जावेगा जिस पर वार्षिक व्यय भार रुपये 3,50,000 आवेगा।

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 3,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-107.—महाविद्यालयों के लिए रजिस्ट्रार के पदों का निर्माण।

मध्यप्रदेश के 4 आदिवासी क्षेत्र के महाविद्यालयों जहां 1,000 से अधिक छात्र संख्या हैं एक-एक रजिस्ट्रार के पद का निर्माण किया जावे। इन पदों का निर्माण आगामी शैक्षणिक से किया जावेगा जिस पर वार्षिक व्यय भार रुपये 60,000 (रुपये साठ हजार) आवेगा।

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 60,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

41-108.—शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के संस्त शासकीय महाविद्यालयों के आदिवासी छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी तथा पुस्तकों का प्रदाय किया जावे।

इस पर व्यय भार 20 लाख रुपये अनुमानित है।

तदनुसार रुपये 20.00 लाख रुपये का प्रावधान अनावर्ती व्यय के रूप में शामिल किया गया है।

## 30—जनशक्ति नियोजन विभाग और तकनीकी शिक्षा

277—शिक्षा

मद क्रमांक 41-109.—देखिये मद क्रमांक 47-13।

मद क्रमांक 41-110.—निर्णय लिया गया है कि शासकीय पोलिटेकनिक अम्बिकापुर के लिए वर्ष 1986-87 में पुस्तकें, साज-सज्जा, उपकरणों के क्रय लिये 6.25 लाख रुपये का प्रावधान योजना बजट में किया जाये।

इस व्यय में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 3.50 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

तदनुसार वर्ष 1986-87 के उपयोजना बजट में अनावर्ती व्यय हेतु 6.25 लाख रुपये का प्रावधान शामिल किया गया।

मद क्रमांक 41-111.—शासकीय पोलिटेकनिक, झाबुआ में तृतीय वर्ष की कक्षाओं के लिये तथा मैकनिकल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभागों की स्थापना कार्य के लिये प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करना होगा।

अतः यह निर्णय लिया गया कि इस संस्था के लिये पुस्तक उपकरण एवं साज-सज्जा का क्रय किया जाये तथा इसके लिये योजना बजट में 7.00 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया जाये। इसमें 2.50 लाख रुपये की एडीटिव असिस्टेन्टस की राशि सम्मिलित है।

तदनुसार इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के उपयोजना बजट में अनावर्ती व्यय हेतु 7.00 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-112.—निर्णय लिया गया है शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में आगामी शैक्षणिक सत्र से चौथे वर्ष की कक्षाएँ शुरू होंगी तदनुसार प्रयोगशालाओं के लिये उपकरण, साज-सज्जा तथा पुस्तकों की व्यवस्था की जाये तथा नये पद निर्मानुसार निर्मित किये जाये एवं बाह्य प्रशिक्षण के लिये एक बई बस भी क्रय की जाये।

क्र.मांक.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	प्राध्यापक	1	1500--2500
2.	रीडर	1	1200-1900
3.	व्याख्याता	1	700-1600
4.	तकनीकी सहायक	4	740--1250
5.	कर्मशाला निदेशक	2	635--1000
6.	कुशल सहायक	2	485--770
7.	हम्माल]	4	आकस्मिकता से देय.
8.	भृत्य]	2	380--515
9.	फरशि]	2	380--515

उक्त पदों पर 2.07 का व्यय भार आवेगा तदनुसार इस प्रयोजन के लिये 2.07 लाख अनावर्ती व्यय तथा 9.15 लाख अनावर्ती व्यय जिसमें विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि 3.00 लाख सम्मिलित है। कुल 11.22 लाख का प्रावधान शामिल किया जाये।

मद क्रमांक 41-113.—देखिये मद क्रमांक 47-17।

मद क्रमांक 41-114.—निर्णय लिया गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र से शासकीय पोलिटेकनिक, अम्बिकापुर में 30 छात्रों को प्रवेश क्षमता से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने निम्नानुसार पद निर्मित किये जायें तय अनावर्ती व्यय एवं अनावर्ती व्यय हेतु क्रमशः 0.67 लाख रुपये तथा 1.25 लाख रुपये का प्रावधान आदिवासी उपयोजना बजट में किया जाये।

क्रमांक.]	पद नाम	पदों की संख्या]	वेतनमान
1.	विभागाध्यक्ष (माइनिंग इंजीनियरिंग)	1	1000--1900
2.	व्याख्याता (माइनिंग इंजी.)	1	700-1600
3.	प्रयोगशाला सहायक	2	515--840
4.	भृत्य]	1	380--515
5.	फरशि]	1	आकस्मिकता से देय।
6.	हम्माल (3 प्रयोगशालाओं के लिये एक)]	3	आकस्मिकता से देय।

अतः उक्त प्रयोजन के लिये 1986-87 के आदिवासी उपयोजना बजट में रुपये 1.92 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है। इसमें रुपये 0.67 लाख विशेष केन्द्रीय सहायता राशि भी प्राप्त होगी।

मद क्रमांक 41-115.--निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये वर्ष 1986-87 में 5.85 लाख रुपये की लागत से पुस्तकें क्रय की जावें। इस व्यय में विशेष केन्द्रीय सहायता की 3.31 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

अतः इस प्रयोजन के लिये आदिवासी उपयोजना बजट में अनार्वर्ती व्यय के रूप में रुपये 5.85 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 41-116.--देखिये मद क्रमांक 47-8।

मद क्रमांक 41-117.--देखिये मद क्रमांक 47-9।

मद क्रमांक 41-118.--देखिये मद क्रमांक 47-4।

31--नगरीय कल्याण विभाग

शीर्ष--284--नगर विकास

मद क्रमांक 41-119 व 120.--यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य क्षेत्रों की भांति आदिवासी एवं हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में भी गरीबों के आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम हेतु स्टेप-अप योजना क्रियान्वित की जावे। जिसके लिये राज्य शासन द्वारा आयोजना सीमा में से तथा केन्द्रीय शासन से सहायता के रूप में मिलनेवाली राशियों से निम्नानुसार योजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है:--

	राज्य शासन रुपये	केन्द्र शासन रुपये
1. आदिवासी क्षेत्र उप योजना	40.00 लाख	30.00 लाख
2. अनुसूचित एवं जनजाति योजना	60.00 लाख	50.00 लाख
कुल	100.00 लाख	80.00 लाख

अतएव इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में नवीन मद के रूप में उपरोक्तानुसार प्रावधान शामिल किया गया है।

व्यय के नवीन मदों पर स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी

मं. संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

1—राजस्व विभाग

229—भू-राजस्व

मद क्रमांक 64-1.—विभागीय योजना का प्रचार ।

भू-सुधार, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त की योजनायें ऐसी हैं जिसका सम्बन्ध सीधा कृषकों से है। ब्राडम पद्धति से अभिलेखा निर्माण आदि ऐसी बातें हैं जिनका कृषकों को भी ज्ञान होना चाहिये। विभाग के कार्यकलापों पर प्रकाश डालने एवं उनके प्रयोजन के लिये कृषकों के मध्य प्रचार हेतु वर्ष 1985-86 के बजट में रुपये 56,000 का प्रावधान किया जा रहा है।

3—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मद क्रमांक 64-2 से 6 तथा 8 से 11.—हाथ करघा उद्योग विकास कार्यक्रम।

वर्ष 1986-87 में हाथकरघा उद्योग के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न योजनायें कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं पर उनके सामने दर्शायी गई राशियों के अनुसार वर्ष 1986-87 में रुपये 37.73 लाख का व्यय अनुमानित है:

(राशियां लाख रुपयों में)

1. प्रोजेक्ट हाथकरघा चम्बल एवं विन्ध्याचल	..	..	..	..	20.00
2. लघु हाथकरघा फैक्ट्री की स्थापना	..	..	..	..	2.00
3. हाथकरघों का आधुनिकीकरण	..	..	..	..	5.73
4. बुनकर आवास सह कर्मशाला	..	..	..	..	10.00

अतएव उपरोक्त प्रयोजनों के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में निम्नानुसार रुपये 37,73,000 व्यवस्था सम्मिलित की गई है:—

योजना का नाम	बजट शीर्ष			योग	
	298	698	721		
1. प्रोजेक्ट हाथकरघा चम्बल	..	5.25	1.75	..	7.00
2. विन्ध्याचल गोदाम प्रक्रिया इकाई	..	7.50	2.50	..	10.00
3. परियोजना प्रशासन	..	3.00	..	..	3.00
4. लघु हाथकरघा फैक्ट्री	..	..	..	2.00	2.00
5. हाथकरघों का आधुनिकीकरण	..	5.73	..	..	5.73
6. बुनकर आवास सह कर्मशाला	..	10.00	..	..	10.00
		31.48	4.25	2.00	37.73

मद क्रमांक 64-7.—मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम को अनुदान।

प्रदेश में चर्मकारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम के माध्यम से चर्मकारों की शवोच्छेदन शोधन तथा चर्म वस्तु निर्माण में प्रशिक्षण देने तथा चर्मकारों को आवश्यक वस्तु जैसे औजार, उपकरण मशीन आदि कच्चे माल की सुविधा कराने हेतु रुपये 36.75 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 36,75,000 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है:



मद क्रमांक 64-12 से 16.—हाथकरघा उद्योग के विकास हेतु सहकारी समितियों को सहायता।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित 5 योजनायें कार्यान्वित कराई जाने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उनके सामने दर्शायी गई राशियों के अनुसार रुपये 25.65 लाख का व्यय अनुमानित है:—

	राशियां लाख रुपयों में
1. हाथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु डी.आई.आई. के समान व्याज अनुदान।	2.00
2. रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना	5.00
3. निष्क्रिय बुनकर सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने हेतु सहायता	3.65
4. बुनकर कालोनी सह कर्मशाला	10.00
5. परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सहायता	5.00
योग	25.65

अतएव उपरोक्त प्रयोजनों के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 25,85,000 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

दम क्रमांक 64-17.—मध्यप्रदेश खादी बोर्ड की हरिजन उत्थान हेतु विकास योजना।

हरिजन उत्थान बुनकरों की बसाहट की योजना आदिवासी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग परषद द्वारा क्रियान्वित कराई जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत अम्बर कताई बुनाई केन्द्रों तथा ऊनी वस्त्र उत्पादन केन्द्रों के निकट बुनकरों की बसाहट कर उन्हें पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। उक्त योजना पर प्रति बुनकर रुपये 5,000 का व्यय अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 1986-87 में 100 बुनकरों को व्यवस्थापित करने का लक्ष्य है जिस पर रुपये 5.00 लाख का व्यय होगा।

अतएव उक्त प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 5,00,000 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

#### 4—कृषि विभाग

##### शीर्ष 305—कृषि

मद क्रमांक 64-18—अनुदान संख्या 13 के अधीन देखिये क्रमांक 13-4।

#### 6—डेअरी विकास विभाग

##### 311—डेयरी विकस

मद क्रमांक 64-19.—हिरी (जिला रायगढ़) में दुग्ध शीतकेन्द्र की स्थापना।

ग्राम हिरी (जिला रायगढ़) में 2,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध शीतकेन्द्र की स्थापना की स्वीकृति वर्ष 1983-84 में प्रदान की गई है। ग्राम में किराये के उपयुक्त भवन व आवास उपलब्ध नहीं है। अतः संयंत्रों की स्थापना एवं कर्मचारियों के लिये शासकीय भवन व आवास गृह होना आवश्यक है। शीतकेन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक उपकरण भी क्रय किये जाना है। इस हेतु रुपये 3.30 लाख का व्यय निम्नानुसार प्रस्तावित है:—

अनावर्ती व्यय:	रुपये
भवन (शेड) का निर्माण	1.50 लाख
आवास का निर्माण	1.00 लाख
संयंत्रों एवं उपकरणों का क्रय (क्रीम सेपरेटर, मिल्क केन्स, स्टोरेज टैंक आदि)	0.80 लाख

कुल योग अनावर्ती व्यय . . . . . 3.30 लाख

अतः इस प्रयोजन के लिये बजट अनुमान 1986-87 में रुपये 3,30,000 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

#### 7—मछली पालन विभाग

##### शीर्ष—312

मद क्रमांक 64-20.—हरिजन मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों के लिये मत्स्य जीवियों का जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा।

मछुओं की जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (केन्द्र प्रवर्तित) का लाभ राज्य की हरिजन मछुआ सहकारी समितियों का सदस्यों की भी उपलब्ध कराना आवश्यक है। एक मछुए के बीमे पर प्रथमतः रुपये 12 का वार्षिक व्यय होता है जिसे प्रारम्भ में राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा तथा तत्पश्चात् उसके 50 प्रतिशत की पूर्ति भारत शासन द्वारा की जावेगी।

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 6,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

मद क्रमांक 64-21.—राष्ट्रीय कल्याण निधि योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति की सहकारी समितियों की सहायता हेतु अंशदान।

भारत शासन ने मछुओं की राष्ट्रीय कल्याण निधि कायम की है जिससे मछुओं के कल्याण हेतु निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये सहायता उपलब्ध है।

- बच्चों की शिक्षा
- आवास गृहों का निर्माण
- लीन सीजन राहत (ऋण रूप में)
- पेयजल की सुविधा
- चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
- वृद्ध अवस्था पेंशन।

उपर्युक्त कार्यक्रमों का अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वयन किया जाना है। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत योजना अनुसार भारत शासन, राज्य शासन तथा समिति की पूंजी से निम्नानुसार हो सकेगी।

- कुल व्यय का 112 भाग केन्द्रीय सरकार देगी।
- कुल व्यय का 113 भाग राज्य सरकार देगी।
- कुल व्यय का 116 भाग समिति अपनी पूंजी से जुटायेगी।

हरिजन मछुआ सहकारी समितियों को इस योजना का समुचित लाभ दिलाने के लिये मछुआ कल्याण निधि में राज्य शासन की ओर से रुपये 0.82 लाख का अंशदान वर्ष 1986-87 में देना प्रस्तावित है।

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 82,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

मद क्रमांक 64-22.—अनुसूचित जाति मत्स्य पालकों के लिये फिशरीज स्टेट की स्थापना।

राज्य के अनुसूचित जातियों के लोगों को मछली पालन की योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से छोटे-छोटे तालाबों का एक ही स्थान पर निर्माण कराकर उन पर उनको बसाने के लिये फिशरीज एस्टेट की स्थापना प्रस्तावित है। फिशरीज एस्टेट की स्थापना हेतु विभिन्न आयाकट क्षेत्रों में जहां मानी हमेशा उपलब्ध रह सकेगा ऐसे स्थलों का चयन किया जावेगा जो कृषि हेतु विशेष उपयोगी नहीं है। स्थल चयन पश्चात् फिशरीज एस्टेट की स्थापना हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जावेगी। इस कार्यक्रम पर वर्ष 1986-87 में रुपये 4,06,000 का व्यय करना प्रस्तावित है।

अतः वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान में रुपये 4,06,000 का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

#### 9. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

##### शीर्ष 280—चिकित्सा

मद क्रमांक 64-23.—वर्ष 1986-87 में भारत सरकार की योजना आयोग की नीति के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने के लिये निम्नांकित पदों का निर्माण तथा अन्य व्यय किया जाना प्रस्तावित है:—

पद का नाम	संख्या	वेतनमान
सहायक शल्य चिकित्सक .. .. .	2	1000—1920
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर .. .. .	2	900—1450
स्टाफ नर्स .. .. .	2	635—950
लैब टेक्नीशियन .. .. .	2	635—950
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	2	515—800
महिला बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता .. .. .	2	485—740
हेल्थ असिस्टेंट एक महिला/एक पुरुष .. .. .	4	575—880
कम्प्युटर .. .. .	2	575—880
डाइवर .. .. .	2	515—800
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी .. .. .	8	380—495

प्रति केन्द्र के लिए चार की दर से.

इस वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा :—

प्रावर्ती:		रुपये.
1. वेतन/भत्ते आदि .. .. .	.. .. .	2,24,223
2. दवाईयां पी. ओ. एल. भवन किराया बिजली पानो .. .. .	.. .. .	75,777
कुल प्रावर्ती ..		3,00,000
घनावर्ती:		
1. उपकरण/साजसज्जा .. .. .	.. .. .	45,000
महायोग ..		3,45,000

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 3,45,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 64-24.—60 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कम से कम प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदाय करने के लिये अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में 60 उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिये निम्नांकित पदों का निर्माण तथा अन्य व्यय किया जाना प्रस्तावित है :—

पद का नाम	संख्या	वेतनमान (रुपये)
महिला बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता ..	60	485-740
पुरुष बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता ..	60	485-740

इस पर वर्ष 1986-87 में निम्नानुसार व्यय होगा :—

प्रावर्ती:		रुपये
वेतन/भत्ते आदि .. .. .	.. .. .	4,40,000
भवन किराया .. .. .	.. .. .	60,000
कुल प्रावर्ती व्यय ..		5,00,000
घनावर्ती:		
उपकरण/साजसज्जा आदि .. .. .	.. .. .	1,20,000
महायोग ..		6,20,000

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 6,20,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 64-25.—हरिजन बाहुल्य क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं को हरिजन रोगियों को आवश्यक सामग्री भोजन एवं औषधियों के प्रदाय किये जाने की अतिरिक्त व्यवस्था निम्नानुसार की जाना प्रस्तावित है :—

		रुपये.
औषधिययां .. .. .	.. .. .	15,00,000
भोजन .. .. .	.. .. .	5,00,000
आवश्यक सामग्री .. .. .	.. .. .	5,00,000
कुल प्रावर्ती व्यय ..		25,00,000

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1966-87 के बजट में रुपये 25,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

10—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मद क्रमांक 64-26.—कृपया किताब नम्बर 15-1 देखें।

मद क्रमांक 64-27 व 28.—कृपया किताब नम्बर 15-6 व 15-15 देखें।

## 12—सिंचाई विभाग

शीर्ष—506

मद क्रमांक 64-29.—हरिजन विशेषांश योजना के अन्तर्गत विदिशा जिले के कुरवाई विकास खण्ड में मालिया खेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना।

यह निर्णय लिया गया है कि विदिशा जिले के कुरवाई विकास खण्ड मालियाखेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण कार्य अनुमानित लागत रुपये 23.49 लाख से चालू किया जाय। अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में रुपये 3 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

## 13—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मद क्रमांक 64-30 से 35.—देखिये मद क्रमांक 30-14 एवं 15

मद क्रमांक 64-36.—देखिये मद क्रमांक 30-16

मद क्रमांक 64-37.—वर्ष 1986-87 के दौरान 50 पूर्व माध्यमिक तथा 5 पोस्ट मेट्रिक छात्रावा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिये निम्नानुसार रुपये 35.00 लाख का व्यय अनुमानित है:—

1. वेतनमान एवं भत्ते	.. .. .	6.00 लाख
2. मजदूरी	.. .. .	5.00 लाख
3. शिष्यवृत्ति	.. .. .	8.50 लाख
4. भवन किराया	.. .. .	3.80 लाख
5. प्रकाश एवं जल प्रभार	.. .. .	0.50 लाख
6. अन्य नैमित्तिक व्यय	.. .. .	1.00 लाख

24.00 लाख

साज सज्जा।रसोई साज सामान।फर्नीचर खेलकूद सामग्री।पुस्तकालय आदि 11.00 लाख

इन छात्रावासों के लिए निम्नलिखित पद भी नियुक्ति के दिनांक से निर्मित किये जाने हैं:—

1. छात्रावास अधीक्षक	.. .. .	55 पद	50पद—545—925 5 पद 740—1100
2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	.. .. .	115 पद	मजदूरी से देय

इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में 36.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64-38.—विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावासों में पृथक से चौकीदार का पद नहीं दिया गया है बल्कि आकस्मिकता निधि से पानी वाले का पद स्वीकृत किया गया है वह चौकीदार का काम करता है। पानी वाले का कार्य दिन भर का होने से, उससे चौकीदारी के कार्य मुस्तैदी से करने में कठिनाई होती है:—

अतः निर्णय लिया गया है कि छात्रावासों के लिये अलग से चौकीदार का पद उपलब्ध कराया जावे। अतः 114 चौकीदार के रद निर्मित किये जाना है।

इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 4.90 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64-39.—प्राचीन पंचवर्षीय योजनाकाल में 315 छात्रावास/आश्रमों में साज-सज्जा का बदलाव किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 1985-86 छात्रावास/आश्रमों में साज सज्जा का बदलाव किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 1986-87 में 58 छात्रावास/आश्रमों में साज सज्जा का बदलाव किया जाना है।

इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 में रुपये 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64-40.—इस विभाग के अन्तर्गत 5 प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र 4 चर्मशोधन केन्द्र एवं 2 हस्त करवा केन्द्र संचालित है। ये केन्द्र तृतीय पंचवर्षीय काल में उद्योग विभाग से स्थानान्तरित हुए थे। इन केन्द्रों के अधिकांश मशीन उपकरण 20 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं एवं अनुपयोगी हो गये हैं और उनका बदलाव अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में अनुमान में रुपये 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64-41.--अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 के दौरान क्रमशः 9 व 14 प्रीमेट्रिक छात्रावास प्रारम्भ किये गये हैं। प्रदेश में अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोगों के बच्चों की संख्या को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 12 प्रीमेट्रिक छात्रावास स्थापित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 1986-87 में नये प्रीमेट्रिक छात्रावासों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसपर निम्न विवरणानुसार 1.23 लाख का व्यय अनुमानित है।

								रुपये
1.	वेतन एवं भत्ते	..	..	..	..	..	..	19,000
2.	शिष्यवृत्ति	..	..	..	..	..	..	34,000
3.	मजदूरी	..	..	..	..	..	..	19,000
4.	प्रकाश व्यय	..	..	..	..	..	..	1,200
5.	भवन किराया	..	..	..	..	..	..	12,000
6.	अन्य आकस्मिक व्यय	..	..	..	..	..	..	3,800
योग								89,000
1.	साज सज्जा	..	..	..	..	..	..	20,000
2.	रसोई साज सामान	..	..	..	..	..	..	8,000
3.	पुस्तकालय	..	..	..	..	..	..	2,000
4.	फर्नीचर	..	..	..	..	..	..	2,000
5.	खेल कूद सामग्री	..	..	..	..	..	..	2,000
योग								34,000
वृद्ध योग								1,23,000

इन छात्रावासों के लिए 2 छात्रावास अधीक्षक वेतनमान रु. 545--925 तथा चार चतुर्थ श्रेणी के पद मजदूरी से देय निर्मित किये जायेंगे। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 1.23 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64-42.-- अनुसूचित जाति कार्यक्रमों के कार्यभार को देखते हुए विभिन्न स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढकिया जाना आवश्यक है। संचालनालय हरिजन विकास के लिए विभागीय कार्यक्रमों के प्रचार संबंधी कार्य के लिए कोई अमला उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार संभाग स्तर के कार्यालयों में भी लिपकीय अमला पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही कार्यक्रमों के समुचित पर्यवेक्षण की दृष्टि से सागर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, शाजापुर, सीहोर, विदिशा तथा राजगढ़ जिलों के लिए जहां कि इनके कार्यक्रम बहुतायत में हैं जीप दिया जाना आवश्यक है इसके साथ प्रचार कार्यक्रम हेतु जीप दी जाना है। इस व्यवस्था हेतु निम्नानुसार रु. 15.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

1.	वेतन एवं भत्ते	..	..	..	..	..	..	3.40 लाख.
2.	यात्रा व्यय	..	..	..	..	..	..	0.05 लाख.
3.	मजदूरी	..	..	..	..	..	..	0.05 लाख.
4.	अन्य व्यय (पी. ओ. एल. आदि)	..	..	..	..	..	..	0.50 लाख.
5.	जीप, फर्नीचर आदि	..	..	..	..	..	..	11.00 लाख.

प्रस्तावों में निम्नलिखित पद भी नियुक्ति के दिनांक से निर्मित किया जाना शामिल है:--

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	..	..	..	..	1	925--1500
सहायक	..	..	..	..	9	680--1060
लेखापाल	..	..	..	..	4	635--950
उ. श्रे. लि.	..	..	..	..	4	575--880
नि. श्रे. लिपिक	..	..	..	..	16	515--800
भृत्य	..	..	..	..	12	380--495
वाहन चालक	..	..	..	..	10	मजदूरी से देय.

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 15.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64-43.—विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न विभिन्न अशासकीय संस्थाओं को शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन हेतु अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 1986-87 के दौरान निम्न संस्थाओं को नवीन प्रवृत्तियों के लिए रु. 2.50 लाख का अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है:—

(1)	म. प्र. रवि महासंघ जबलपुर को हरिजन महिला सिलाई केन्द्र तथा प्राथमिक शाला एवं बालवाड़ी संचालन हेतु।	0.06 लाख.
(2)	बीकर सेक्शन एसोसियेशन जबलपुर को हरिजन बालवाड़ी हेतु	0.17 लाख.
(3)	उषा किरण महिला सिलाई कढ़ाई एवं बाल कल्याण केन्द्र इन्दौर को प्राथमिक शाला हेतु।	0.67 लाख.
(4)	सन्तोषी महिला केन्द्र जबलपुर को बालवाड़ी तथा सिलाई केन्द्र हेतु	0.35 लाख.
(5)	हरिजन सेवक संघ इन्दौर को निरीक्षण स्टाफ हेतु	0.25 लाख.

योग रु. 2.50 लाख.

अतः वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में इस प्रयोजन हेतु रु. 2.50 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64-44.—राज्य शासन व्यापक पैमाने पर सूदूर क्षेत्रों तक प्राथमिक शिक्षा से लोकव्यापी करण हेतु शालाएँ खोलकर शिक्षा के विस्तार के लिये प्रयासरत है फिर भी ऐसे घूमकड़ जाति के परिवार जोकि लम्बे समय के लिये बड़े निर्माण कार्यों के लिए आवागमन करते हैं तथा वर्ष में स्थान बदलते रहते हैं उनके शिक्षा योग्य बच्चे शाला से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं अतः कल्याण का प्रकाश यथा सम्भव पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसे परिवारों के बच्चों के लिये प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनके कार्यानिवास स्थल पर उपलब्ध करने के लिये चल विद्यालय वर्ष 1986-87 में 11 जिलों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक चल शाला के लिये 1 शिक्षक एवं 1 दैनिक वेतन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिये जायेंगे। इस प्रकार की 11 शालायें खोलना प्रस्तावित है जिनके लिये वेतन व भत्ते आदि रु. 1.50 लाख का व्यय अनुमानित है साथ ही इनके लिये 11 सहायक शिक्षक वेतन 545—925 तथा 11 दैनिक वेतन पर चतुर्थ श्रेणी के पद भी निर्मित किये जावेंगे।

अतः इस प्रयोजन हेतु रु. 1.50 लाख का प्रावधान वर्ष 1986-87 के बजट में किया गया है।

मद क्रमांक 64-45.—विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये संचालित विभिन्न प्रवृत्तियों जैसे छात्रावास। आश्रम आदि के सेवाओं के संबंध में यदा-कदा क्षेत्र स्तर से शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा यदि ऐसी त्रुटियों को यथासमय दूर नहीं किया जाता तो इससे आगे कठिनाई उत्पन्न होती है। कभी कभी छोटी सी राशि के लिये उच्चस्तर से स्वीकृति आदि प्राप्त करने में समय लग जाता है और यथा समय त्रुटियों दूर नहीं हो पाती। अतः यह प्रस्ताव है कि ऐसी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संभागयुक्ताक्षेत्रीय आदिवासी विकास प्राधिकरणों के विकल्प पर स्वविवेक राशि रखी जावे ताकि वे यथासमय त्रुटियों को दूर करा सकें। अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 में रु. 10.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64-46.—अनुसूचित जाति के विकास पर 7 वीं योजना के लिये केन्द्र सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अप्रसूयता निवारण के लिये पी. सी. आर सेल के प्रचार हेतु विशेष बल दिया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग में भी अपने प्रतिवेदनों में भी अप्रसूयता के सामाजिक बुराई पर काबू पाने के लिये सिविल अधिकार संरक्षण के प्रभावशाली उपयोग तथा जनजाति को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रचार प्रसार तथा आधुनिक जन माध्यमों के प्रयोग के लिये निर्देशित किया है। इस संबंध में कार्यकारी दल ने मुख्य रूप से दो बातों पर जोर दिया है। प्रथम अप्रसूयता की समस्या का गहराई से अध्ययन कर पहचान की गई समस्याओं के आधार पर अप्रसूयता उन्मूलन के उपाय हेतु मार्गदर्शिका तैयार करना तथा दूसरी अप्रसूयता के उन्मूलन के लिये लोगों में सही भाव जागृत करने के लिये व्यापक रूप से प्रचार की व्यवस्था करना। इस योजना पर रु. 5.80 लाख का व्यय अनुमानित है:—

1.	अलेख माला	0.50
2.	परिसंवादों का आयोजन	0.50
3.	अप्रसूयता ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान हेतु सर्वेक्षण अनुदान	1.50
4.	विभिन्न प्रचार साहित्य का प्रसारण	1.00
5.	वृत्त चित्र तैयार करना	2.00
6.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.50

योग 5.80

इस प्रयोजन हेतु रु. 5.80 लाख का प्रावधान वर्ष 1986-87 के बजट में किया गया है।

मद क्रमांक 64-47.--विभाग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा राज्य सेवा की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए क्रमशः भोपाल तथा रायपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों को अधिक क्रियाशील किये जाने हेतु उन्हें सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित अतिरिक्त पद निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है:--

पद का नाम	केन्द्र		वेतनमान
	रायपुर	भोपाल	
1. संचालक .. .. .	1	..	2500-3000
2. उप-प्राचार्य .. .. .	..	1	1200-1900
3. स्टेनोग्राफर .. .. .	2	1	925-1500 एक पद 740-1180 दो पद
4. लॉन्गरेरियन .. .. .	1	..	740-1180
5. सहायक .. .. .	..	1	680-1060
6. निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	2	..	515-800
7. भृत्याचौकीदार .. .. .	2	1	380-495
8. ड्राईवर .. .. .	1	..	नैमित्तिक व्यय

इसके लिए निम्नानुसार रुपये 6.00 लाख का व्यय निम्नानुसार अनुमानित है:--

वेतन एवं भत्ते .. .. .	4,33,000
जद्वरी .. .. .	10,000
यात्रा भत्ता .. .. .	2,000
अन्य व्यय .. .. .	5,000
	4,50,000
कार्यालय व्यय--फर्नीचर आदि वाहन .. .. .	1,50,000

इस प्रयोजन के लिये रुपये 6.00 लाख का प्रावधान वर्ष 1986-87 के बजट में शामिल किया गया है।

मद क्रमांक 64-48.--अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवकों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिये विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था की दृष्टि से विशेषविद्यार्थी विभिन्न महाविद्यालयों के सहयोग से कोचिंग कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकाधिक हरिजन-आदिवासी युवक सफल हो सकें और विभिन्न रिक्त पद, जो कि उनके लिये आरक्षित रहते हैं उनको पूर्ति में कठिनाई न हो। इस प्रयोजन हेतु युवकों के लिये प्रशिक्षण के लिये मानद्वय आकस्मिक व्यय तथा उनके ठहरने आदि की व्यवस्था की जायेगी।

अनः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 में रु. 1.50 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64-49.--इस विभाग के अधीन कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था के उद्देश्य से क्षेत्रीय आदिवासी विकास प्राधिकरण गठित किये गये हैं। अब इन प्राधिकरणों को हरिजन विकास के कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। विद्यमान क्षेत्रीय आदिवासी विकास प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र से अन्य दूसरे सम्भागों का भी कार्य शामिल है। हरिजन विकास कार्यक्रम सागर, उज्जैन, रायपुर, भालियर-चम्बल, होशंगाबाद- भोपाल सम्भागों में अन्य सम्भागों की तुलना में अधिक है किन्तु इन सम्भागों के लिए स्वतन्त्र रूप से अभी प्राधिकरण गठित नहीं है। हरिजन विकास कार्यक्रम के पर्यवेक्षण व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये जाने की दृष्टि से अतिरिक्त अमला उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही हरिजन विशेषांश योजनान्तर्गत व्यय के अनुश्रवण एवं कार्यक्रमों के मूल्यांकन की उचित व्यवस्था हेतु संचालनालय हरिजन विकास के अधीन निम्नलिखित पद नियुक्ति के दिनांक से निर्मित किये जाना प्रस्तावित है:--

मुख्यालय के लिये स्टाफ

1. क्रमांक	पद	लेखा शाखा		वेतनमान	पद संख्या
1.	लेखाधिकारी .. .. .	..	..	1000-1920	1
2.	सहायक .. .. .	..	..	680-1060	2
3.	लेखापाल .. .. .	..	..	635-950	4

4. उच्च श्रेणी लिपिक . . . . .	575-880	4
5. निम्न श्रेणी लिपिक . . . . .	515-800	8
6. भृत्य . . . . .	380-495	2
सांख्यिकीय शाखा		
1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी . . . . .	680-1330	2
2. संगणक . . . . .	575-880	2
3. टायपिस्ट . . . . .	515-800	1
4. क्षेत्र संयोज . . . . .	925-1500	5
5. सहायक अधीक्षक . . . . .	740-1180	5
6. आडीटर . . . . .	740-1180	5
7. सहायक . . . . .	680-1060	5
8. लेखापाल . . . . .	635-950	5
9. उच्च श्रेणी लिपिक . . . . .	575-800	10
10. निम्न श्रेणी लिपिक . . . . .	515-880	15
11. दफ्तरी . . . . .	400-535-10 वि. वे.	5
12. भृत्य . . . . .	380-495	25
13. चौकीदार . . . . .	नैमित्तिक व्यय से	5
14. फर्शीश . . . . .	"	5
15. ड्राईवर . . . . .	"	5

2. मूल्यांकन के कार्य हेतु सर्वेक्षण आदि के लिये आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट तैयार किये जायेंगे एवं प्रोजेक्ट के कार्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर अन्वेषक दैनिक वेतन पर रखे जायेंगे । इस कार्य में आदिमजाति अनुसंधान संस्था का भी सहयोग लिया जा सकेगा ।

3. योजनान्तर्गत निम्नानुसार कुल रु. 30.00 लाख का व्यय अनुमानित है:—

	रुपये
1. वेतन एवं भत्ते . . . . .	11.50
2. मजदूरी . . . . .	4.50
3. यात्रा व्यय . . . . .	0.50
4. सर्वेक्षण मूल्यांकन प्रोजेक्ट्स पारिश्रमिक व विविध आकस्मिक व्यय . . . . .	5.00
5. किराया, महसूल रायल्टी . . . . .	1.50
6. 5 कार का क्रय . . . . .	4.75
7. टाईपराईटर—20 } . . . . .	1.25
8. डुप्लीकेटर—5 } . . . . .	
6. कार्यालय व्यय . . . . .	3.50
10. फर्नीचर, स्टेशनरी आदि . . . . .	2.50
11. अन्य व्यय, पी. ओ. एल. आदि . . . . .	

अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 30.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 64-50 म. प्र. उर्जा विकास निगम द्वारा धुवां रहित तथा उन्नतकिस्म के चूल्हे तैयार किये गये हैं, जिनमें ईंधन का व्यय कम होता है तथा धुवां रहित होने के कारण इन्हें होनेवाले विभिन्न बीमारियों का भी बचाव होता है ।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1986-87 में निर्धन हरिजन परिवारों को ऐसे चूल्हों के लिए अनुदान दिया जावे । अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 64-51 विभाग द्वारा संचालित हरिजन छात्रावासों में से इन छात्रावासों के लिए जो कि निजी भवनों में चलाये जा रहे हैं शासकीय भवन निर्माण कराये जाने का कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है । अगले वर्ष 16 प्री-मेट्रिक छात्रावास भवन निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है । इसके साथ ही प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों के लिए भी जहां आवासोप सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके लिए छात्रावास भवन का निर्माण किया जाना है । उक्त भवनों के निर्माण हेतु कुल रु. 70.00 लाख का व्यय अनुमानित है । इसके विरुद्ध वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में 42.95 लाख का आंशिक व्यय किया जावेगा ।

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 42.95 लाख का प्रावधान किया गया है ।



64. 52--विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास। आश्रम के लिये शासकीय भवन उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से इन संस्थाओं के भवनों के निर्माण का कार्यक्रम केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत लिया जा रहा है। अगले वर्ष 8 प्रीमेट्रिक तथा 3 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास के भवन निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए निम्नानुसार 68.00 लाख का व्यय अनुमानित है :-

	लाख रुपये
प्रीमेट्रिक छात्रावास भवन .. .. .	32.00
प्रति भवन 4.00 लाख	
पोस्ट मेट्रिक छात्रावास भवन .. .. .	36.00
प्रति भवन 12.00 लाख	
	-----
योग ..	68.00 लाख
	-----

इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में हमें 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

#### 16--समाज कल्याण विभाग

विषय :- कमला नेहरू स्मृति महिला व बाल कल्याण निधि का गठन।

मद क्रमांक 64--53--महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु राज्य स्तरीय कमला नेहरू स्मृति महिला व बाल कल्याण निधि का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है इस निधि के गठन हेतु वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 5.00 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

#### 21--सूचना तथा प्रकाशन विभाग

मद क्रमांक 64--54--मुरैना में सूचना केन्द्र की स्थापना

यह निर्णय लिया गया है कि मुरैना में सूचना केन्द्र की स्थापना की जाय जिससे सामान्य जनता एवं शिक्षित वर्ग को दैनिक एवं साप्ताहिक समाचारपत्रों के अतिरिक्त पत्रिका एवं विभिन्न विषयों पर संदर्भ पुस्तकों का लाभ मिल सके। इसके लिये निम्नानुसार पदों का निर्माण किया जायेगा :-

	रुपये
1. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी .. .. .	1 पद 925--1500
2. ग्रथपाल .. .. .	1 पद 740--1180
3. निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	1 पद 515--300
4. बुक लिफ्टर .. .. .	1 पद 400--525
	( रु. 20 विशेष वेतन )
5. भूत्य .. .. .	1 पद 380--495
6. कौकीदार .. .. .	1 पद 380--495

उपरोक्त पर निम्नानुसार व्यय अनुमानित है :-

वेतन -- 1-20 लाख

कार्यालय व्यय अन्य नेमित्तिक व्यय.

1. फरनीचर तथा अन्य उकरण .. .. .	0.52 लाख
2. पुस्तकें तथा नियत कालिक पत्रिकाएं .. .. .	0.40 लाख
3. टी. वी तथा प्रदर्शन सामग्री .. .. .	0.33 लाख

योग .. 2.45 लाख

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में उपरोक्तानुसार रुपये 2.45 लाख का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 64--55 शिक्षाप्रद फिल्मों का निर्माण

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश हरिजन बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित तीन विशेष प्रचार इकाईयों में हरिजनों के उत्थान के लिए तथा उनके रीति रिवाजों से संबंधित समस्याओं पर 30 मिनट की चार शिक्षाप्रद फिल्मों का मध्य-प्रदेश तयार कराकर उनका प्रदर्शन बाहुल्य क्षेत्रों में कराने का निर्णय लिया गया है। फिल्म के आवर्तक व्यय रु. 3.60 लाख होना अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1986-87 के बजट में रु. 3-60 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

मद क्रमांक 64--56--हरिजन विशेषांश क्षेत्रों में नालों पर रपटे एवं पुलियों का निर्माण।

आयकट विभाग के अन्तर्गत आवागमन की वृद्धि के लिये काश्तकारों की कृषि उपज को पहुंचाने हेतु सड़क कार्य-क्रम हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। सेच्य क्षेत्र प्राधिकरणों के अन्तर्गत हरिजन बाहुल्य क्षेत्र के अन्तर्गत हरिजनों के ग्रामों को नालों पर पुलियों/रपटे बनाकर एक-दूसरे से जोड़ना है इससे वर्षा ऋतु में जो आवागमन अवरुद्ध होता है वह नहीं हो सकेगा। इससे आदिवासी कृषकों की कृषि उपज मण्डियों तक लाने तथा कृषि बीज रासायनिक खाद उनके खेतों तक सुलभ कराने में सुगमता होगी। अतः निर्णय लिया गया है कि निम्नांकित परियोजना में हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में निर्माण हेतु प्रावधान रखा जावे :-

		(रुपये लाख में)
(1)	तवा	1.00
(2)	चम्बल	1.00
(3)	अपरबेन गंगा	1.50
(4)	बरगी	1.00
(5)	बाणसागर	2.25
योग ..		6.75

अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में रुपये 6,75 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

23--स्कूल शिक्षा विभाग

मद क्र.	64--57	दखिये पुस्तक 22, मद क्र. 27--1
"	64--58	" 27--3
"	64--59	" 27--4

24--उच्च शिक्षा विभाग

64--60 प्रदेश के समस्त शासकीय महा विद्यालय के हरिजन छात्रों को स्टेशनरी तथा पुस्तकों का निशुल्क प्रदाय।

शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सरकारी महा विद्यालय के हरिजन छात्रों को वर्तमान में जो निशुल्क स्टेशनरी प्रदाय की जाती है। इसके अलावा छात्रों को निशुल्क पुस्तक भी प्रदान की जावे। इस पर 10 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 10 लाख रुपये का प्रावधान अनावर्ती व्यय के रूप में किया गया है।

26--नगरीय कल्याण विभाग

मद क्रमांक 64--61--62 यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य क्षेत्रों की भांति आदिवासी एवं हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में भी गरीबों के आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम हेतु स्टेप-अप योजना क्रियान्वित की जाये। जिसके लिये राज्यशासन द्वारा आयोजना सीमा में से तथा केन्द्रीय शासन से सहायता के रूप में मिलनेवाली राशियों से निम्नानुसार योजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

	राज्य शासन रुपये	केन्द्र शासन रुपये
1. आदिवासी क्षेत्र उप योजना	40,00 लाख	30,00 लाख
2. अनुसूचित एव जन जाति योजना	60,00 लाख	50,00 लाख
कुल	1,00,00 लाख	80,00 लाख

अतएव इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में तशरीन मद के रूप उभरोक्तानुसार प्रावधान शामिल किया गया है।

## 28--लोक निर्माण विभाग

मद क्रमांक.—64-1.—दो प्रा. स्वा. केन्द्रों के भवनों का यनर्माण :

यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1986-87 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए निर्माण घटक योजना में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जाय। एक प्रा. स्वा. केन्द्र के भवन निर्माण लगभग 1,50 हजार की राशि व्यय अनुमानित है तदनुसार इन दो भवन निर्माण पर वर्ष 1986-87 में रुपये 3.00 लाख की राशि सम्मिलित है।

अतः वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों में रुपये 2.00 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

मद क्र. —44-2.—चालीस उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण।

यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1986-87 में चालीस उप स्वास्थ्यकेन्द्रों के भवनों का निर्माण हतु किया जाय। अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के ह्यजट अनुमानों में रु. 14.90 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया जाय है।

## शीर्ष—537

मद क्र. 64-63—हरिजन विशेषांक योजना के अन्तर्गत सड़क एवं पुलों का निर्माण।

यह निर्णय लिया है कि विभागीय योजना में कुछ अंश आदिवासी उपयोजना एवं हरिजन विशेषांक योजना के लिए आवश्यक रूप से रखा जावे। यह प्रतिशत क्रमशः 40 तथा 8 प्रतिशत है। वर्ष 1986-87 में हरिजन विशेषांक योजना में कुल रुपये 375.00 लाख का प्रावधान किया जाना है। नये कार्यों में हरिजन बाहुल्य ग्रामों जिसमें हरिजन जनसंख्या 20 प्रतिशत से अधिक है पक्के मार्ग से जोड़ा जायेगा। अतः इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1986-87 के बजट में रुपये 15.00 लाख का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

287 अम और रोजगार  
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था झोबुआ

क्रमांक	नाम एवं पद	पद संख्या सामान्य योजना	वेतनमान
1	2	3	4
1.	अधीक्षक (तकनीकी)	.. 1	925—1600
2.	मेडिकल ऑफिसर (अंशकालीन)	.. 1	रु. 200 प्रतिमाह
3.	स्टेनोग्राफी, अनुदेशक (हिन्दी)	.. 1	रु. 900—1500
4.	भाषा अनुदेशक (हिन्दी)	.. 1	रु. 860—1410
5.	शिल्प अनुदेशक (वशिष्ट)	.. 3	रु. तदैव
6.	शिल्प अनुदेशक (कनिष्ठ)	.. 3	रु. 740—1250
7.	छात्रावास अधीक्षक	.. 1	रु. 680—1120
8.	मुख्य लिपिक	.. 1	रु. 635—1000
9.	लेखापाल	.. 1	रु. 635—1000
10.	उच्च श्रेणी लिपिक	.. 2	रु. 575—925
11.	स्टोर कीपर	.. 1	रु. 575—925
12.	निम्न श्रेणी लिपिक	.. 2	रु. 515—840
13.	कम्पाउन्डर	.. 1	रु. 515—840
14.	छात्रावास के लिये निम्नश्रेणी लिपिक	.. 1	रु. 515—840
15.	कर्मशाला सहायक	.. 2	रु. 400—545
16.	स्टोर असिस्टेंट	.. 1	रु. 400—545
17.	भृत्य	.. 4	रु. 380—515
18.	चौकीदार संस्था के लिये	.. 1	रु. 380—515
19.	चौकीदार छात्रावास के लिये	.. 1	रु. 380—515
20.	स्वीपर संस्था के लिये	.. 1	इन पदों का वेतन
21.	स्टोर असिस्टेंट के लिये	.. 1	नैमित्तिक मूल्य से देय होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
307—भू एवं जल संरक्षण			
10—भू सर्वेक्षण एवं परीक्षण			
राजपत्रित			
प्राचार्य	.. ..	1	रु. 1000—1920
सहायक भू. सं. अधिकारी	.. ..	2	रु. 1000—1920
” ” ” (एग्जोनामिस्ट)	.. ..	1	रु. 1000—1920
अराजपत्रित			
वरिष्ठ कृषि विकास अधि.	.. ..	4	860—1410
मानचित्रकार	.. ..	1	740—1250
लेखापाल	.. ..	1	रु. 635—1000
उच्च श्रेणी लिपिक-2	.. ..	2	रु. 575—925
सर्वेयर	.. ..	4	रु. 515—840
निम्न श्रेणी लिपिक	.. ..	1	रु. 515—840
वाहन चालक	.. ..	1	रु. 485—770
चतुर्थ श्रेणी			
भृत्य	.. ..	4	रु. 380—515
चौकीदार	.. ..	1	रु. 380—515
चेनमेन	.. ..	5	रु. 380—515
भूमि संरक्षण व विकास योजनायें			
राजपत्रित :			
उप भूमि संरक्षण अधिकारी	.. ..	8	रु. 1370—2100
वन मंडल अधिकारी	.. ..	2	रु. 1370—2100
सहायक भू 0 सं 0 अधि 0	.. ..	32	रु. 1000—1920
सहायक वन संरक्षक	.. ..	1	1000—1900
अराजपत्रित :			
वरिष्ठ कृषि वि. अधि.	.. ..	8	रु. 900—1550
कृषि वि. अधि.	.. ..	300	रु. 740—1250
वन क्षेत्रपाल	.. ..	6	रु. 740—1250
मुख्य लिपिक	.. ..	2	रु. 680—1120
स्टेनोग्राफर	.. ..	8	रु. 740—1250
लेखापाल	.. ..	52	रु. 635—1000
मानचित्रकार	.. ..	53	रु. 635—1000
फारेस्टर	.. ..	28	रु. 575—925
उच्च श्रेणी लिपिक-2	.. ..	46	रु. 575—925
भू मापक	.. ..	29	रु. 575—925
हलयंत्र चालक	.. ..	2	रु. 515—840
निम्न श्रेणी लिपिक	.. ..	79	रु. 515—840
भू मापक	.. ..	803	रु. 515—840
अनुरेखक	.. ..	51	रु. 515—840
वाहन चालक	.. ..	37	रु. 485—770
चतुर्थ वर्ग			
चौकीदार	.. ..	18	रु. 380—515
दफ्तरी	.. ..	1	रु. 400—545
वनरक्षक	.. ..	100	रु. 445—635
खलासी	.. ..	4	रु. 380—515
चेनमेन	.. ..	201	रु. 380—515
भृत्य	.. ..	80	रु. 380—515
वाहन चालक	.. ..	4	380—515

पदों एवं वेतनमानों की अनुसूची  
मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता

पद नाम	पदों की संख्या		वेतनमान	नये वेतनमानों का अनुक्रमणिका
	सामान्य	विकास		
(1)	(2)	(3)	(4)	5

क—राजस्व विभाग  
229—भू-राजस्व  
ज—आदिवासी क्षेत्र उपयोगितायें  
1—खातों का एकीकरण

## अराजपत्रित

चकबन्दी अधिकारी .. .. .	3	रु. 925—1500+50 वि.वे.
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख .. .. .	6	रु. 740—1180
राजस्व निरीक्षक .. .. .	90	रु. 575—880
प्रथम श्रेणी लिपिक .. .. .	3	”
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	3	रु. 515—800
चपरासी .. .. .	4	रु. 380—495
वेन मैन .. .. .	4	”
मजदूर (8 माही) .. .. .	90	बाजार भाव पर
चौकीदार .. .. .	3	
अतिरिक्त मजदूर .. .. .	180	

## 6—अपूर्वानुमान (बन्दोबस्त) अधिकारियों के कार्यालयों के कार्यालय की स्थापना

## राजपत्रित

पूर्वानुमान (बन्दो.) अधिकारी .. .. .	6	रु. 2100—2625
--------------------------------------	---	---------------

## अराजपत्रित

सहायक भू-मापन अधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी .. .. .	5	925—1500+50 वि.वे.
अधीक्षक (कार्यालय) .. .. .	5	रु. 900—1450
सांख्यिकी सहायक .. .. .	5	रु. 740—1180
शीघ्र लेखक .. .. .	6	”
प्रथम श्रेणी लिपिक .. .. .	10	रु. 575—880
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	30	रु. 515—800
मानचित्रकार .. .. .	20	रु. 635—950
अनुरेखक .. .. .	60	रु. 515—800
दफ्तारी .. .. .	5	रु. 400—525+10 वि.वे.
चपरासी .. .. .	25	रु. 380—495
ड्रायवर .. .. .	6	रु. 485—740
चौकीदार .. .. .	5	बाजार भाव पर
बल्लासी .. .. .	5	
डाक रनर .. .. .	10	

## 8—उप-बन्दोबस्त तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना

## राजपत्रित

उप-बन्दोबस्त अधिकारी .. .. .	5	रु. 1000—1920
------------------------------	---	---------------

## अराजपत्रित

सहायक बन्दोबस्त अधिकारी .. .. .	24	रु. 925—1500+50 वि.वे.
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख .. .. .	74	रु. 740—1180
सहायक अधीक्षक .. .. .	5	”
राजस्व निरीक्षक .. .. .	1110	रु. 575—880
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	34	”
पेशी निरीक्षक .. .. .	29	”
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	87	रु. 515—800
चपरासी .. .. .	63	रु. 380—495
बल्लासी .. .. .	24	बाजार भाव पर
चौकीदार .. .. .	29	बाजार भाव पर
स्वामिन (12 माह के लिये) .. .. .	120	
स्वामिन (8 माह के लिये) .. .. .	4320	
डॉक रनर .. .. .	24	

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

## 10—आदिवासी क्षेत्रों में सर्वे नक्शों का नवीनीकरण तथा ट्रावर्स सर्वे की योजना

अराजपत्रित			
सहायक अधिकार अभिलेख अधिकारी	..	..	6 रु. 925—1500+50 वि. वे.
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	..	..	46 रु. 740—1180
राजस्व निरीक्षक	..	..	257 रु. 575—880
उच्च श्रेणी लिपिक	..	..	9 ”
निम्न श्रेणी लिपिक	..	..	9 रु. 515—800
पेशी निरीक्षक	..	..	6 रु. 575—880
मानचित्रकार	..	..	102 रु. 635—950
अनुरेखक	..	..	45 रु. 515—800
पटवारी	..	..	95 रु. 485—740
वपरासी	..	..	62 रु. 380—495
भृत्य	..	..	33
कराशि	..	..	3
बोकीदार	..	..	3
दफ्तरी	..	..	3
स्वाडमैन (13 माही)	..	..	135
स्वाडमैन (8 माही)	..	..	442

बाजार भाव पर

## हल्का-बन्दी का नवीनीकरण

राजपत्रित			
सहायक आयुक्त, भू-अभिलेख (प्रशासन)	..	..	1 रु. 1000—1800
अराजपत्रित			
अधीक्षक (कार्यालय)	..	..	1 रु. 1000—1800
सहायक अधीक्षक (कार्यालय)	..	..	1 रु. 740—1180
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	..	..	2 ”
उच्च श्रेणी लिपिक	..	..	4 रु. 575—880
राजस्व निरीक्षक	..	..	7 ”
निम्न श्रेणी लिपिक	..	..	6 रु. 515—800
पटवारी	..	..	120 रु. 485—750
भृत्य	..	..	7 रु. 380—495
चेनमेन	..	..	7 ”

## पंचाधिकारियों को सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख में प्रशिक्षण देने प्रशिक्षण संस्था

राजपत्रित			
उप-आयुक्त, भू-अभिलेख (प्रशिक्षण)	..	..	1 रु. 1000—1920
सहायक आयुक्त, भू-अभिलेख	..	..	1 रु. 1000—1800

## ब्राडमा मशीनों के परिचालन हेतु पद

ऑरेटर्स	..	..	52 रु. 575—880
---------	----	----	----------------

## मांग संख्या 41-313—आदिवासी क्षेत्र उपयोगना

वन संरक्षक	..	..	2 रु. 1800—2000
उप-वनसंरक्षक	..	..	15 रु. 1100—1600
सहायक संचालक	..	..	5 रु. 1000—1920
अनुसंधान अधिकारी	..	..	1 रु. 1550—2250
सहायक संचालक	..	..	32 रु. 1000—1920
वन क्षेत्रपाल	..	..	82 रु. 740—1180
वनविस्तार अधिकारी	..	..	12 रु. 740—1180
उप-वन क्षेत्रपाल	..	..	27 रु. 575—880

## भाग संख्या 41—वन विभाग पदों की संख्या

वर्ष 1985-86

पद का नाम	पदों की संख्या		वेतनमान
	सा.	विकास	
(1)	(2)	(3)	(4)
वनपाल	160	..	485—740
वनरक्षक	536	..	400—525
वनविस्तार सहायक	4	..	485—740
अधीक्षक	1	..	900—1450
मुख्य सहायक	6	..	740—1180
लेखापाल	24	..	635—950
सहायक	5	..	680—1060
उच्च श्रेणी लिपिक	33	..	575—880
श्रीव लेखन ( जूनियर )	10	..	740—1180
निम्न श्रेणी लिपिक	91	..	515—800
मानचित्रकार	77	..	740—1180
ओवरसियर	76	..	740—1180
जीप चालक	2	..	485—740
अदली चपरासी	8	..	380—495
चौकीदार	33	..	380—945
ऑपरेटर	2	..	575—880
सहायक यंत्री	2	..	740—118
क्लीनर	2	..	380—495
स्वीपर	1	..	380—495
वेटनरी असिस्टेंट	1	..	1000—1800
वटरनरी फील्ड असिस्टेंट	1	..	515—800
खानचोमा	7	..	380—495
बायरलेस ऑपरेटर	2	..	740—1180
बायरलेस मैकेनिक	1	..	380—495
बायरलेस ऑपरेटर	1	..	380—495
रिचर्स असिस्टेंट	7	..	585—740
फील्ड असिस्टेंट	7	..	380—495
बोट मैन	4	..	380—495
भाजी	6	..	380—495

## 11—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

280—चिकित्सा

## 1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर	..	..	..	3	900—1450
उच्च श्रेणी लिपिक	..	..	..	1	575—880
स्टाफ नर्स	..	..	..	58	635—950
कम्पाउण्डर	..	..	..	11	575—380
रेडिओग्राफर	..	..	..	18	575—880
लेबोरेटरी टेक्नीशियन	..	..	..	185	635—950
चौकीदार	..	..	..	4	नैमित्तिक व्यव से मारित
असुर	..	..	..	4	..
कुकर	..	..	..	4	..
वार्डबाय	..	..	..	4	..
स्वीपर	..	..	..	3	नैमित्तिक व्यव से मारित
आशा	..	..	..	3	..
चालक	..	..	..	3	..
ड्रेसर	..	..	..	94	485—740
भृत्य	..	..	..	2	380—945

## प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

स्पेशलिस्ट	..	..	..	32	1370—2100
सहायक	..	..	..	193	1000—1920
लेडी हेल्थ विजिटर्स	..	..	..	185	575—880
कम्पाउण्डर्स	..	..	..	192	515—800
ए. एन. एम.	..	..	..	761	515—800
ड्रेसर्स	..	..	..	189	485—740



(1)	(2)	(3)	(4)
चपरासी	.. .. .	192	380—495
वाडें बाँय	.. .. .	185	380—495
स्वीपर	.. .. .	185	680—495
वाडें बाँय	.. .. .	18	नैमित्तिक व्यय से वेतन
स्वीपर	.. .. .	19	तदेव
धोवी	.. .. .	4	तदेव

## 2. लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

सहायक शाल्य चिकित्सक	.. .. .	115	1000—1920
कम्पाउण्डर	.. .. .	112	575—800
ए. एन. एम.	.. .. .	333	515—800
ड्रेसर	.. .. .	111	485—740
वाडें बाँय	.. .. .	123	नैमित्तिक व्यय से भारत कर्मचारी
स्वीपर	.. .. .	116	तदेव

## 3—लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

नर्सिंग सुपरिन्डन्डेंट	.. .. .	1	925—1500
नर्सिंग सिस्टर	.. .. .	2	740—1180
स्टाफ नर्स	.. .. .	1	635—950
ओ. टी. अटेंडन्ट	.. .. .	2	380—495
मेस सर्वन्ट	.. .. .	2	380—495
ल. व. टेक्नीशियन	.. .. .	50	635—950
ड्रेसर	.. .. .	1	485—740
हेल्थ एजुकैटर	.. .. .	50	740—1180
कम्युनिटी हेल्थ आफिसर	.. .. .	50	900—1180
नि. श्रे. लि.	.. .. .	52	515—880
फिमेल अटेंडन्ट	.. .. .	50	380—495
कैजुअल्टी हेल्थ आफिसर	.. .. .	2	1000—1920
डायटीशियन	.. .. .	1	740—1180
कुक	.. .. .	1	नैमित्तिक व्यय से भारत पद
कारपन्टर (बढ़ई)	.. .. .	1	445—635
स्टोरकीपर	.. .. .	1	575—880
प्लम्बर	.. .. .	1	445—635

## 3. जिला मुख्यालय चिकित्सालयों पर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना

वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ	.. .. .	1	1370—2100
सर्जिकल विशेषज्ञ	.. .. .	1	1270—2100
गायकना लॉजिस्ट	.. .. .	1	1370—2100
अस्पतालमालाजिस्ट	.. .. .	1	1370—2100
वरिष्ठ नाक, कान, गला विशेषज्ञ	.. .. .	1	1370—2100
वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ	.. .. .	1	1370—2100
वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट	.. .. .	1	1370—2100
वरिष्ठ पैथालॉजिस्ट	.. .. .	2	1370—2100
वरिष्ठ एनास्थेसिस्ट	.. .. .	1	1370—2100
टेक्नीशियन	.. .. .	1	1000—1920
डेंटिस्ट	.. .. .	1	1000—1920
कुष्ठ रोग विशेषज्ञ	.. .. .	1	2000—1920
सहायक शाल्य चिकित्सक	.. .. .	6	1000—1920
मेट्रन	.. .. .	1	860—1330
नर्सिंग सिस्टर	.. .. .	6	740—1180
स्टाफ नर्स	.. .. .	98	635—950
रेडियोग्राफर	.. .. .	2	575—880
लेब. टेक्नीशियन	.. .. .	3	635—950
कम्पाउण्डर	.. .. .	7	515—800
ड्रेसर	.. .. .	8	485—740
रूम असिस्टेंट	.. .. .	1	515—800

## 1—निर्देशन और प्रशासन

(सम्भागीय संयुक्त संचालक बस्तर सम्भाग)

संयुक्त संचालक	.. .. .	1	1860—2400
स्टेनोग्राफर	.. .. .	1	740—1180
	.. .. .	1	635—950

## भाग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—(चालू)

	(1)	(2)	(3)	(4)
उच्च श्रेणी लिपिक	..	..	1	575—880
हेड क्लर्क	..	..	1	635—950
एकाउन्टेन्ट	..	..	1	635—950
कैशियर	..	..	1	575—880
स्टेण्डर्ड	..	..	1	575—880
स्टोर कीपर	..	..	1	575—880
उच्च श्रेणी लिपिक	..	..	1	575—880
निम्न श्रेणी लिपिक / टाइपिस्ट	..	..	2	515—800
सेबोरेटरी असिस्टेन्ट	..	..	1	515—800
चपरासी	..	..	22	380—495
आया; बार्डबॉय	..	..	30	380—495
चालक	..	..	1	485—740
श्री. टी. अटेन्डेन्ट	..	..	2	380—495
चौकीदार	..	..	5	380—495
कुक	..	..	4	380—495
स्वीपर	..	..	14	380—495
मेस सर्व्हेंट	..	..	6	380—495
माली	..	..	1	380—495
नाई	..	..	1	380—495
धोबी	..	..	9	380—495

## 4—जिला मुख्यालयों को छोड़कर शेष अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का विकास

सहायक शल्य चिकित्सक	..	..	86	1000—1920
डन्टल सर्जन	..	..	30	1000—1920
नर्सिंग सिस्टर	..	..	5	740—1180
स्टाफ नर्स	..	..	24	635—950
सेबोरेटरी टेक्नीशियन	..	..	10	635—950
रेडियोग्राफर	..	..	9	515—800
स्टोर कीपर	..	..	2	515—800
स्टोर कीपर	..	..	1	575—880
निम्न श्रेणी लिपिक	..	..	1	515—800
टाइपिस्ट	..	..	1	515—800
सेबोरेटरी असिस्टेन्ट	..	..	1	515—800
कम्पाउन्डर	..	..	7	515—800
ए. एन. एम.	..	..	80	515—800
ड्रेसर	..	..	5	485—740
डन्टल अटेन्डेन्ट	..	..	30	380—495
एकाउन्टेन्ट-कम-क्लर्क	..	..	1	635—950
चपरासी	..	..	2	380—495
बार्डबॉय	..	..	65	
आयफ	..	..	30	
चौकीदार	..	..	3	
कुक	..	..	13	
माली	..	..	70	
स्वीपर	..	..	17	
धोबी	..	..	3	
श्री. टी. अटेन्डेन्ट्स	..	..	2	
मेस सर्व्हेंट	..	..	4	
चालक	..	..	1	485—740

## 5—एलोपैथिक औषधालयों की स्थापना

सहायक शल्य चिकित्सक	..	..	31	1000—1920
ए. एन. एम.	..	..	31	515—800
स्वीपर	..	..	31	485—740
	..	..	31	(कलेक्टर द्वारा निर्धारित)

## स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजना

सहायक शल्य चिकित्सक पुरुष—	..	..	20	1000—1920
सहायक शल्य चिकित्सक महिला ।	..	..	..	..
ए. एन. एम.	..	..	20	515—800

## प्राथमिक चिकित्सालय एवं औषधालयों का सुधार

अधीक्षक	..	..	..	900—1450
श्री. एम. श्री.	..	..	..	900—1450

## मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोगना—(चाबू)

(1)	(2)	(3)	(4)
आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी .. ..	.. ..	167	900—1450
महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी .. ..	.. ..	2	925—1500
नर्सिंग सिस्टर .. ..	.. ..	2	740—1180
स्टाफ नर्स .. ..	.. ..	6	635—950
कम्पाउण्डर .. ..	.. ..	171	515—800
स्टोरकीपर .. ..	.. ..	2	575—880
निम्न श्रेणी लिपिक .. ..	.. ..	2	515—800
दवाई .. ..	.. ..	165	445—635
दवासाज .. ..	.. ..	165	380—495
6—शब केन्द्रों की स्थापना			
सहायक शल्य चिकित्सक .. ..	.. ..	6	1000—1920
उपचार संगठक .. ..	.. ..	6	635—950
लेबोरेटरी टेक्नीशियन .. ..	.. ..	12	635—950
एक्सरे टेक्नीशियन .. ..	.. ..	6	575—880
ए. एस. प्रो. ....	.. ..	6	740—1180
एल. एच. व्ही. ....	.. ..	6	635—950
निम्न श्रेणी लिपिक .. ..	.. ..	12	515—800
चपरासी .. ..	.. ..	12	380—495
चालक .. ..	.. ..	6	485—740
7—एकीकृत ग्राम विकास सेवा			
सहायक शल्य चिकित्सक .. ..	.. ..	16	1000—1920
एल. एस. व्ही. ....	.. ..	33	635—950
ए. एन. एम. .. ..	.. ..	106	515—800
आदिवासी क्षेत्र योजना (भारत शासन से अलावा राशियां एलोपैथिक डिस्पेन्सरी की स्थापना)			
असिस्टेंट सर्जन .. ..	.. ..	31	1000—1920
ए. एन. एम. .. ..	.. ..	31	515—800
ड्रेसर .. ..	.. ..	31	485—740
जिला चिकित्सा को छोड़कर अन्य चिकित्सा में चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुधार			
रेडियो ग्राफर .. ..	.. ..	7	575—880
योगशाला टेक्नीशियन .. ..	.. ..	7	635—950
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
स्टाफ नर्स .. ..	.. ..	6	635—950
कम्पाउण्डर .. ..	.. ..	2	515—800
रेडियोग्राफर .. ..	.. ..	2	575—880
लेबोरेटरी टेक्नीशियन .. ..	.. ..	2	635—950
282—लोक स्वास्थ्य सफाई एवं जलपूर्ति			
1. हैजा नियंत्रण कार्यक्रम			
हैजा सुपरवाइजर .. ..	.. ..	4	575—880
विशेष हैजा कार्यकर्ता .. ..	.. ..	32	485—740
बी. डी. क्लीनिक की स्थापना			
सहायक चिकित्सक .. ..	.. ..	4	1000—1920
लेबोरेटरी टेक्नीशियन .. ..	.. ..	4	635—950
ए. एन. एम. .. ..	.. ..	4	515—800
चालक .. ..	.. ..	4	485—740
स्वीपर .. ..	.. ..	4	नैमित्तिक व्यय से वेतन पानेवाला
उच्च श्रेणी लिपिक .. ..	.. ..	54	680—1060
निम्न श्रेणी लिपिक .. ..	.. ..	27	515—800
भृत्य .. ..	.. ..	27	380—495
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
जिला मलेरिया अधिकारी .. ..	.. ..	3	1000—1800
सहायक मलेरिया अधिकारी .. ..	.. ..	7	740—1180
मलेरिया इन्स्पेक्टर .. ..	.. ..	50	635—950
लेब. टेक्नीशियन .. ..	.. ..	112	635—950
सर्विलंस इन्स्पेक्टर .. ..	.. ..	283	575—880
सहायक .. ..	.. ..	2	635—950

## भाग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोगना—(चालू)

पद का नाम (1)	पदों की संख्या		वेतनमान (4)
	सामान्य (2)	विकास (3)	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .		4	575—880
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .		4	515—800
सर्वेलेंस वर्कर .. .. .		1145	485—740
मेकेनिक .. .. .		3	485—740
भृत्य .. .. .		6	380—495
चालक .. .. .		12	515—800 नैमित्तिक व्यय से
क्लीनर .. .. .		4	380—495 नैमित्तिक व्यय से
सुपीरियर फील्ड वर्कर .. .. .		6	400—525
फील्ड वर्कर .. .. .		9	380—495
स्वीपर .. .. .		3	380—495
स्प्रे हेतु स्टाफ 5 माह के लिये :			
सुपीरियर फील्ड वर्कर .. .. .		744	नैमित्तिक व्यय से
फील्ड वर्कर .. .. .	3720	77	

## आदिम जाति हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

## शीर्ष—288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

## ग—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

## ज—आदिवासी क्षेत्र उपयोगनाएं

## राजपत्रित :

उपरोक्त अधिकारी .. .. . 10 रु. 1000—1920

## अराजपत्रित :

स्टेनोग्राफिस्ट .. .. . 10 रु. 515—800 + वि. वेतन रु. 40

उच्च श्रेणी लिपिक .. .. . 10 रु. 575—880

भृत्य .. .. . 20 रु. 380—495

## गुरुकुल विद्यालय

## अराजपत्रित :

प्राचार्य .. .. . 1 रु. 1370—2100

व्याख्याता .. .. . 8 रु. 1000—1920

केरियर मास्टर .. .. . 1 रु. 1000—1920

छात्रावास अधीक्षक .. .. . 1 रु. 1000—1920

फॉर्म अधीक्षक .. .. . 1 रु. 1000—1920

कर्मशाला अधीक्षक .. .. . 1 रु. 1000—1920

श्रम संयोजक .. .. . 1 रु. 1000—1920

## अराजपत्रित :

व्याख्याता .. .. . 10 रु. 925—1500

सहायक अधीक्षक .. .. . 1 रु. 900—1450

क्वाट शिक्षक .. .. . 1 रु. 900—1450

शारीरिक शिक्षक .. .. . 1 रु. 900—1450

सहायक ग्रंथपाल .. .. . 1 रु. 900—1450

प्रयोगशाला सहायक .. .. . 4 रु. 575—880

संगीत शिक्षक .. .. . 1 रु. 900—1450

तबला शिक्षक .. .. . 1 रु. 575—880

बैद्यापाल .. .. . 1 रु. 900—1450

(1)	(2)	(3)	(4)
<b>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नये व्यवसायों का प्रशिक्षण</b>			
<b>भराजपत्रित :</b>			
कनिष्ठ अनुदेशक .. .. .	4	र. 680—1060	
अनुदेशक शीघ्रलेखक .. .. .	1	र. 900—1450	
समूह अनुदेशक .. .. .	1		
भाषा अनुदेशक .. .. .	1		
<b>कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा/अम्बिकापुर/कुशी</b>			
<b>राजपत्रित :</b>			
प्राचार्य .. .. .	3	र. 1370—2100	
<b>अराजपत्रित :</b>			
शुश्रूषिता .. .. .	6	र. 925—1500	
कार्यकारी शिक्षिका .. .. .	3	र. 680—1060	
उच्च श्रेणी शिक्षिका .. .. .	9	र. 740—1180	
कापट शिक्षक .. .. .	3	र. 740—1180	
सेवापाल .. .. .	3	र. 635—950	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	3	र. 575—880	
उ.हा. पुस्तकालय अध्यक्ष .. .. .	3	र. 515—800	
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	6	र. 515—800	
प्रयोगशाला सहायिका .. .. .	1	र. 515—800	
मृत्यु .. .. .	9	र. 380—495	
प्रयोगशाला अधीक्षिका .. .. .	4	र. 515—800	
चौकीदार .. .. .	1	र. 380—495	
चतुर्थ श्रेणी .. .. .	6	मजदूरी देय	
<b>एकीकृत आदिमजाति क्षेत्रीय विकास परियोजनायें</b>			
<b>राजपत्रित :</b>			
परियोजना अधिकारी .. .. .	38	र. 1860—2400	
परियोजना अधिकारी .. .. .	8	र. 1370—2100	
विकास खण्ड अधिकारी .. .. .	16	र. 925—1500	
<b>अराजपत्रित :</b>			
आंचलिक अधिकारी .. .. .	32	र. 680—1060	
शीघ्रलेखक .. .. .	38	र. 740—1180	
आधुनिक .. .. .	8	र. 515—800+ 40	
सहायक सांख्यिकी अधिकारी .. .. .	62	र. 740—1180	
सेवापाल .. .. .	46	र. 635—950	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	62	र. 575—880	
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	62	र. 515—800	
मृत्यु .. .. .	108	र. 380—495	
<b>संभालनालय भा. का. का सुदृढीकरण</b>			
<b>राजपत्रित :</b>			
संयुक्त संचालक .. .. .	2	र. 1860—2400	
<b>अराजपत्रित :</b>			
शीघ्रलेखक .. .. .	2	र. 740—1180	
मृत्यु .. .. .	2	र. 380—495	
<b>संभाग स्तर के प्रशासन का सुदृढीकरण</b>			
<b>राजपत्रित :</b>			
संयुक्त संचालक .. .. .	3	र. 1376—2100	

## मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—(चालू)

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

## अराजपत्रित :

आशुलिपिक .. .. .	3	रु. 515—800+40
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	3	रु. 575—880
भृत्य .. .. .	3	रु. 380—495

## जिला-स्तर के प्रशासन का सुदृढीकरण

## राजपत्रित

उप-संचालक .. .. .	2	रु. 1370—2100
-------------------	---	---------------

## अराजपत्रित

लेखाधिकारी .. .. .	22	रु. 900—1450
आशुलिपिक .. .. .	2	रु. 515—800+40
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	2	रु. 575—880
भृत्य .. .. .	2	रु. 380—495

## अत्यावसायी श्रम सेवी दल निर्देशन प्रकोष्ठ

## राजपत्रित

उप-संचालक .. .. .	1	रु. 1370—2100
-------------------	---	---------------

## (परियोजना प्रशासक)

## अराजपत्रित

सहायक सांख्यिकी अधिकारी .. .. .	1	रु. 740—1180
आशुलिपिक .. .. .	1	रु. 515—800+40
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	1	रु. 515—800
भृत्य .. .. .	2	रु. 380—495
श्रमसेवी कनिष्ठ .. .. .	2000	मानदेय 125/प्रतिमाह
श्रमसेवी वरिष्ठ .. .. .	100	मानदेय 200/प्रतिमाह

## उपयोजना क्षेत्र में नियोजन हेतु लघु स्तरीय नियोजन इकाइयां

## राजपत्रित

नियोजन अधिकारी .. .. .	5	रु. 1370—1900
सहा. नियोजन अधिकारी .. .. .	15	रु. 1000—1920

## अराजपत्रित

सहा. सांख्यिकी अधिकारी .. .. .	5	रु. 740—1180
संगणक .. .. .	10	रु. 575—880
आशुलिपिक .. .. .	5	रु. 515—800+40
अभिलेख लिपिक .. .. .	5	रु. 515—800
टायपिस्ट .. .. .	5	रु. 515—800
वाहन चालक .. .. .	5	रु. 515—800
भृत्य .. .. .	15	रु. 380—495

## प्रवासी श्रमिकों के लिये संगठन

बासी श्रम संयोजक .. .. .	1	रु. 740—1180
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	1	रु. 575—880

	(1)	(2)	(3)	(4)
विशेष पिछड़े आदिम जाति विकास समूह अभिकरण निर्देशन प्रकोष्ठ				
<b>अराजपत्रित</b>				
				रुपये
विशेष कर्तव्य अधिकारी .. .. .	1	1370—2100		
सहायक अनुसंधान अधिकारी .. .. .	1	100३—1920		
<b>अराजपत्रित</b>				
अनुसंधान सहायक .. .. .	1	1740—३१८०		
शीघ्रलेखक .. .. .	1	740—1180		
संगणक .. .. .	1	575—880		
नि. श्र. लि. .. .. .	1	११५—80३		
भृत्य .. .. .	1	38३—495		
आदर्श उच्चतर माध्यमिक शालायेँ बस्तर, खरगोन, मण्डला, सीधी, रायगढ़, रतलाम				
प्राचार्य .. .. .	6	1के७०—2100		
उप प्राचार्य .. .. .	6	३०००—1920		
व्याख्याता .. .. .	48	925—1500		
शारीरिक शिक्षक .. .. .	6	740—1180		
उ. श्रे. जशिक्षक .. .. .	48	7१०—1180		
क्लापटमेन .. .. .	12	740—1180		
संगीत शिक्षक .. .. .	6	740—1180		
छात्रावृत्त अधीक्षक .. .. .	6	680—३०६०		
नि. श्रे. शिक्षक .. .. .	24	545—925		
तबला शिक्षक .. .. .	6	454—925		
सहा. पुस्तकालय अध्यक्ष .. .. .	6	515—800		
नि. श्रे. लिपिक .. .. .	12	515—800		
प्रयोगशाला सहायक .. .. .	6	११५—800		
सहा. कार्यालय अधीक्षक .. .. .	6	900—1150		
लेखापाल .. .. .	6	740—1180		
उ. श्रे. लिपिक .. .. .	6	635—950		
कृषि चेहायक .. .. .	6	740—1180		
प्रयोग शा अट्टेण्डेंट .. .. .	18	380—495		
भृत्य .. .. .	18	380—495		
चौकीदार .. .. .	6	के८०—495		
रसोइया .. .. .	12			
पानीवाला .. .. .	6	मजदूरी से देय		
भाली .. .. .	6			
मध्यान्ह भोजन विशेष आहार कार्यक्रम को स्थानीय खाद्यान्न				
निरीक्षक .. .. .	29	740—1180		
निरीक्षक .. .. .	1	740—1180		
लेखापाल .. .. .	12	635—950		
लेखापाल .. .. .	2	635—950		
स्टेनोग्राफिस्ट .. .. .	9	515—800—40		
आदि जातजविकास आयक्त की सहायताज				
शीघ्रलेखक .. .. .	2	740—1180		
भृत्य .. .. .	2	380—495		
उपयोजना के लिये क्षेत्र आदि. विकास प्राधिकरण का गठन				
<b>अपत्रित</b>				
सहा. सा. अधिकारी .. .. .	5	740—1180		
अधजक्षक .. .. .	5	925—1500		
शीघ्रलेखक .. .. .	5	740—1180		
स्टेनोग्राफिस्ट .. .. .	5	515—800—40		
सहायक .. .. .	10	680—1060		

(1)	(2)	(3)	(4)
			रुपये.
लेखापाल .. .. .	..	5	635—950
उद्भ्रे. लि. .. .. .	..	15	575—880
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	..	25	515—800
भृत्य .. .. .	..	50	380—495
दफ्तरी .. .. .	..	5	380—495—10
ड्रायवर .. .. .	..	5	515—800
चौकीदार/फर्राश .. .. .	..	5	380—495
जप त्रित :			
अपर आयुक्त आदि. वि. .. .. .	..	4	आई. ए. एस. वरिष्ठ वेतनमान तथा 250
सहायक आयुक्त .. .. .	..	5	1860—2400
वित्तीय सलाहकार .. .. .	..	5	1860—2400
उप संचालक .. .. .	..	5	1370—2100
सहायक संचालक .. .. .	..	5	1000—1920
लेखाधिकारी .. .. .	..	5	1000—1920

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्या एवं कुपोषण का जायजा लेने के लिए सर्वेक्षण

सर्वेक्षण .. .. .	..	6	925—1500
शीघ्रलेखक .. .. .	..	1	740—1180
भृत्य .. .. .	..	5	380—495

आदिवासी क्षेत्र में कर्मचारियों को दिये जाने वाले वि. भत्ते होने वाले व्यय के लेखाओं के संधारण हेतु अतिरिक्त अमलों की व्यवस्था ।

लेखापाल .. .. .	..	21	635—950
नि. श्रे. लि. .. .. .	..	13	515—900

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कुपोषण सर्वेक्षण.

पोषण नेतृत्व शास्त्री या पोषण विशेषज्ञ .. .. .	..	6	1370—2100
अर्थशास्त्री .. .. .	..	3	1370—2100
भृत्य .. .. .	..	1	380—495
वाहन चालक .. .. .	..	3	515—800

कार्यालय के लिए पद.

अधीक्षक .. .. .	..	1	925—1500
सहायक .. .. .	..	1	680—1060
उ. श्रे. लि. .. .. .	..	1	575—680
नि. श्रे. लि. .. .. .	..	2	515—800
भृत्य .. .. .	..	2	380—495
वाहन चालक .. .. .	..	1	515—800 मजदूरी से देय.

नवीन पूर्व माछमिक पोस्टामट्रिक छात्रावास की स्थापना 1981-82

अधीक्षक .. .. .	..	6	680—1,060
अधीक्षक .. .. .	..	127	515—800
चतुर्थ श्रेणी .. .. .	..	254	मजदूरी से देय.

विभागीय प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण 1981-82

वरिष्ठ अनुदेशक .. .. .	..	1	740—1,180
कनिष्ठ अनुदेशक .. .. .	..	1	680—1,060
मेकर .. .. .	..	1	740—1,180
वर्कशॉप अम्प्लेटेंट .. .. .	..	1	485—740
कड़ाई-बुनाई अनुदेशक .. .. .	..	5	740—1,189

आदिमजाति विकास आयुक्त के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण.

आशुलिपिक .. .. .	..	2	515—800—40
भृत्य .. .. .	..	2	380—495



आदिवासी क्षेत्रों में क्रीडा परिसरों की स्थापना

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	1	1370—2100
प्रथम श्रेणी लिपिक	1	680—1060
उच्च श्रेणी लिपिक	1	585—880
स्टेनोग्राफिस्ट	1	515—800—40
भूतय	1	380—495
खेलकूद अनुदेशक	200	635—950

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कुपोषण सर्वेक्षण.

भूतय	1	380—495
वाहन चालक	3	515—800
अधीक्षक	1	925—1,500
उच्च श्रेणी लिपिक (प्रथम)	1	680—1,060
उच्च श्रेणी लिपिक	1	575—880
निम्न श्रेणी लिपिक	2	515—800
भूतय	1	380—495
वाहन चालक	1	515—800
लेबोरेट्रिन शिपन	3	685—950

बैंकों के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण हेतु अतिरिक्त अमला.

लेखा अधिकारी	4	536—950
लेखापाल	4	635—950

पूर्व माध्यमिक छात्रावास.

रसोइया	170	मजदूरी से देय.
चौकीदार सहपालीवाला	170	मजदूरी से देय।

10 आदिवासी आश्रमों की स्थापना.

अधीक्षक/अधीक्षक	10	740—1180
सहायक अधीक्षक	20	545—925

ग्राम भारती अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांकेर, जिला बस्तर

प्राचार्य	1	1,000—1,920
उच्च श्रेणी शिक्षक	16	740—1,180
पी.टी. आई.	1	680—1,060
निम्न श्रेणी लिपिक	8	545—925
क्राफ्ट शिक्षक	1	740—1,180
प्रयोगशाला सहायक	1	545—925
लेखापाल	1	635—950
निम्न श्रेणी लिपिक	1	515—800
भूतय	4	380—495

उच्चतर माध्यमिक शाला, बिछिया, जिला मण्डला.

प्राचार्य	1	1,000—1,920
उच्च श्रेणी लिपिक	6	740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक	1	740—1,180
लेखापाल	1	635—950
उच्च श्रेणी लिपिक	1	575—880
भूतय	4	380—495

उच्चतर माध्यमिक शाला, अभोड़ा.

प्राचार्य	1	1,000—1,920
उच्च श्रेणी लिपिक	5	740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक	1	740—1,180
पी.टी. आई.	1	635—950
...	1	525—800
...	1	515—800
भूतय	2	380—495
चौकीदार	1	380—495

1	2	3	4
पूर्व-माध्यमिक शाला, पाली.			
धानाध्यापक .. .. .	1	740—1,180	
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	2	545—920	
उच्चतर माध्यमिक शाला, शाहपुर, जिला बतूल.			
प्राचार्य .. .. .	1	1,000—1,920	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	10	740—1,180	
पी. टी. आई. .. .. .	1	635—950	
लेब अटेंडण्ट .. .. .	1	445—635	
भृत्य .. .. .	2	380—485	
चौकीदार .. .. .	1	380—495	
सोड़ का, जिला रायगढ़.			
प्राचार्य .. .. .	1	1,000—1,920	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	5	740—1,180	
पी. टी. आई. .. .. .	1	635—950	
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	1	515—900	
क्लाफ्ट शिक्षक .. .. .	1	740—1,180	
ग्रंथपाल .. .. .	1	515—800	
भृत्य .. .. .	2	380—495	
चौकीदार .. .. .	1	380—495	
उच्चतर माध्यमिक शाला, मण्डवारा.			
प्राचार्य .. .. .	1	1,000—1,920	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	4	740—1,180	
क्लाफ्ट शिक्षक .. .. .	1	740—1,180	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	1	575—880	
भृत्य .. .. .	3	380—495	
उच्चतर माध्यमिक शाला, सिलावद.			
प्राचार्य .. .. .	1	1,000—1,920	
उच्च श्रेणी शिक्षक .. .. .	4	740—1,180	
क्लाफ्ट शिक्षक .. .. .	1	740—1,180	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	1	755—880	
भृत्य .. .. .	3	380—495	
उच्चतर माध्यमिक शाला, पलसूद.			
प्राचार्य .. .. .	1	1,000—1,920	
उच्च श्रेणी शिक्षक .. .. .	4	740—1,180	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	1	575—880	
भृत्य .. .. .	3	380—495	
क्लाफ्ट शिक्षक .. .. .	1	740—1,180	
उच्चतर माध्यमिक शाला, रायबिड़पुरा.			
प्राचार्य .. .. .	1	1,000—1,920	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	4	740—1,180	
क्लाफ्ट शिक्षक .. .. .	1	740—1,180	
भृत्य .. .. .	3	580—495	
उच्चतर माध्यमिक शाला, धरमपुर, धार.			
प्राचार्य .. .. .	1	1,000—1,920	
उच्च श्रेणी शिक्षक .. .. .	4	740—1,180	
क्लाफ्ट शिक्षक .. .. .	1	740—1,180	
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	1	575—880	
भृत्य .. .. .	1	380—495	

(1)	(2)	(3)	(4)
उच्चतर माध्यमिक शाला, घाटा बिल्लोद, जिला धार.			
प्राचार्य .. .. .	..	..	1 1,000—1,920
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	4 740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक .. .. .	..	..	1 740—1,180
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 575—880
उच्चतर माध्यमिक शाला, उमरवन, जिला धार.			
प्राचार्य .. .. .	..	..	1 1,000—1,920
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	4 740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक .. .. .	..	..	1 740—1,180
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 575—880
भृत्य .. .. .	..	..	3 380—495
उच्चतर माध्यमिक शाला, बगड़ी, जिला धार.			
प्राचार्य .. .. .	..	..	1 1,000—1,920
उच्च श्रेणी शिक्षक .. .. .	..	..	4 740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक .. .. .	..	..	1 740—1,180
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 575—880
भृत्य .. .. .	..	..	3 380—495
उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला, कुक्षी, जिला धार.			
प्राचार्य .. .. .	..	..	1 1,000—1,920
उच्च श्रेणी शिक्षक .. .. .	..	..	4 740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक .. .. .	..	..	1 740—1,180
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 575—880
भृत्य .. .. .	..	..	1 380—495
उच्चतर माध्यमिक कन्या, शाला, कोडागांव, जिला बस्तर.			
प्राचार्य .. .. .	..	..	1 1,000—1,920
उच्च श्रेणी शिक्षक .. .. .	..	..	4 740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक .. .. .	..	..	4 740—1,180
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 575—880
भृत्य .. .. .	..	..	3 380—495
उच्चतर माध्यमिक शाला, महुदमचांदर, जिला राजनांदगांव.			
प्राचार्य .. .. .	..	..	1 1,000—1,920
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	4 740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक .. .. .	..	..	1 740—1,180
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 575—880
भृत्य .. .. .	..	..	3 380—495
उच्चतर माध्यमिक शाला, गुजरी, जिला धार.			
प्राचार्य .. .. .	..	..	1 1,000—1,920
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	4 740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक .. .. .	..	..	1 740—1,180
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 575—880
भृत्य .. .. .	..	..	3 380—495
उच्चतर माध्यमिक शाला, बांकनेर, जिला धार.			
प्राचार्य .. .. .	..	..	1 1,000—1,920
उच्च श्रेणी शिक्षक .. .. .	..	..	4 740—1,180
क्राफ्ट शिक्षक .. .. .	..	..	1 740—1,180
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 575—880
भृत्य .. .. .	..	..	3 380—495
आदिवासी क्षेत्र में आश्रम शालाओं.			
आश्रम अधीक्षक .. .. .	..	..	20 740—1,180
सहायक शिक्षकाशिक्षिका .. .. .	..	..	40 545—925
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रसोइयापानीवाला एक तथा .. .. .	..	..	60 मजदूरी से देव.
तथा चौकीदार एक, प्रति आश्रम 3 चतुर्थ.	..	..	

## मार्ग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

## 19—विधि तथा विधायी कार्य विभाग

मार्ग संख्या—41

## 252—सचिवालय सामान्य सेवा

विशेष कर्तव्य पदाधिकारी	..	..	..	1	1200—2000 तथा 250 रु. वि. वेतन.
तकनीकी सहायक.	..	..	..	1	1000—1920 रुपये 100 विशेष वेतन.
सहायक	..	..	..	1	740—1240
रिसर्च असिस्टेंट	..	..	..	2	1000—1920
स्टेनोग्राफर ग्रेड 3	..	..	..	1	740—1240
स्टेनो टाइपिस्ट	..	..	..	1	515—840 रुपये 40 विशेष वेतन.
निम्न श्रेणी लिपिक	..	..	..	1	515—840
मृत्य	..	..	..	4	380—515

## 310—पशु-पालन

पशु-चिकित्सा संबंधी शिक्षा व प्रशिक्षण  
प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर व मण्डला

## राजपत्रित :

उप संचालक (प्राचार्य)	..	..	..	2	रु. 1370—2100
सहायक संचालक (व्याख्याता)	..	..	..	6	रु. 1370—2100
पशुचिकित्सा सहायक, शल्य-कक्ष (डिप्लॉमिस्ट्रेटर)	..	..	..	6	रु. 1000—1920

## अराजपत्रित :

लेखापाल	..	..	..	1	रु. 635—1000
उच्च श्रेणी लिपिक	..	..	..	3	रु. 575—925
निम्न श्रेणी लिपिक	..	..	..	4	रु. 515—840
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक	..	..	..	1	रु. 575—925
प्रयोगशाला सहायक	..	..	..	1	रु. 515—840
मृत्य	..	..	..	4	रु. 380—515
प्रयोगशाला परिचारक	..	..	..	2	रु. 485—770
स्टेनो टाइपिस्ट	..	..	..	1	रु. 515—840 + 40 वि. वे.

## चल पशु-चिकित्सालय की स्थापना

## राजपत्रित :

चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	..	..	..	3	रु. 1000—1920
------------------------	----	----	----	---	---------------

## अराजपत्रित :

पशु-चिकित्सा क्षेत्र सहायक	..	..	..	3	रु. 575—925
बाहन चालक	..	..	..	3	रु. 485—770

## पशु-चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना

## अराजपत्रित :

पशु-चिकित्सा क्षेत्र सहायक	..	..	..	6	रु. 575—925
----------------------------	----	----	----	---	-------------

## भाग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—(चालू)

(1)	(2)	(3)	(4)
<b>जिला पशु चिकित्सा का सुदृढीकरण</b>			
<b>राजपत्रित</b>			
पशु चिकित्सा सहा. ग. ..	..	..	7 1000—1920
<b>अराजपत्रित</b>			
भृत्य .. ..	..	..	4 रु. 380—515
<b>रानिष्ठेत बीमारी की उन्मूलन योजना</b>			
<b>राजपत्रित</b>			
सहायक संचालक ..	..	..	4 रु. 1370—2100
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ ..	..	..	8 रु. 1000—1920
<b>अराजपत्रित</b>			
भृत्य .. ..	..	..	8 रु. 380—515
<b>पशु प्रजनन प्रक्षेत्र</b>			
<b>राजपत्रित</b>			
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ ..	..	..	5 रु. 1000—1920
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक ..	..	..	5 रु. 515—840
<b>रोगानुसंधान की योजना</b>			
<b>अराजपत्रित :</b>			
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक ..	..	..	5 रु. 515—840
उच्च श्रेणी लिपिक ..	..	..	5 रु. 575—925
निम्न श्रेणी लिपिक ..	..	..	5 रु. 515—840
भृत्य .. ..	..	..	5 रु. 380—515
<b>कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विस्तार</b>			
<b>राजपत्रित :</b>			
सहायक संचालक ..	..	..	2 रु. 1370—2100
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ ..	..	..	15 रु. 1000—1920
<b>अराजपत्रित</b>			
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक ..	..	..	2 रु. 515—840
निम्न श्रेणी लिपिक ..	..	..	3 रु. 515—840
भृत्य .. ..	..	..	1 रु. 380—515
<b>कुक्कुट पालन एवं उत्पादन परियोजना की स्थापना</b>			
<b>राजपत्रित :</b>			
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ ..	..	..	2 रु. 1000—1920
<b>अराजपत्रित :</b>			
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक ..	..	..	4 रु. 515—840

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

## सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना

## राजपत्रित :

सहायक संचालक	..	..	..	2	रु. 1370--2100
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	..	..	..	1	रु. 1000--1920

## अराजपत्रित :

पर्यवेक्षक	..	..	..	2	रु. 515-840
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक	..	..	..	4	रु. 515-840
लेखापाल	..	..	..	2	रु. 635--1000
निम्न श्रेणी लिपिक	..	..	..	2	रु. 515-840
चारा सहायक	..	..	..	1	रु. 740-1250
भृत्य	..	..	..	2	रु. 380--515

## बकरियों में बकरी-प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना

## राजपत्रित :

सहायक संचालक	..	..	..	2	रु. 1370--2100
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	..	..	..	2	रु. 1000--1920

## अराजपत्रित :

चारा सहायक	..	..	..	1	रु. 740--1250
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक	..	..	..	3	रु. 515--840
क्षेत्र सहायक	..	..	..	2	रु. 515--840
उच्च श्रेणी लिपिक	..	..	..	2	रु. 575--925
निम्न श्रेणी लिपिक	..	..	..	2	रु. 515--840
भृत्य	..	..	..	2	रु. 380--515
ट्रेक्टर चालक	..	..	..	1	रु. 485--770 नैमित्तिक व्यय

## चारा प्रदर्शन प्रक्षेत्रों का विस्तार

पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक	..	..	..	3	रु. 515--840
----------------------------	----	----	----	---	--------------

## नवीन पशु विकास परियोजना की स्थापना

उप-संचालक प. चि. से.	..	..	..	1	रु. 1370--2100
सहायक संचालक	..	..	..	4	रु. 1370--2100
सहायक शल्यज्ञ	..	..	..	5	रु. 1000--1920
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक	..	..	..	55	रु. 515--840
उच्च श्रेणी लिपिक	..	..	..	6	रु. 575--925
निम्न श्रेणी लिपिक	..	..	..	9	रु. 515--840
भृत्य	..	..	..	10	रु. 380--515
अधीक्षक	..	..	..	1	रु. 925--1600
लेखापाल	..	..	..	1	रु. 635--1000
श्री प्रलेखक	..	..	..	1	रु. 740--1250
सर्वोपस्थकी सहायक	..	..	..	2	रु. 740--1250
चारा सहायक	..	..	..	2	रु. 860--1410
प्रगति सहायक	..	..	..	4	रु. 575--925
संगणक	..	..	..	2	रु. 575--925
क्षेत्र सहायक	..	..	..	4	रु. 515--840

## मांग संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—(समाप्त)

(1)	(2)	(3)	(4)
निमाही ब्रीड की सुधार हेतु पशु प्रजनन प्रकृत की स्थापना			
सहायक संचालक .. .. .	..	..	1 रु. 1370—2100
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .. .. .	..	..	7 रु. 1000—1920
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक .. .. .	..	..	22 रु. 515—840
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 रु. 575—925
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 रु. 515—840
भ्रष्ट .. .. .	..	..	7 रु. 380—515
उप योजना क्षेत्र में नियोजन हेतु लघु स्तरीय नियोजन इकाईयां			
राज्यपत्रित :			
नियोजन अधिकारी .. .. .	..	..	5 रु. 1370—2100
सहा. नियोजना अधिकारी .. .. .	..	..	15 रु. 1000—1920
अराज्यपत्रित :			
सहा. सांख्यिकी अधिकारी .. .. .	..	..	5 रु. 740—1250
गणक .. .. .	..	..	10 रु. 575—925
प्राशुलिपिक .. .. .	..	..	5 रु. 575—925 + 40 रु. दि.वे.
टाइपिस्ट .. .. .	..	..	5 रु. 515—840
सहायक चालक .. .. .	..	..	5 रु. 485—770
भ्रष्ट .. .. .	..	..	15 रु. 380—515
प्रवासी श्रमिकों के लिये संगठन			
प्रवासी श्रम संयोजक .. .. .	..	..	1 रु. 740—1250
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	..	..	1 रु. 575—925

## मांग संख्या 41-311—डेयरी विकास—आदिवासी उपयोजना

	रूप	रुपये
उप दुग्धायुक्त .. .. .	दो	1370—2100
प्रबंधक प्रक्योरमेंट .. .. .	एक	1000—1920
प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) .. .. .	एक	1,000—1,920
प्रबंधक (संसाधन) .. .. .	एक	1,000—1,920
प्रोक्योरमेंट गार्गनाइजर .. .. .	पांच	900—15,50
स्टोर कीपर (प्रोक्योरमेंट) .. .. .	एक	575—925
पारी प्रबंधक .. .. .	एक	860—1,410
संयंत्र चालक .. .. .	दो	515—840 एक पद .. .. . एक पद 485—770
विपणन अधिकारी .. .. .	एक	860—1,410
सेल्स प्रमोशन असिस्टेंट .. .. .	एक	680—1,120
सेल्स क्लर्क .. .. .	दो	575—925
तकनीकी सहायक .. .. .	एक	680—1,120
लेब अटेंडेंट .. .. .	एक	515—840
फोरमन (रेफीजरेशन) .. .. .	एक	740—1,250
स्टेनोग्राफर .. .. .	दो	740—1250
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .	दो	575—925
लेब अटेंडेंट .. .. .	एक	515—840
भ्रष्ट .. .. .	दो	380—515

## मांग संख्या-41 आदिवासी क्षेत्र उप योजना

पदनाम	पदसंख्या विकास	वेतनमान
1	2	3
<b>305-कृषि</b>		
<b>01-निर्देशन एवं प्रशासन</b>		
राजपत्रित		रुपये
अपर संचालक कृषि	1	2100-2625
उप संचालक, कृषि	2	1370-2100
सहायक संचालक, कृषि	15	1000-1920
सहायक पंजीयक	4	1000-1920
अनु. कृषि अधिकारी	37	1000-1920
विषय विशेषज्ञ (सहा.सं.कृ.)	52	1000-1920
अराजपत्रित		
वरिष्ठ कृषिविकास अधिकारी	12	900-1550
विषय वस्तु विशेषज्ञ (उ.श्रे.)	115	900-1550
कृषि विस्तार अधिकारी	37	860-1410
अनुसंधान सहायक	7	860-1410
कृषि विकास अधिकारी	343	740-1250
सांख्यिकी सहायक	71	740-1250
अनुसंधान सहायक	9	740-1250
स्टेनोग्राफर	5	740-1250
उच्च श्रेणी लिपिक प्रथम	4	680-1120
लेखापाल	2	635-1000
फोटोग्राफर	11	635-1000
उच्च श्रेणी लिपिक द्वितीय	93	575-925
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	2256	635-1000-575-925
निम्न श्रेणी लिपिक	78	515-840
सिनेमा आपरेटर	13	515-840
प्रयोगशाला सहायक	3	515-840
स्टेनो टायपिस्ट	7	515-840 (40 रु. विशेष वेतन
डाइवर	61	515-840
चतुर्थ वर्ग		
भृत्य	162	380-515
चौकीदार/सहायक	14	380-515
<b>06- वाणिज्य फसलें</b>		
राज पत्रित		
परियोजना अधिकारी	1	1370-2100
अराजपत्रित		
तकनीकी सहायक	1	900-1550
कृषि विकास अधिकारी	5	740-1250
स्टेनोग्राफर	1	740-1250
मुख्य लिपिक	1	680-1120
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	25	575-925/635-1000
चतुर्थ वर्ग		
भृत्य/चौकीदार	1	380-515
<b>0-7 विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण</b>		
राजपत्रित		
प्राचार्य	1	1370-2100
निदेशक (सहा. पशु शल्य अधिकारी)	2	1000-1920
अराजपत्रित		
निदेशक	4	900-1550
वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	2	900-1550
ग्रामीण कृषि वि० अधिकारी	8	635-1000/575-925
लेखापाल	2	635-1000
उच्च श्रेणी लिपिक-2	1	575-925
मैकेनिक	1	575-925
निम्न श्रेणी लिपिक	2	515-840
चतुर्थ श्रेणी—		
भृत्य	2	380-515
<b>09 कृषि इंजीनियरिंग</b>		
राजपत्रित		
सहायक कृषि यंत्री	9	1000-1920



(1)	(2)	(3)	(4)
अराजपत्रित			
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी .. ..	30	900-1550	
यांत्रिकी सहायक .. ..	7	740-1250	
यांत्रिकी .. ..	7	575-925	
आपरेटर .. ..	42	575-925	
पटवारी .. ..	7	515-840	
क्षेत्र कर्ता .. ..	20	575-925	
स्टोरकीपर/लिपिक .. ..	16	515-840	
डाइवर .. ..	7	485-770	
चतुर्थ वर्ग			
क्लीनर/हेल्पर .. ..	42	485-770	

## 029—माली प्रशिक्षण

## अराजपत्रित :

कृ. वि. अधिकारी .. ..	2	740—1180
हाटि इन्स्पेक्टर .. ..	2	635—950 स्नातक. 575—880 स्नातक.

## चतुर्थ :—

माली रेगुलर .. ..	3	380—495
माली कन्टेजेन्सी .. ..	3	आकस्मिक व्यय से.

## (22) 011 बागवानी :

## राजपत्रित :—

उप संचालक 7 उद्ययन .. ..	3	1370—2100
परियोजना अधिकारी (सहाय 7 संसू 7 उद्ययन) .. ..	14	1000—1920

## —रा पत्रिते ; ;

भ. वि. कृषि अधिकारी .. ..	45	900—1545
स्टेनोग्राफर .. ..	3	740—1180
उ. श्रे. लिपिक (प्रथम) .. ..	2	680—1060
ग्रा. कृ. वि. अधिकारी .. ..	578	635—950 स्नातक. 575—880 अस्नातक.
लेखापाल .. ..	24	635—950
उद्यान प्रदर्शक .. ..	34	635—950
उद्यान प्रदर्शक .. ..		635—950 स्नातक. 575—880 अस्नातक.
उ. श्रे. लि. (वर्ग-2) .. ..	4	575—880
निम्न श्रेणी लिपिक .. ..	75	515—800
वाहन चालक .. ..	5	485—740

## चतुर्थ वर्ग :—

माली रेगुलर .. ..	136	380—495
ग्राफटर एण्ड ह्यडर (भारती) .. ..	552	380—495
माली कन्टेजेन्सी .. ..	46	आकस्मिक व्यय से.
चौकीदार (—, —) .. ..	2	"

## 305—कृषि

## सामुदायिक फल उद्यान लगाने की योजना :

## अराजपत्रित :—

व. उ. वि. अधिकारी .. ..	6	900—1450
ग्रा. उ. वि. अधिकारी .. ..	27	635—950 स्नातक. 575—880 अस्नातक.
माली .. ..	27	380—495
नि. श्रे. लि. .. ..	3	515—800
ट्रक्टर ड्राइवर (नर्नितक व्यय) .. ..	12	आकस्मिक व्यय से.

प्रतापराव. दिनांक. 24. फरवरी, 1986.

पृ. क्र.—अलग अलग हैं. स्मृति-पत्र.

## पदों की संख्या तथा वेतनमानों की अनुसूची

मांग सख्या 41--खनिज साधन विभाग से सम्बन्धित व्यय

पद का नाम	पदों की संख्या विकास	वेतनमान
1	2	3

## 328--खाने एवं खनिज ख--खनिजों का विनियमन तथा विकास

## खनिकर्म विभाग

## राजपत्रित

परियोजना संचालक .. .. .	1	रु. 1860-60-2100-75-2400
अधीक्षण भौमिकी विद् .. .. .	6	"
अधीक्षण वैधन यंत्री .. .. .	1	"
उप-संचालक (तकनीकी) .. .. .	7	1370-40-1450-50-1700-50-1800-60-2100.
वरिष्ठ भौमिकी विद् .. .. .	5	"
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी .. .. .	1	"
खनिज अर्थशास्त्री .. .. .	1	"
पेट्रो मिनराजिस्ट .. .. .	1	"
स्पेक्ट्राकोपिस्ट .. .. .	1	"
फोटो ज्योलॉजिस्ट .. .. .	2	"
ज्योफिजिस्ट .. .. .	1	"
खनियंत्री .. .. .	1	"
वैधन यंत्री .. .. .	1	"
मुख्य विश्लेषक .. .. .	2	"
भौमिकी विद् .. .. .	13	"
भू-रसायनज्ञ .. .. .	2	"
डाटा एनालिस्ट .. .. .	1	"
इन्स्ट्रूमेंटल इंजीनियर .. .. .	1	"
सहायक भौमिकी विद् .. .. .	62	1000-30-1210-40-1450-50-1800-60-1920.
सहायक ज्योफिजिस्ट .. .. .	4	"
रसायनज्ञ .. .. .	15	"
सहायक छेदन यंत्री .. .. .	2	"
सहायक भू-रसायनज्ञ .. .. .	4	"
सहायक पेट्रोलॉजिस्ट .. .. .	4	"
सहायक फिजिस्ट .. .. .	4	"
सर्वे अधिकारी .. .. .	1	"
प्रभारी अधिकारी मानचित्र .. .. .	1	"
सहायक खनिज अर्थशास्त्री .. .. .	3	"
सहायक शोध अधिकारी .. .. .	1	"
भण्डार अधिकारी .. .. .	1	"
प्रशासकीय एवं लेखा अधिकारी .. .. .	2	"
सहायक सांख्यिकी विद् .. .. .	8	925-25-1000-50-1150-30-1210-40-1450-50-1600.

## अराजपत्रित

टोपी सर्वेयर-- .. .. .	5	900-25-1000-30-1200-40-1550.
वरिष्ठ शिल्पी .. .. .	4	"
वरिष्ठ तकनीकी सहायक .. .. .	4	"
चित्रकार .. .. .	2	"
क्लास्कर .. .. .	1	"

प्रशासकीय सहायक .. .. .	4	"
ड्रिलर मेकेनिक .. .. .	23	"
वरिष्ठ मानचित्रकार .. .. .	2	740-15-800-20-900-25-1000-30-1250. + 75 वि. वे.
मानचित्रकार .. .. .	9	" + 25 वि. वे.
सहायक अधीक्षक .. .. .		740-15-800-20-900-25-1000-30-1250.
सहायक रसायनज्ञ .. .. .	8	"
तकनीकी सहायक .. .. .	2	"
प्रशिक्षी .. .. .	7	"
लेखा परीक्षक .. .. .	1	"
खनि सर्वेक्षक .. .. .	10	"
सहायक .. .. .	10	680-15-800-20-900-25-1000-30-1120.
लेखापाल .. .. .	1	635-15-800-20-900-25-1000
उच्च वर्ग लिपिक .. .. .	12	575-15-800-20-925
सहायक छेदक .. .. .	24	"
कम्प्रेसर ऑपरेटर .. .. .	2	"
ट्रेक्टर चालक .. .. .		"
जेकहेमर ड्रिलर .. .. .	2	"
टरनर .. .. .	1	"
स्टेनोग्राफिस्ट .. .. .	5	515-10-575-15-800 + 40 वि. वे.
निम्न वर्ग लिपिक .. .. .	48	515-10-575-15-840
ट्रेसर .. .. .	3	"
वाहन चालक .. .. .	3	"
ड्रिलमेन .. .. .	1	485-10-575-15-770
मददगार .. .. .	16	"
वैल्डर .. .. .	1	"
प्रयोगशाला परिचारक .. .. .	1	"
वाइण्डर .. .. .	1	"
भृत्य और अर्दली .. .. .	19	380-5-425-10-515
फिबिर सहायक .. .. .	38	"
पम्प अटेंडेन्ट .. .. .	1	"

मांग संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
पदों की संख्या तथा वेतनमानों की अनुसूची.

पद नाम	पदों की संख्या		वेतनमान
	(1)	(2) (3)	

9—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

280—चिकित्सा

क—एलोपैथी

ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र

डिप्टर सर्जन .. .. .	10	1000—1920
ए. एन. एम. .. .. .	225	515—800
स्पिटल अटेंडेंट .. .. .	10	380—495

ख—अन्य चिकित्सा प्रणालियां

खा—होम्योपथी

आर. एम. ओ. (होम्ओ) .. .. .	20	575—880
कम्पाउण्डर .. .. .	20	515—800
भृत्य .. .. .	20	380—495

ख—अन्य चिकित्सा प्रणालियां

गा—यूनानी.

यूनानी चिकित्सा अधिकारी .. .. .	5	1000—1800
कम्पाउण्डर .. .. .	5	515—800
औषधालय सेवक .. .. .	5	380—495
अधीक्षक .. .. .	5	1150—1920
आर. एम. ओ. .. .. .	7	1000—1800
महिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी .. .. .	7	1000—1800
आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी .. .. .	175	1000—1800
नर्सिंग सिस्टर .. .. .	7	740—1180
स्टाफ नर्स .. .. .	21	635—950
कम्पाउण्डर .. .. .	189	515—800
स्टोरीकीपर .. .. .	7	575—880
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .	7	515—800
दरि .. .. .	170	445—635

3 H 60  
18/12/86

35-130

पदनाम	पदों की संख्या		वेतनमान रुपये
	सामान्य	विकास	
(1)	(2)	(3)	(4)
5-पशुधन विभाग			
मांग संख्या 64-310-पशुपालन			
003-पशु औषधालय की स्थापना :			रुपये
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .. .. .		15	1000-1920
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक .. .. .		40	575-925
005-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र :-			
सहायक संचालक .. .. .		1	1000-1920
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक .. .. .		2	575-925
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .		1	575-925
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .		1	575-880
भृत्य .. .. .		1	380-515
001-कुक्कुट पालन परियोजना :			
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .. .. .		20	1000-1930
003-कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र के प्रसार की योजना :-			
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .. .. .		2	1000-1920
004-कुक्कुट परीक्षण की योजना :			
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .. .. .		2	1000-1920
001-भेड़ प्रक्षेत्र एवं भेड़ प्रक्षेत्रों का सुदहीकरण :			
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .. .. .		1	1000-1920
चारा सहायक .. .. .		1	740-1250
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .		1	575-925
भृत्य .. .. .		1	380-515
002-बतख का वितरण :			
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .. .. .		1	1000-1920
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक .. .. .		1	575-925
भृत्य .. .. .		1	380-515
311-डेयरी विकास			
शीतकेन्द्र हिरी			
श्रेणी तीन			
प्रबन्धक शीत केन्द्र .. .. .		1	रु. 860-1410
सहायक दुग्ध रसायनिज्ञ .. .. .		2	रु. 680-1120
ड्रायवर .. .. .		1	रु. 485-770
डेरी अटैन्डेन्ट .. .. .		3	नैमित्तिक व्यय से
312-मत्स्योद्योग-			
सहायक संचालक मत्स्योद्योग .. .. .		2	1000-1920
सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी .. .. .		4	740-1250
मत्स्य निरीक्षक .. .. .		10	575-925 (बी.एस.सी.) 515-845 (नॉन बी.एस.सी.)
उच्च श्रेणी लिपिक .. .. .		2	575-925
निम्न श्रेणी लिपिक .. .. .		2	515-840
मत्स्य जमींदार .. .. .		15	400-525
भृत्य .. .. .		1	380-515

